खण्ड-219, अंक-4
शुक्रवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(24 फरवरी, 1961 ई0)

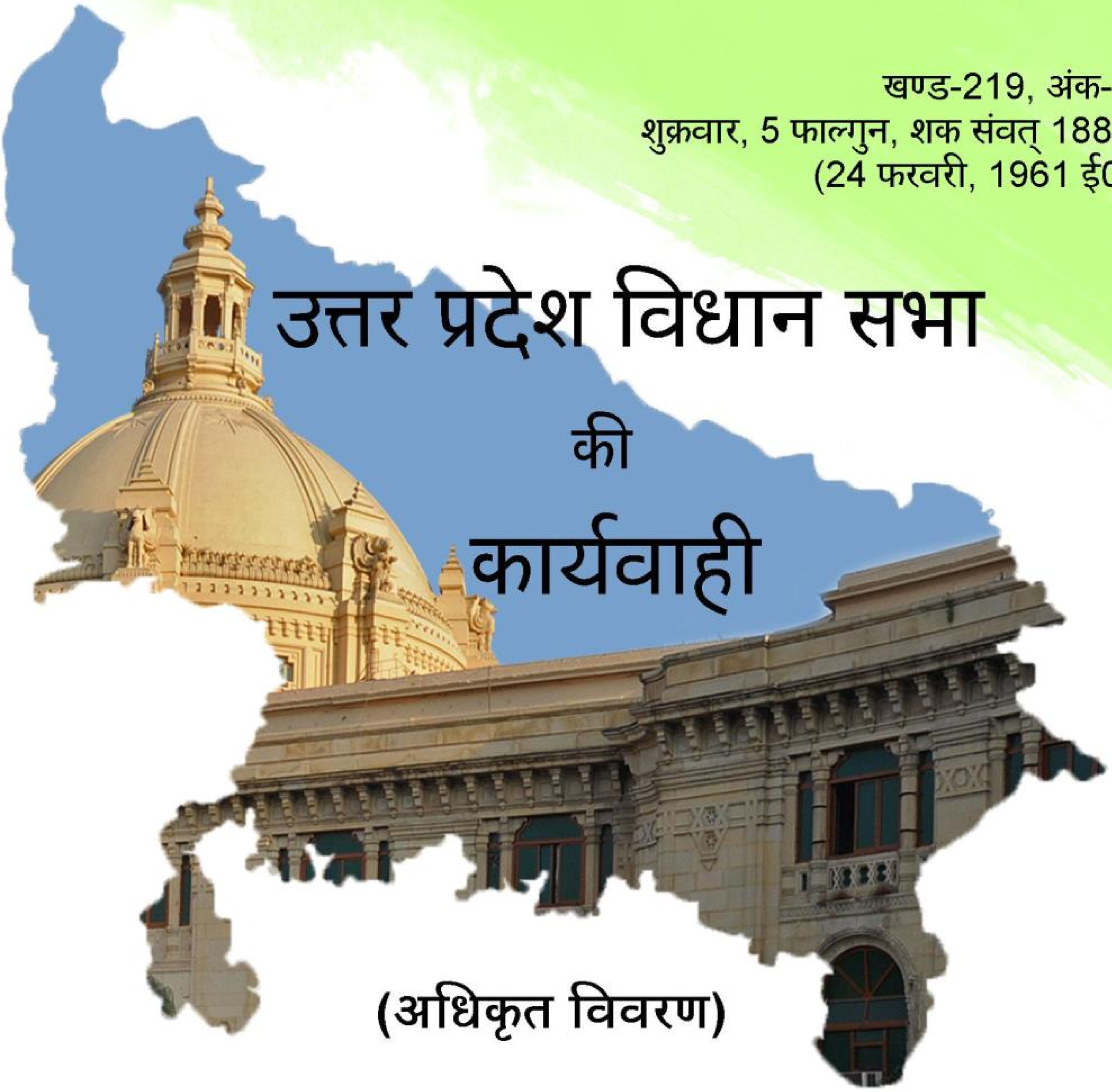

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---४०१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह,चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह, दलियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

निरंजनसिंह, श्री
नेकराम, शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानुप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह, विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां,
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनन्दनबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल, रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुख लाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला, खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिला परिषद् द्वारा अनुदान का अनुचित व्यय

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित २३-३-६० का पत्र प्राप्त हुआ है

जिसमें अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा लगभग ६ लाख रुपया का हिसाब देने में आनाकानी करने की चर्चा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां। अन्तरिम जिला परिषद् से शासन द्वारा स्वीकृत तीनों अनुदानों के उपयोग का विवरण मंगा लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:--

		रु०
(१) वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में स्वीकृत शासकीय अनुदान	..	७५,०००
परिषद् द्वारा दिया गया अंशदान ..	..	७६,९८१-३ आना
योग	..	१,५१,९८१-३ आना
(२) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में स्वीकृत शासकीय अनुदान	..	३,००,०००
परिषद् द्वारा दिया गया अंशदान ..	..	३,२५,३०३.५१
योग	..	६,२५,३०३.५१
(३) वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में स्वीकृत शासकीय अनुदान	..	५१,४००
परिषद् द्वारा दिया गया अंशदान ..	..	५१,६८०.४५
योग	..	१,०३,०८०.४५

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुदान किन-किन कामों में व्यय करने के लिये दिया गया था और परिषद् ने किन कामों में व्यय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के क्षतिग्रस्त भवनों और सड़कों की मरम्मत में यह रुपया व्यय नहीं किया गया और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नहीं हैं उन स्थानों में व्यय किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--शासन ने जो रुपया दिया था वह इन्हीं कार्यों के लिये दिया था जिनके बारे में उत्तर दिया गया है। अन्तरिम जिला परिषद को उन्हीं कार्यों पर खर्च करना चाहिये। सम्भव है कि उन्होंने दूसरे कामों में लगा दिया हो, लेकिन यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट जब तक यह नहीं आयेगा कि उन्हीं जरूरतों के लिये खर्च हुआ है जिनके लिये शासन ने दिया था तो उस पर आपत्ति की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि क्या यह सही है कि परिषद ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के क्षतिग्रस्त भवनों और सड़कों की मरम्मत न कराकर अन्य स्थानों में रुपया खर्च किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह तो यही सूचना सरकार को देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ बात यह जरूर मालूम पड़ी थी कि धन की स्वीकृति के पहले कुछ रुपया जो उन्होंने खर्च किया है वह भी शामिल कर लिया था। उसका जवाब देते हैं कि इस आशा में कि शासन की ओर से स्वीकृति हो जायेगी उन्होंने उस कार्य में उस धन को व्यय कर लिया। फिर भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा सर्टिफिकेट की मान्यता

*२--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि ड्राफ्ट्समैन (सिविल) डिप्लोमा सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता नहीं दे रही है जब कि उत्तर प्रदेश सरकार कई वर्षों से इस प्रशिक्षण का संचालन श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत करती है और सब खर्च सरकार वहन करती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)--ऐसा तो नहीं है कि सरकार मान्यता नहीं दे रही है बल्कि यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

**३--श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र हैं ?

श्री वसी नकवी--श्रम विभाग द्वारा चलाये गये इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित जिलों में हैं--लखनऊ, रामपुर, अल्मोड़ा, वाराणसी, कानपुर, बरेली, आगरा, गोंडा, मिर्जापुर, बलिया तथा श्रीनगर ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुल ऐसे परीक्षार्थी जो यह डिप्लोमा रख रहे हैं उनको सरकार अपने यहां नियुक्त नहीं कर रही है यह कह कर कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे ?

श्री वसी नकवी--इसमें से सिर्फ ओवरसियर्स की ट्रेनिंग का जो सवाल है, वह चूंकि स्टैण्डर्ड के मुताबिक नहीं पाये गये और उस पर दूसरे विभाग को एतराज था, उसको तोड़ रहे हैं और बाकी को मान्यता दी जायगी ।

श्री राजनारायण--जब ओवरसियर जो कि डिप्लोमा लिये हुये हैं और सरकार की ओर से अभी उत्तर मिला कि उसको सरकार तोड़ रही है तो उन्होंने जब सरकार के इस आश्वासन पर कि प्रदेश की सरकार डिप्लोमा होल्डर को वह स्थान देगी जिसके कि वह योग्य हैं और अन्य सूबों में उनको स्थान मिल रहा है तो उनकी जो शिक्षा लेने में हानि हुई अब उसकी पूर्ति कैसे करेगी ?

श्री वसी नकवी--जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है उनको मान्यता दी जायेगी । अब चूंकि उसका कोर्स ३ साल का हो गया और हमारे यहां दो साल ही का है, उतनी ट्रेनिंग नहीं रही इसलिये उसको खत्म कर रहे हैं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--जिन ओवरसीयर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी और १० महीने ट्रेनिंग दी गई आज कहा जा रहा है कि वे अपने घर चले जायं तो उनका क्या होगा ?

श्री वसी नकवी--ऐसी बात नहीं है जितने कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है उसको मान्यता दी जा रही है । सिर्फ आगे के लिये उसको रोका जा रहा है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न कब से विचाराधीन है क्योंकि गत वर्ष के आरम्भ में मैंने प्रश्न किया था ? यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक विचार हो जायगा ?

श्री वसी नकवी--हमारी स्टेट कौंसिल जनवरी, १९६० में बनी । उसके बाद ही हमने एक सब कमेटी बनायी रिकग्नीशन के लिये उसकी रिपोर्ट भी आ गई है । गालिबन १ महीने के अन्दर यह मामला तय हो जायगा रिकग्नीशन का ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मंत्री जी बतायेंगे कि जो विद्यार्थी अब तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको तो इस निश्चय से कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उनके हित सुरक्षित रखे जायंगे ?

श्री वसी नकवी--जरूर।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सेंटर सबसे पुराना सेंटर कितने दिनों से खुला हुआ है और सरकार ने जो अब तक मान्यता नहीं दी है उसका क्या कारण है ?

श्री वसी नकवी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मंत्री जी बतायेंगे कि जब ड्राफ्ट्समैन सिविल डिप्लोमा का तीन साल का कोर्स हो गया है और सरकार के यहां दो साल का है। तो तीन साल के कोर्स को मान्यता क्यों नहीं देने जा रही है क्योंकि उसमें जो ज्यादा पढ़ाई होगा ?

श्री वसी नकवी--इसके जवाब के लिये नोटिस चाहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह इंस्टीट्यूट खोला गया था तब इसका क्या स्टैन्डर्ड था और अब इसका वह स्टैण्डर्ड नहीं है जिस कारण तोड़ा जा रहा है ? कौन सा स्टैण्डर्ड बदल गया ?

श्री वसी नकवी--मैंने बताया कि पहले ओवरसियर क्लास जो दूसरे इंटीट्यूशन में था उसका कोर्स सिर्फ दो सालों का था और हमारे यहां भी दो साल का कोर्स था और इंस्टीट्यूशन्स जो ओवरसियर की ट्रेनिंग देते हैं उन्होंने तीन साल का कोर्स कर दिया है इसलिये उनका स्टैण्डर्ड ऊंचा हो गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मंत्री जी बतायेंगे कि जो आई० टी० आई० के कोर्स को मान्यता देने की उन्होंने १ महीने के अन्दर निर्णय लेने की बात कही है केवल ड्राफ्ट्समैन के बारे में ही वह बात है ?

श्री वसी नकवी--जितने भी ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग देते हैं सब को मान्यता देने की बात है।

हैदरगढ़ तथा सुबेहा परगनों में चेचक

४--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत परगना हैदरगढ़, परगना सुबेहा में १ दिसम्बर, सन् १९६० से १५ फरवरी, सन् १९६१ ई० तक किन-किन ग्रामों में चेचक की बीमारी थी तथा प्रत्येक ग्राम में कुल कितने-कितने लड़के, लड़कियां, मर्द, औरतें बीमार हुईं और कितनों की मृत्यु हुई ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--कथित स्थानों में १ दिसम्बर, १९६० से १५ फरवरी, १९६१ तक केवल २ बच्चों के चेचक से ग्रस्त होने की सूचना मिली, परन्तु निदान (diagnosis) करने पर पता चला कि वे खसरा से ग्रस्त थे।

५--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उक्त प्रत्येक ग्राम में क्या-क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री धर्मसिंह--यद्यपि उक्त क्षेत्र में किसी विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धों की आवश्यकता नहीं थी तब भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ११९४ प्राथमिक तथा १२६७ पुनर्भेद के टीके लगाये गये ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बतलायेगी कि रौनीवारा, जगदीशवापुर, चकौरा, रोहना, पुखरा, बहुता, मरदापुर, तेजवापुर, भितरी और मेरे गांव में चेचक की बीमारी अभी फैली हुई है और उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा उत्तर में कहा गया है, सरकार के पास इतनी ही सूचना है। अगर माननीय सदस्य इन गांवों के बारे में कहते हैं तो इसकी जांच करा लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—चेचक के टीके जिन गांवों में लोगों के लगे और उसके बाद भी चेचक निकली तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करायेगी कि टीके ठीक नहीं थे ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई सूचना सरकार को नहीं है। अगर कोई इस तरह की शिकायत होती है तो सरकार उसको देखेगी।

उत्तराखंड एवं कुमायूं डिवीजन को एक इकाई बनाने का सुझाव

६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास उत्तराखंड व कुमायूं डिवीजनों को विकास कार्यों हेतु एक ही इकाई माने जाने के बारे में कोई मांग आई है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—उत्तराखंड तथा कुमायूं डिवीजनों को केवल विकास कार्य के हेतु एक ही तिहाई माने जाने के लिए मांग प्राप्त हुई। विधान सभा के द्वितीय सत्र सन् १९५९ में श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन जी ने यह प्रश्न अवश्य पूछा था कि कुमायूं डिवीजन की आम जनता और उसके विधायक सरकार से दीर्घकाल से मांग कर रहे हैं इस डिवीजन के समूचे पर्वतीय क्षेत्र को सीमांत क्षेत्र घोषित किया जाय। यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया है ?

उत्तर में कहा गया था कि कुमायूं मण्डल के कुछ क्षेत्रों का एक नया उत्तराखण्ड मण्डल आवश्यकतानुसार बनाया गया है और कोई प्रशासकीय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। सरकार उपर्युक्त निर्णय में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो कुमायूं और सीमावर्ती एम० एल० एज० हैं उनके संघ ने यह मांग समय-समय पर लिख कर माननीय मुख्य मंत्री को भेजी है और क्या यह भी सही है कि हाल ही में जब मुख्य मंत्री रानीखेत गये थे तो जनता ने मांग की थी कि विकास के मामले में कुमायूं और उत्तराखंड को एक ही इकाई माना जाय ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—एम० एल० एज० ने जबानी इस तरह की मांग प्रस्तुत की है परन्तु जो स्थिति थी उसके विषय में सरकार की ओर से उनके समक्ष बातें प्रस्तुत कर दी गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है, जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कोई पत्र भारत सरकार को इस हेतु लिखा है ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार से बहुत सी बातें प्रदेशीय सरकार करती रहती है और जहां किन्हीं विषयों में असंतुलन देखती है तो उस असंतुलन की तरफ प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार का ध्यान आमंत्रित करती है। इस विषय में भी जो असंतुलन है उस सम्बन्ध में भी प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार किया है और अब भी बातें कर रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो उत्तराखंड अभी बना है जनता उसका स्वागत करती है, लेकिन उत्तराखंड में जितने भी विकास कार्य हैं—चाहे सड़क के कार्य हों या दूसरे कार्य हों—उनका सम्बन्ध सारी कुमायूं की सड़कों से है और अगर उन सड़कों को कुमायूं की सड़कों से नहीं मिलाया जाता है तो आधी सड़कें उत्तराखंड की

नहीं बन पायेंगी क्योंकि टेक्निकल दिक्कत यह आ रही है कि वे बार्डर एरिया में नहीं हैं ; इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए क्या कुमायूं की सड़कों को भी उत्तराखंड के विकास कार्य में शामिल कर लिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अपने पहले उत्तर में जिस असंतुलन की चर्चा मैंने की उससे माननीय सदस्य को कुछ आभास मिल गया होगा कि सरकार किधर और कैसे सोच रही है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनकी सेवा में मैंने एक पत्र इसी विषय में लिखा था कि पूरे कुमायूं डिवीजन को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित कर दिया जाय और उनसे पहले जो सज्जन आफिस में थे उनकी सेवा में करीब आधे दर्जन पत्र भेजे थे जिन पर करीब ४० एम० एल० एज० के दस्तखत थे जिनमें भी यह मांग की गयी थी कि इसे सीमावर्ती घोषित किया जाय और दोनों में समान खर्चा किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इस समय जो पत्र मुख्य मंत्री जी के नाम आपने लिखा है वह जरूर मिला है । जो पहले पत्र आपने भेजे हैं उसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है । जहां तक विकास का सम्बन्ध है पहाड़ी जिलों में और जिलों से ज्यादा विकास का कार्य अब भी होता रहा है । जब से ये जिले अलग हो गये हैं तो जो पहले खर्चा होता था वह तो अब भी हो रहा है, उसमें कमी नहीं हुई है । जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है जो उत्तराखंड में सड़कें बन रही हैं वे कुमायूं से होकर जाती हैं । तो यह आवश्यक है ही कि यहां की भी सड़कें बनायी जायं और इसका विचार रख कर ही स्कीम्स बनायी जाती हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ताकि हमारे और उनके विचार में तारतम्य हो सके, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि असंतुलन किस प्रकार का है और उसमें संतुलन किस तरह लाया जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह स्पष्टीकरण यदि वे मेरे कमरे में आयेंगे तो मैं कर दूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जब समस्त कुमायूं डिवीजन को उत्तराखंड बनाने की मांग वहां के नागरिकों, विधायकों, संसद सदस्यों और जो वहां के लोग दिल्ली में इस समय बस गये हैं उनकी तरफ से भी है .....

श्री अध्यक्ष---और कैंडिडेट्स की तरफ से भी है ?

(हंसी)

श्री राजनारायण---जी हां, और जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया अगर वह सही है तो कैंडिडेट्स की तरफ से भी है, तो क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि समस्त कुमायूं डिवीजन को उत्तराखण्ड बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो जवाब दे चुके हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपत्ति नहीं बतायी । वे तो कह रहे हैं कि कोई पैसे का खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सड़कें कुमायूं में से ही हो कर उत्तराखंड में जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं, आपको प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उत्तराखंड डिवीजन और कुमायूं डिवीजन की आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी और यातायात सम्बन्धी समस्याओं में क्या अन्तर है जिसके कारण सरकार को कठिनायी है दोनों के लिये एक ही स्तर पर योजना बनाने में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक उत्तराखंड का सम्बन्ध है, उसमें विकास के सिलसिले में, यातायात के सम्बन्ध में बहुत सी सड़कों के लिये प्राथमिकता दी गयी है और उसमें अधिक धन व्यय करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका उस बार्डर एरिया से मिला-जुला है जिसकी सुरक्षा का प्रश्न केन्द्रीय सरकार का समझा गया है। इसलिये वहां के कुछ मसले प्राथमिकता पाते हैं उन मसलों के मुकाबले में जो कुमायूं के और अन्य क्षेत्रों के हैं।

मुरादाबाद तथा अनूपशहर के दो मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध हाईकोर्ट का आरोप

**७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री देसाई ने ८ नवम्बर, १९६० को फैसला देते हुये मुरादाबाद के अतिरिक्त सेशन जज के फैसले को स्वीकार करते हुये सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास फैसले की नकल भेजते हुये यह लिखा है कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां। मैजिस्ट्रेट का जवाब तलब किया गया और परीक्षण के उपरान्त शासन ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी है और उनकी चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी है।

**८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अनूपशहर के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई फैसला ९ नवम्बर, १९६० को दिया है और उस सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार को फैसले की नकल भी भेजी है ? यदि हां, तो मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां। मैजिस्ट्रेट का जवाब तलब किया गया है और जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले के उपरान्त जब सरकार को परीक्षण करने का अधिकार नहीं है तो मैजिस्ट्रेट के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले पर सरकार पुनः परीक्षण क्यों कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो जो नियम और कानून हैं उनके अनुसार उससे जवाब मांगा जाता है और यह परिपाटी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के संबंध में बरती जाती है जिसके संबंध में हाई कोर्ट अपने फैसले में ऐसी बातें लिखता है जो उस अधिकारी के संबंध में दोषपूर्ण समझी जाती हैं।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने पर विचार

**९—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ का नेशनल होम्योपैथिक कालेज आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करे, इसमें क्या बाधा है ?

श्री धर्मसिंह---उक्त कालेज आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करे यानी सम्बद्ध (affiliate) हो इसमें कोई विशेष बाधा नहीं है । आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारीगण होम्योपैथी की फेकल्टी खोलने में सहमत हैं और इस विषय में संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों (statutes) में संशोधन करने का प्रस्ताव चांसलर महोदय के विचारार्धीन है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार बतायेगी कि जब अन्य विश्वविद्यालय में स्टैट्यूट्स के संशोधनों के संबंध में इतनी उजलत दिखाई जाती है तो इस विषय में इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, जब स्टैट्यूट्स में संशोधन विश्वविद्यालय स्वतः बनाते हैं तो समय लेते हैं, लेकिन जब सरकार को बनाने का अधिकार मिलता है तो जल्दी बना देती है । इस विषय में जहां तक आगरा विश्वविद्यालय का संबंध है इसके स्टैट्यूट्स के बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है और विश्वविद्यालय ने देरी की है । अब कदाचित वह चांसलर के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुये कि मार्च १९५९ से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी का आश्वासन था कि वह शीघ्र ही इस विद्यालय का संबंध आगरा विश्वविद्यालय से कर देंगे तो क्या जो डेढ़ साल का समय गुजरा यह स्टैट्यूट्स में संशोधन करने के लिये काफी नहीं था ? अब क्या सरकार बतायेगी कि ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर कब तक यह विद्यालय एफीलियेट हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी आशा की जाती है कि यह स्टैट्यूट्स शीघ्र ही तैयार हो जायंगे और यह कालेज जिस तरह से स्टैट्यूट्स के अन्तर्गत चलना चाहिये जुलाई या अगस्त के महीने से चलने लगेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय यह नेशनल होम्योपैथिक मेडीकल कालेज किस के अन्तर्गत काम कर रहा है ?

श्री धर्म सिंह---यह बोर्ड आफ मैनेजमेंट के अन्तर्गत है ।

खाद के कारखाने

****१०---श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश के किन-किन स्थानों पर खाद का बड़ा कारखाना खोलने का निर्णय किया गया है ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---भारत सराकार ने निजी क्षेत्र में कानपुर, इलाहाबाद तथा मगरवारा (जिला उन्नाव) में तीन नये खाद (Superphosphate) के कारखाने खोलने, तथा मुगलसराय के निकट स्थित खाद (Ammonium Chloride) के कारखाने की क्षमता दूनी करने के लिये, राज्य सरकार की सिफारिश पर, लाइसेंस प्रदान किया है ।

इसके अतिरिक्त आशा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में, सरकारी क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार गोरखपुर में एक खाद (nitrogenous) का बड़ा कारखाना खोलेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन तीन स्थानों पर नये खाद के कारखानों का लाइसेंस प्रदान किया गया है, उनके लिए किन-किन व्यक्तियों की सिफारिश प्रदेशीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को की गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निजी क्षेत्र में लाइसेंस के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष अर्जी देते हैं और जो लाइसेंसिंग कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की है, जिसमें डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज भी जाते हैं, वह उन प्रार्थनापत्रों पर विचार करती है जो निजी क्षेत्र में उद्योग धंधों का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उस लाइसेंसिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। (श्री रऊफ जाफरी से)--बाकी सूचना आपके पास हो तो दे दीजिये।

श्री रऊफ जाफरी--एक तो लाइसेंस दिया गया है रेलीज (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई को जो मगरवारा में खुलेगा। २६ नवम्बर, १९५९ को दिया गया था और यह कहा गया था कि नवम्बर, १९६० तक पूरा किया जाना चाहिए। शायद पूरा हो गया हो। यहां पर सरकार के पास निजी कारखानों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रहती नहीं है। वैसे इसका वक्त हो चुका है।

दूसरा जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग कम्पनी, कानपुर को दिया गया। २ मई, १९६० को लाइसेंस दिया गया था और १ मई, १९६१ तक तैयार करने की बात थी।

तीसरा कारखाना दिल्ली क्लाथ ऐंड जनरल मिल्स, दिल्ली को दिया गया है, जो इलाहाबाद में खुलेगा। १४ जून, १९६० को दिया गया था। इसकी ७२ हजार टन सुपरफास्फेट तैयार करने की कैपेसिटी थी।

चौथा जो है वह यह है--साहू जैन का कारखाना जो बनारस में खुला था उसकी कैपेसिटी पहले ४० हजार टन थी, अब उसे ८० हजार टन करने के लिए इजाजत दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो खाद का कारखाना खुलने वाला है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में खुलेगा?

श्री रऊफ जाफरी--यह कहा गया है कि आशा है कि गोरखपुर में खुलेगा। ऐसा ही पार्लियामेंट में कहा गया है कि गोरखपुर में कारखाना खुलेगा, लेकिन इस पर अन्तिम निर्णय अभी हुआ नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने चार कारखाने निजी क्षेत्र में और एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोलने की बात बतायी, कृपया वह स्पष्ट करें कि कौन-कौन खादें उनमें बनेंगी, नाइट्रोजन्स या सुपरफास्फेट बनेगी और कितनी मात्रा में?

श्री रऊफ जाफरी--तीनों कारखानों में सुपरफास्फेट बनेगी जिनको नया लाइसेंस मिला है। बनारस वाले के लिए तो मैंने अलग पढ़ ही दिया था, कि वहां दूसरे किस्म की खाद बनेगी। (व्यवधान) लीजिए फिर बताये देता हूं। मगरवारा में सुपरफास्फेट बनेगा। ६० लाख की लागत वहां लगेगी और उम्मीद है कि ६० हजार टन सालाना वहां खाद बनेगी। काटन मिल कानपुर में जो खुलने वाला है उसमें ५५ लाख रुपये के करीब खर्च होगा और १९६१ में यह लग जायगा। इसकी कैपेसिटी क्या होगी यह हमारे पास नहीं है। दिल्ली क्लाथ मिल वाला जो है वह पहले बता चुका हूं कि इलाहाबाद में है और ७२ हजार टन उसकी पैदावार होगी। बनारस में जो है साहू केमिकल्स वाला उसमें ४० हजार टन पहले कैपेसिटी थी, अब ८० हजार टन की जा रही है। गोरखपुर वाला अभी बना नहीं है और उसका अभी तय भी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन्स मैन्योर वहां बनेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मान्यवर, इस सदन में कई बार घोषणा हो चुकी है कि गोरखपुर का उर्वरक कारखाना निश्चय खुलेगा और वहां जमीन ऐक्वायर करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो गई है। तो माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके निश्चय में कहां कठिनाई है, केन्द्र में दिक्कत है या प्रदेशीय सरकार को दिक्कत है और यह सब कार्यवाही बिना निश्चय के कैसे हो रही है?

श्री रऊफ जाफरी—कठिनाई नई कोई नहीं है। करीब-करीब यह तय हो चुका है। पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर की तरफ से यह करीब करीब तय हो गया है कि गोरखपुर में बनेगा, लेकिन प्लानिंग कमीशन की तरफ से आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। थोड़े दिनों में हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुए कि हमारे प्लान में प्राइवेट सेक्टर का भी पूरा स्थान है, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के जितने कारखाने निजी क्षेत्र में बनें उनकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके पास आये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे कारखानों की तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास आती है जिनको कि हम कुछ रुपया उधार वगैरह देते हैं, परन्तु दूसरों की नहीं आती है। हम डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से इस बात के लिए कहेंगे कि यदि सम्भव हो सके तो उनसे इस प्रकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवानी चाहिए।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार की तरफ से एक सर्वे कमेटी बनाई गई थी यह देखने के लिए कि यह कारखाने कहां खोले जायं और यह उस कमेटी ने शाहगंज, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के लिए भी रेकमेंड किया था ? यदि हां, तो वहां न खोल कर गोरखपुर में यह कारखाना क्यों ले जाया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—गोरखपुर में यह कारखाना कायम करने में सुविधायें है कि वहां से जो स्टील के कारखाने हैं और दूसरी चीजें हैं वह करीब पड़ती है, कच्चा माल मिलने में वहां आसानी है, इसलिए वहां खोला गया और एक यह भी बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी लाइन पर एक कारखाना मिला है, हम इस कोशिश में भी हैं कि हमको एक और खाद का कारखाना ऐसा मिल जाय जिसको कि ब्राड गेज से सर्व हो सके। हम उम्मीद रखते हैं कि मिल भी जायगा, लेकिन यह प्राइवेट सेक्टर में होगा। जौनपुर में करते तो शायद यह दोनों कारखाने आपको मिलते भी न।

**११—श्री त्रिलोकीसिंह—[स्थगित किया गया]

प्रश्नोत्तर के समय मंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति

(श्री अध्यक्ष ने प्रश्न ११ का उत्तर देने के लिये सहकारिता मंत्री को पुकारा, किन्तु वह अनुपस्थित थे।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, असाधारण परिस्थिति है कि कोई मंत्री सरकार की तरफ से उत्तर देने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको मैं दूसरे रोज लूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने स्वतः इसको देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो आप पूरक प्रश्नों का उत्तर दे भी नहीं सकेंगे। इसको मैं दूसरे रोज ले लूंगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

जिला परिषदों की सदस्यता के लिये ग्राम प्रधानों के चुनाव का स्थगन

**१२—कुंवर श्रीपालसिंह, राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) तथा श्री लायकसिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर, जालौन, मैनपुरी आदि जनपदों में प्रत्येक विकास खण्ड से जो कतिपय ग्राम प्रधानों का चुनाव अन्तरिम जिला परिषदों की सदस्यता के लिये दिनांक २०-२-६१ को होना तय किया गया था स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--हां, ग्राम प्रधानों द्वारा अन्तरिम जिला परिषदों की सदस्यता के लिये चुनाव जिन्हें २० फरवरी, १९६१ तक करा देने का विचार था स्थगित कर दिये गये हैं। यह इसलिये किया गया कि बहुत से नव-निर्वाचित प्रधान हैं जो इस कारण कि उनके यहां की गांव पंचायतें अभी संघटित नहीं हो सकती हैं उन निर्वाचनों में न खड़े हो सकेंगे न अपना वोट दे सकेंगे उन्हें वोट देने तथा उम्मीदवार होने का अधिकार देने के लिये उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ में आवश्यक प्राविधान किया गया है। उक्त विधेयक विधान सभा में पारित हो चुका है। उसको अधिनियम बन जाने के बाद इन चुनावों की व्यवस्था की जायेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अधिनियम के बन जाने की कितने दिनों में आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--समय बताना तो सम्भव नहीं है। विधान सभा से पास कर दिया गया है। परिषद् के सामने २७ को आयेगा। जब अधिनियम बन जायगा तो उसके बाद तुरन्त ही चुनाव करा दिया जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---अधिनियम बन जाने के कितने दिनों बाद चुनाव हो सकेगा, क्या माननीय मंत्री कृपाकर इसकी सूचना देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिनियम बन जाने के बाद २० दिन के अन्दर चुनाव हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस सदन में माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा था कि यह चुनाव इसलिये नहीं हो सके कि अन्तरिम जिला परिषदों के लिये कुछ गांव सभायें कांस्टीट्यूट नहीं हो सकी थीं और आज यह उत्तर दिया गया कि वह इसलिये नहीं हो सके कि अन्तरिम जिला परिषदों का बिल पास नहीं हुआ है। इनमें कौन-सा उत्तर सही है यह सरकार स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तर में कोई भेद नहीं है। उस वक्त भी यही कहा था और इस वक्त भी यही कह रहा हूं। गांव सभा संगठित तब तक नहीं मानी जाती, जब सदस्यों के चुनाव पूरे न हो जायं। बहुत-सी जगहों में सदस्यों के चुनाव नहीं हुये हैं, लिहाजा व संगठित नहीं मानी जायेंगी। अगर संगठित नहीं हुई हैं तो प्रधान वोट नहीं दे सकेंगे। उनके संगठित करने का प्राविधान इस बिल में कर दिया गया है। अधिनियम बन जाने पर वो वोट देंगे वरना यह भी सम्भव हो सकता है कि उस वक्त चुनाव करा देते तो पुराने प्रधान खड़े होते और पुराने प्रधान वोट दे देते।

"राधा कृष्ण आयोग" की रिपोर्ट

१३---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये नियुक्त "राधा कृष्ण आयोग" की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---सरकार ने एक समिति श्री राधा कृष्ण जी की अध्यक्षता में नियुक्त की थी जिसका उद्देश्य यह था कि वह अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारणों की जांच करे और इस प्रतिनिधित्व को उनके लिये आरक्षित प्रतिशत तक बढ़ाने के साधन तथा उपायों की सिफारिश करे। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। यह रिपोर्ट अभी गोपनीय है। इसलिये उसकी सिफारिशें अभी सदन के सामने रखना उपयुक्त न होगा।

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि समिति की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और उस पर सरकार कब तक विचार कर लेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने तारीख इत्यादि देखी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--आप कह सकते हैं कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है वह गोपनीय किस माने में है और अगर गोपनीय नहीं है तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने कह दिया कि वह गोपनीय है ।

श्री प्रतापसिंह--तो उसका कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जितनी इस प्रकार के आयोगों आदि की रिपोर्ट्स आती हैं उन पर सरकार जब तक विचार नहीं कर लेती है कोई और निर्णय नहीं ले लेती है उस समय तक वे गोपनीय रहती है और इसी कारण से यह रिपोर्ट भी गोपनीय है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी सत्र में क्या वह रिपोर्ट सदन के विचार के लिये आ जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जब हम निर्णय ले लेंगे और मुनासिब समझेंगे तब सदन के सम्मुख उसे प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[१७-२-६१ के माननीय शिक्षा मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स

*४७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन किन-जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा एसोशियेट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स हैं और क्यों ? प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--

जिलों के नाम जहां एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है:--

मेरठ	११२
वाराणसी	८४
इलाहाबाद	७५
लखनऊ	६४
कानपुर	६२
नैनीताल	१७

कार्य की अधिकता के कारण एसोशियेट इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं ।

*४८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में लिपिकों की संख्या नियत करने का आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--लिपिकों की संख्या छोटे-बड़े जिलों पर आधारित है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, १७ तारीख को जिस लिये उत्तर स्थगित किया गया था आज फिर वही उत्तर दिया गया है। आपने प्रश्न स्थगित इसलिये किया था कि उत्तर पूरा नहीं था और इसलिये दूसरा उत्तर देने के लिये समय निर्धारित किया था। किन्तु आज भी ठीक वही उत्तर हाउस के सामने पेश है जो उस दिन दिया गया था। उसमें कोई संशोधन नहीं है। मैंने पूछा था कि "प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?" इसका उत्तर इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह बड़े ताज्जुब की बात है। उस रोज भी ६ जिलों की सूचना दी थी और आज भी ६ जिलों का बता दिया है। उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं और क्यों ? प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ? तो इसमें प्रत्येक जिले में विद्यालयों की जो संख्या होनी चाहिये वह दी ही नहीं है। वह रह गयी है।

श्री रामस्वरूप यादव—जहां एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं। उन जिलों में जो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है वह मैंने पढ़ दी। उस दिन जो उत्तर श्रीमान के पास पहुंचा था उसमें और जो मैंने उत्तर पढ़ा था उसमें फर्क था।

श्री अध्यक्ष—आप यह समझे कि प्रश्न का दूसरा भाग पहले से संबंधित है। जिन-जिन जिलों में एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं उन्हीं के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या वे पूछना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, वैसे वह लिस्ट भी मेरे पास है और वे जब चाहें, मैं उनको दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं फिर इसको पोस्टपोन करता हूं और आप यह समझ कर कि वे हर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जानना चाहते हैं ताकि वे कह सकें कि जब किसी जिले में अधिक संख्या विद्यालयों की है तो वहां क्यों एसोशियेट इन्सपेक्टर नहीं रखे गये, प्रत्येक जिले के विद्यालयों की संख्या दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—दूसरी बार भी कहीं ऐसा न हो जाय जैसा कि इस बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आप नोट कर लें।

श्री शिवप्रसाद नागर—नया-नया मामला है। आप थोड़ी-थोड़ी मदद करते रहें ताकि काम चलता रहे।

(प्रश्न *४७–४८ स्थगित किये गये।)

[२४ फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शिक्षा संचालक कार्यालय, प्रयाग में लिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा

*१—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शिक्षा संचालक के प्रयाग कार्यालय में मई, १९६० में लिपिकों के पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने शिक्षार्थी आये थे और कितनों को चुनना था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ५०३ अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये थे और उसमें से ९० अभ्यर्थी मुख्य तथा २७ पूरक सूची में चुने गये।

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फल घोषित कर दिया गया और क्या सफल अभ्यर्थियों को लिपिकों के पद पर रखा गया ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। नियुक्ति पाने वाले सफल अभ्यर्थियों को।

जी हां। आवश्यकता और उपलब्ध रिक्त स्थानों के अनुसार। अक्तूबर–नवम्बर, १९६०।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये थे यह किस महीने में सम्मिलित हुये थे और इनकी कब नियुक्ति हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—मई, सन् १९६० में रजिस्ट्रार महोदय ने एक परीक्षा कराई थी और जैसा कि मैंने उत्तर दिया, ९० अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि "ए" लिस्ट में आये थे और उसमें से ६५ की नियुक्ति के लिये आज्ञायें निकाली जा चुकी थीं। बाकी के लिये यह किया गया है कि ज्यों–ज्यों स्थान होते जायेंगे, उनको नियुक्त किया जायगा।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकिया जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, उनकी नियुक्ति कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—समय बताना तो सम्भव नहीं है। मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे रिक्त स्थान होंगे, उन पर उनकी नियुक्ति होती जायगी।

*३—श्री मदन पांडेय—[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कक्षा १ से ६ तक निःशुल्क शिक्षा के लिए क्षति पूर्ति अनुदान का भुगतान

*४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार की योजनानुसार प्रदेश की जिन पाठशालाओं में कक्षा एक से ६ तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है उन सबों को गत वर्ष तथा इस वर्ष की स्टेट–ग्रान्ट का भुगतान हो चुका है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, दिसम्बर, १९६० तक देय क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भुगतान किया गया वह कितने दिनों की बकाया रकम थी और कब दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—तिथियां तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन बजट के अन्दर जो रुपया इसके लिये सैंक्शन होता है, उसी के अनुसार दिया जाता है।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, सवाल का गोल मोल उत्तर दे दिया जाता है। मैंने पूछा था कि आखिरी बार जब रकम का भुगतान हुआ तो वह कितने महीनों की बकाया रकम थी और उसका कब भुगतान किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर में दिसम्बर, १९६० बताया था और उससे पहले की सब रकम का भुगतान हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—वह कितने दिन का था, वह जानना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास क्या ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि रिइम्बर्समेंट ग्रान्ट को देने में काफी विलम्ब भी होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायतें तो बहुत से लोग अवश्य किया करते हैं, लेकिन बात यह है कि विद्यालयों से कभी कभी गलत आंकड़े भी तो आते हैं और वे समय से नहीं भेजते हैं। फिर उन आंकड़ों को देखने में समय लगता है, लेकिन फिर भी शासन की तरफ से रुपया समय के अन्दर ही दिया जाता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा १–६ तक रिइम्बर्समेंट करने के बारे में शिकायतें पहले भी इस सदन में आई थीं और क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि देवरिया तथा अन्य जिलों में इसका पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है और उसको इस वर्ष के अन्दर ही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—किसी विशेष जिले की शिकायत के बारे में यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच अवश्य करा ली जायेगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी, माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने जो कहा, उसी को सूचना मान कर गोरखपुर और देवरिया जिलों के बारे में तथा अन्य जिलों के बारे में जिनके बारे में अन्य माननीय साथी कह रहे हैं, जहां पर कि ६-६ महीनों तक तनख्वाहों का भुगतान नहीं होता है, इस तरह की देरी के कारणों से तथा वह ग्रान्ट क्यों इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां पड़ी रहती है, इस सब की जांच कराने की कृपा करेंगे और जहां भुगतान नहीं हुआ है अभी तक, उसका भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक मैं समझता हूं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी जांच कराने की आवश्यकता हो। हम तो पैसा जल्दी दे देते हैं। हमने दिसम्बर, १९६० तक का भुगतान कर दिया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा १–५ तक का जो रिइम्बर्समेंट होता है, वह जो विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या होती है उसको देखकर नहीं होता है, बल्कि जो ३ साल पहले की संख्या होती है, उसके आधार पर होता है ? अगर ऐसा है तो क्यों है ?

श्री रामस्वरूप यादव—संख्या तो पहले ही साल की देखी जाती है और उसी के हिसाब से दिया जाता है। यह सम्भव नहीं हो सकता कि अगले साल की संख्या के हिसाब से दिया जाया करे। जहां तक ३ साल का सवाल है, इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी ने अभी कहा कि जो पिछले वर्षों के आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर भुगतान होता है स्टेट ग्रान्ट का और इसके पहले उन्होंने उत्तर दिया था कि विद्यालय के लोग भेजने में देर करते हैं इसलिये भुगतान नहीं होता है तो इन दोनों उत्तरों में से कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दोनों उत्तरों का एक ही आशय है। विद्यालय भी अपनी तरफ से देरी करते हैं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—मन्त्री जी बतायेंगे कि दर्जा एक से ५ तक नयी ग्रान्ट देने की कोई प्रथा सरकार के पास है ही नहीं क्योंकि उसने इनकार कर दिया है कि ऐसे स्कूलों को नई ग्रान्ट नहीं देंगे और जो पहले दे चुके हैं वही ग्रान्ट कन्टीन्यू करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---क्या प्रश्नकर्ता महोदय का आशय यह है कि हम नयी पाठशालायें नहीं लेंगे ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मेरा आशय यह है कि जिन विद्यालयों में तिगुने चौगुने विद्यार्थी बढ़ गये हैं उनको नयी ग्रान्ट नहीं देंगे बल्कि ६ वर्ष पहले जो ग्रान्ट दे रहे थे वही देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---६ वर्ष पहले पर तो ग्रान्ट नहीं दी जाती, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े जरूर विचार में रखे जाते हैं जिस समय ग्रान्ट दी जाती है ।

*५---**श्री मदन पांडेय**---[२१ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*६---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[२१ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*७-८---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---[३ जुलाई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा रोडवेज कार्यालय में असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के लिये पेनल

*९---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---विधान सभा के दिनांक ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१-५२ के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवप्रसाद, बी० ए० का प्रार्थना-पत्र कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेशीय सरकार को सितम्बर, १९५८ में ही प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त कार्यालय द्वारा दिनांक १४ सितम्बर, १९५८ को श्री शिवप्रसाद शुक्ल, बी० ए० के प्रार्थना-पत्र को उचित कार्यार्थ जनरल मैनेजर, गवर्नमेंट रोडवेज, लखनऊ के कार्यालय को भेजने के साथ ही एक प्रतिलिपि श्री शिवप्रसाद शुक्ल को भी भेजी गई थी ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां । श्री शिवप्रसाद शुक्ल का प्रार्थना-पत्र दिनांक २५ दिसम्बर, १९५८ को उचित कार्यवाही हेतु जनरल मैनेजर, लखनऊ रोडवेज को भेजा गया था ।

*१०---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या मंत्री परिवहन यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १५ सितम्बर, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९६० तक कितने व्यक्तियों को ए० टी० आई० के पद पर जनरल मैनेजर, गवर्नमेंट रोडवेज, लखनऊ के कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है और क्या यह सारी नियुक्तियां उपर्युक्त प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर में बताई गई १९५८ में बनाई गई वेटिंग लिस्ट में से ही की गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---१५-९-५८ से ३१-१०-६० के बीच तीन कर्मचारियों की ए० टी० आई० के पद पर वैभागिक पदोन्नति की गई थी । इसलिये वेटिंग लिस्ट में से भर्ती करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुहकमें में तरक्की का उसूल सीनियरटी और मेरिट रहा है या केवल सीनियरिटी ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस वक्त तफसील तो नहीं है, लेकिन मेरा खयाल है दोनों ही होगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ की बनी वेटिंग लिस्ट अभी भी कायम है या वह समाप्त कर दी गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---अभी कायम है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस वेटिंग लिस्ट मे जिन अभ्यर्थियों के नाम लिखे हैं उन्हें ए० टी० आई० के पद पर जाने का अवसर मिलेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, उनमें से एक को सन् १९६१ में लिया भी गया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस विभाग में सर्विस रूल्स बने हुये हैं और उन्हीं के आधार पर पदोन्नति वगैरह की जा रही है या किसी दूसरे ढंग से ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तफसील इस समय मेरे पास नहीं है।

उर्दू माध्यम के इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों की शिकायत

*११--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० के बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा में कितने विद्यार्थियों को उर्दू के माध्यम से प्रश्न-पत्रों को लिखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--१८९ को।

*१२--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कुछ शिकायती-पत्र सरकार को भेजे गये हैं कि उर्दू के माध्यम से लिखी गई कापियां पुनः पूरा उर्दू जानने वाले व्यक्तियों द्वारा जंचवाई जाय? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ किन्तु परिषद् के नियमानुसार कापियां पुनः जंचवाने का कोई नियम नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् संतुष्ट है कि सम्बन्धित परीक्षक को उर्दू भाषा का समुचित ज्ञान है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने शिकायती पत्र भेजा है वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी है और उसको तमाम नम्बर प्रथम श्रेणी के मिले हैं केवल इंन्डियन हिस्टरी जिसका पर्चा उसने उर्दू में लिखा उसमें वह दो बार फेल हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रथम श्रेणी का छात्र है, लेकिन एक विषय में असफल रहा, इसके बारे में मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह विद्यार्थी कितनी बार इण्डियन हिस्टरी में फेल हुआ, इसकी सूचना सरकार के पास है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने विद्यार्थियों ने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये थे कि उन्हें उर्दू में लिखने की इजाजत दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--१७६ व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे और १३ संस्थागत थे, कुल १८९ थे।

*१३--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--[२१ फरवरी, १९६१ को प्रश्न २७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१४-१६--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७—श्री ऊदल—[२८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[२८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९-२१—श्री भगवतीसिंह विशारद—[७ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२-२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२१ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३४-३५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[७ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*२५-२७—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये] ।

लखनऊ-कानपुर बस सर्विस

*२८—श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर और लखनऊ के बीच नित्य कितनी रोडवेज की सरकारी बसें चलती हैं और अगस्त माह, १९६० में कितने यात्रियों ने उन पर यात्रा की ?

श्री मुजफ्फर हसन—१४ बसें । माह अगस्त, १९६० में कुल ८८,७२ यात्रियों ने इन बसों द्वारा यात्रा की ।

*२९—श्री मुरलीधर—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन बसों से सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग पर कितना माहवारी खर्च होता है और इन बसों की कुल कीमत कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—६,४८५ रु० प्रति माह सम्बन्धित कर्मचारियों पर खर्च होता है और इन बसों की मौजूदा कीमत २,८३,१५७ रुपया है ।

श्री मुरलीधर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन बसों में उन बसों की संख्या भी शामिल है जो कानपुर से लखनऊ और उसके आगे जाती हैं या आगे से कानपुर होती हुई लखनऊ आती हैं ? यदि नहीं, तो कुल बसों की, उनको मिलाकर, कितनी संख्या होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें वह संख्या नहीं है । उन बसों की जो दूसरी जगहों से कानपुर होती हुई लखनऊ आती हैं या दूसरी जगहों से लखनऊ होती हुई कानपुर जाती हैं, उनकी संख्या ३५ है ।

श्री मुरलीधर—सरकार ने कुल खर्च ६,४८५ रुपया बताया तो कुल आमदनी कितनी होती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सवाल पूछा नहीं गया था, जो पूछा गया उसी का जवाब दिया गया ।

*३०-३२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३३-३४—श्री रामदुलारे मिश्र—[हटा दिये गये ।]

*३५—श्री रामदुलारे मिश्र—[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

ए०टी०आई० के चुनाव में पिछड़े तथा परिगणित वर्ग के लोग

*३६—श्री भजनलाल—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ व १० दिसम्बर, १९६० को जी० एम०, कानपुर की अध्यक्षता में ए० टी० आई० का चुनाव हुआ था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । कथित चुनाव उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज संचालन) की अध्यक्षता में हुआ था ।

*३७—श्री भजनलाल—यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति चुने गये ? उनमें कितने परिगणित जाति के और कितने पिछड़े वर्ग के थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—कुल १२ उम्मीदवार चुने गये थे । जिनमें परगणित जाति के दो और पिछड़े वर्ग का एक उम्मीदवार है ।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ९ और १० दिसम्बर को कानपुर में जो ए० टी० आई० का चुनाव हुआ था उसमें १२ में सिर्फ दो हरिजन और एक बैकवर्ड क्लास को ही लिया गया ? ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जो उसमें आया वह लिया गया ।

श्री भजनलाल—क्या यह सही है कि उसमें भाग लेने वाला एक राजाराम, ग्राम ताजपुरवा था जो अर्थशास्त्र में एम०ए० था, उसने भी प्रार्थना-पत्र दिया था, उसका भी निर्वाचन नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो आपको नोटिस देना होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त पद के संबंध में कोई विज्ञापन हुआ था या जितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे उनको सम्मिलित होने के लिये सूचना दी गयी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास यह तफ्सील नहीं है ।

*३८-४०—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

मूक वधिर प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*४२—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वधिर प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में इस वर्ष सात मास बीत जाने पर भी विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगुलकिशोर)—मूक वधिर प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ की ओर से छात्रवृत्ति के प्रस्ताव निदेशक समाज कल्याण के कार्यालय में अगस्त, १९६० के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुये थे । किन्तु विभागीय जांच पूरी न होने के कारण सितम्बर में आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अक्तूबर में गोमती की बाढ़ का पानी निदेशकालय में लगभग ८ फीट की गहराई तक भर गया और परिणामतः पूरा रिकार्ड या तो नष्ट हो गया या अस्तव्यस्त हो गया । निदेशकालय की कार्य प्रगति को अपनी स्वाभाविक स्थिति में लाने में लगभग डेढ़ महीना लगा । अतः छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव शुरू दिसम्बर तक शासन को भेजे जा सके ।

शासनादेश जनवरी १८, १९६१ को निदेशकालय में प्राप्त हुये जिनसे विद्यालय को २० जनवरी, १९६१ को सूचित कर दिया गया । वस्तुतः विलम्ब का कारण कार्यालय में बाढ़-जनित अस्तव्यस्तता थी ।

जमुनाप्रसाद हिन्दू गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, कन्नौज की सहायक अध्यापिका का आवेदन-पत्र

*४३—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमुनाप्रसाद हिन्दू गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, कन्नौज, फर्रुखाबाद की किन-किन सहायक अध्यापिकाओं के representations सरकार तथा शिक्षा विभाग की रीजनल इंस्पेक्ट्रेस आफ स्कूल्स, इलाहाबाद के कार्यालय में जनवरी, १९६० से ३० अगस्त, १९६० तक आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

आचार्य जुगुलकिशोर—केवल एक सहायक अध्यापिका ने १८ मई, १९६० को आवेदन-पत्र अपनी सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में भेजा था । रीजनल इंसपेक्ट्रेस आफ गर्ल्स स्कूल्स ने उस अध्यापिका की पुनः नियुक्ति के आदेश दे दिये हैं ।

बोर्ड की परीक्षा में नकल करने के अपराधी परीक्षार्थी

*४४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक वर्ष १९५९-६० की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोक लिया गया था उनमें से कितने जांच के बाद पास घोषित किये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—हाई स्कूल—२५७ ।

इंटर—१८४ ।

*४५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक वर्ष १९५९-६० की हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षा में किन-किन स्कूलों के कितने-कितने छात्र नकल करने के अपराधी सिद्ध हुये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६० की इंटरमीडियेट तथा हाई स्कूल परीक्षाओं में विभिन्न विद्यालयों के ऐसे छात्रों की संख्या जो सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के अपराधी सिद्ध हुये संलग्न तालिका (क) व (ख) में दी जा रही है ।

इनके अतिरिक्त इन्टरमीडियेट परीक्षा में ३८२ तथा हाई स्कूल परीक्षा में ५४२ परीक्षार्थी छुटपुट नकल के अपराधी सिद्ध हुये । छात्रों के उनके अपराध के अनुसार निम्न प्रकार के दंड दिये गये :

(१) १९६० की परीक्षा रद्द करना ।

(२) १९६० की परीक्षा रद्द करने के साथ १९६१ की परीक्षा से वंचित किया जाना ।

तथा

(३) १९६० की परीक्षा रद्द करने के साथ १९६१ व १९६२ की परीक्षा से वंचित किया जाना ।

स्कूलवार छुटपुट नकल के अपराधी छात्रों का विवरण तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तृत सूचना देना इतना बड़ा काम है कि उक्त सूचना एकत्र करने से जो लाभ होगा वह सूचना एकत्र करने के श्रम व व्यय के तुल्य न होगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५५--३५७ पर)

लखनऊ--कानपुर रोड पर बस से कीमती सामान का ट्रंक गायब होना

*४६--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मन्त्री परिवहन को पता है कि कानपुर--लखनऊ और लखनऊ से कानपुर आने-जाने वाली रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का माल अक्सर गायब होने की घटनायें निरन्तर बढ़ रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं।

*४७--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या यह सही है कि दिनांक १९ नवम्बर, १९६० को दोपहर के बाद लखनऊ से कानपुर जाने वाली ३१२२ नम्बर की नान-स्टाप बस से लखनऊ से कानपुर जाने वाले एक सम्मानित यात्री का ट्रंक जिसमें कई हजार रुपये के जेवर और कीमती कपड़े थे गायब कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट पुलिस और रोडवेज स्टेशन इंचार्ज, कलक्टरगंज, कानपुर को भी की जा चुकी है ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस सिलसिले में एक रिपोर्ट विभाग में आई है और मामले की जांच की जा रही है । मुझे भी इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने सूचित किया है ।

*४८--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस मामले की जांच पुलिस तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है।

आर्य समाज मंदिर, मल्लीताल, नैनीताल में पारित प्रस्ताव

*४९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के शिक्षा विभाग को २५ सितम्बर, १९६० को आर्य समाज मन्दिर, मल्लीताल, नैनीताल में संरक्षक समिति, नैनीताल की ओर से की गई सार्वजनिक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। संरक्षक समिति, नैनीताल द्वारा पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर ३५८--३६०)

एम०एम०कालेज, खेकड़ा, मेरठ के प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायतें

*५०--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास एम० एम० कालेज, खेकड़ा, मेरठ के प्रबन्धकों के विरुद्ध सितम्बर, अक्तूबर, १९६० में कुछ शिकायतें आई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

*५१--श्री भगवतीसिंह विशारद-- यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर-- शासन द्वारा इन शिकायती पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि ये पत्र शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को भी पृष्ठांकित थे और यह विश्वास था कि नियमानुसार यह दोनों अधिकारी स्वयं इन शिकायती-पत्रों पर ध्यान देंगे ।

मंत्री द्वारा प्रश्नों के स्थगित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, यह प्रश्नकाल विरोधी दलों का एक हक होता है। मैं आप का ध्यान नियमावली ३६ की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में यह सवाल उठाया था तब आपने कहा था कि कोई निश्चित सवाल हो, उसको प्वाइन्ट आउट कीजिये, तब व्यवस्था देंगे। तो मैं प्रश्न संख्या १३ और ४७ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रश्न संख्या १३ जो पोस्टपोन किया गया है, मैं प्रक्रिया नियमावली से पढ़ कर बतलाना चाहता हूं कि किस दशा में कोई प्रश्न स्थगित किया जा सकता है।

36. *Postponement of question due to absence of Minister*—In the event of the absence of the Minister concerned on account of special or unexpected circumstances, the Speaker, on a request being made in that behalf, may postpone the question to any future day.

यानी वही प्रश्न स्थगित माना जायेगा जब कि किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज की वजह से कोई मिनिस्टर हाजिर न हो। माननीय त्रिलोकीसिंह के प्रश्न का उत्तर तो उनको बाकायदा मिनिस्टर साहब के दस्तखत से मिल गया था और मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि इतनी गैरजिम्मेदार है कि करीब ५ मिनट तक मिनिस्टर की तलाश की जाती रही और जबकि सारी दुनिया में इस तरह की परम्परा की बात कही जाती है कि सब को ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन जवाब देने के लिये कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। दूसरे प्रश्न ४७ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके लिये आप ने कहा कि नोटिस मांग लें और पहले भी बहुत दफा आप कह चुके हैं कि मिनिस्टर को मैं जवाब देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रक्रिया नियमावली में दिया है—

"39. *Manner of answering questions*—(1) Answers to questions shall be relevant to the subject-matter of questions and may take the form of laying statements on the table of the Assembly if so decided by the Speaker.

(2) A question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the Minister shall state the position accordingly, and the Speaker may allow such further time as he may under the circumstances deem proper and fix a date for the answer."

इसलिये प्रश्न का जवाब ऐसा होना चाहिये जो रेलिवेंट हो। अब हम पूछें कि पानी है या नहीं और जवाब दिया जाय कि इसके लिये तो प्रार्थना-पत्र ही नहीं था, तो यह कोई जवाब नहीं हुआ।

मैं अधिक समय न लेकर आखिरी बात कहना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ हुई है। विरोधी दल जो सवाल करता है वह इसलिये नहीं करता है कि हम कांस्टीटुएंसी में जाकर उसका प्रचार करें और वह अखबारों में छपे, बल्कि कुछ समस्यायें होती हैं जिनके समाधान के लिये हम प्रश्न करते हैं। तो हम लोग हमेशा के लिये आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि मंत्री महोदय को किस स्थिति में और कब प्रश्नों के पोस्टपोन का मौका होना चाहिये और जो तौर तरीका सरकार चला रही है उसमें कोई बदलाव होना चाहिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष—जैसा कि प्रोटपोनमेंट के सम्बन्ध में आपने नियमावली को पढ़ा, उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई मंत्री सदन में किसी दिन नहीं आना चाहता है या नहीं आ सकता हो तो वह मुझे इस प्रकार से प्रार्थना भेजे कि हम आज नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं यह देखता हूं कि आज यह पहला ही मौका है कि सहकारिता मंत्री जी ढूंढ़ने पर भी नहीं मिले और कई मिनट तक कोई दूसरा मंत्री भी नहीं खड़ा हो सका उसका उत्तर देने के लिये। तो

मैं समझता हूं कि यह बात अनुचित है और इस विषय में खासतौर पर मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को ताकीद कर देना चाहिये हर एक मिनिस्टर को कि वह उपस्थित रहें, नहीं तो इससे सदन की तौहीन होती है ।

जहां तक प्रतापसिंह जी ने कहा कि उसी हालत में प्रश्न मुल्तवी किया जा सकता है जब कि कोई विशेष परिस्थिति हो और अध्यक्ष किसी दूसरे दिन उसका उत्तर देने के लिये उसे बाध्य कर सकता है। तो इसे मैं मुल्तवी तो कर ही सकता हूं और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष यहां तक कह सकता है कि मंत्री जी का उपस्थित न रहना अनुचित है। तो मैंने कह भी दिया कि अनुचित है ।

जहां तक प्रश्न ४७ का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को उसका जवाब देने में गलतफहमी कुछ हो गयी। मेरा खयाल है कि जिन जिलों के सम्बन्ध में सवाल पूछा गया था इससे उन्होंने अर्थ लगा लिया कि प्रश्न का अन्तिम भाग भी उन्हीं जिलों से सम्बन्धित है। पिछली दफा भी इस तरह की बात हो चुकी थी, लेकिन वे भूल गये। इस बारे में अपने यहां से नोट करा कर उसे उनके पास भेज रहा हूं कि उत्तर किन जिलों के बारे में होना चाहिये। आप का प्रश्न सारे प्रदेश के जिलों की लिस्ट से था । लेकिन उन्होंने प्रश्न के पहले भाग में पूछे गये जिलों से ही इसका सम्बन्ध समझा । तो मैं समझता हूं कि जो गलती हुई है वह भी गुड फेथ में ही हुई है, लेकिन वह भी नहीं होनी चाहिये। चूंकि पिछले वक्त इसी बात पर टीका की गयी थी, उन्हें याद रखना चाहिये था ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के पोस्टपोनमेंट के सम्बन्ध में कुछ सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—चूंकि आज बहुत लोगों को बोलना है इसलिये मैं तो प्रश्नों को ही मुल्तवी करने वाला था। आप इसको किसी दूसरे रोज ले लीजियेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का जवाब दिया गया है इसी सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष—वह आप किसी और दिन कीजिये, आज आप इसमें समय न लें, बहुत लोग बोलना चाहते हैं। आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं सदन को सूचना देता हूं कि "उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ जो विधान सभा द्वारा १७ फरवरी, १९६१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २३ फरवरी, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है"।

नियम ५२ के अन्तर्गत बादशाहनगर (लखनऊ) स्टेशन के पास बदमाशों द्वारा एक नागरिक की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार मैंने एक प्रश्न की इजाजत दी है कि इसके सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाय। वह श्री भीखालाल जी का है जो इस प्रकार है : "मैं आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

कल दिनांक २३–२–६१ को प्रातःकाल बादशाहनगर (लखनऊ) स्टेशन के पास एक व्यक्ति की लाश लाइन के किनारे पाई गई। पता चला है कि उक्त व्यक्ति बम्बई में नौकर था और वह अपने घर वापस जा रहा था। लखनऊ में गाड़ी बदलते समय कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। वह भयभीत दशा में बादशाहनगर स्टेशन पर उतर पड़ा और अपने को स्टेशन मास्टर के संरक्षण में सौंप दिया परन्तु उस की बदमाशों से रक्षा न हो सकी और वह कत्ल किया हुआ लाइन के किनारे पाया गया। इस घटना से जनता में काफी असुरक्षा व क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया है।"

मंत्री जी आज या किसी और दिन इस विषय में वक्तव्य दे दें।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—आज तो कोई सूचना इस सम्बन्ध में मेरे पास नहीं है, मैं मंगलवार को सूचना दे दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में लगान की अनियमित वसूली के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि चकबन्दी के सम्बन्ध में मालगुजारी वसूल की जा रही है। लैंड रेवेन्यू डिमान्ड करेक्शन स्कीम एक चली है जिसकी रू से जो लोग कई साल से जमीन पर काबिज हैं और मालगुजारी नहीं दिये हैं और जिनका इन्द्राज नहीं हुआ है, उन की दुरुस्ती के बाद जो रकम उन के जिम्मे बरामद होती है वह वसूल हो रही है। यह कहना कि १९५९ से १९६६ तक बराबर वसूली एक साथ हो रही है, ठीक नहीं है। सरकार का आदेश है, १५ अप्रैल, १९६० को यह हुक्म जारी हुआ कि एक करेन्ट साल के लगान के साथ एक साल की पिछली बकाया वसूल की जाय यानी २ साल का लगान एक बार में लिया जाय। इस तरह से ५–६ साल की बकाया ५–६ साल में वसूल की जाय और ११ अगस्त, सन् १९६० और १२ सितम्बर, सन् १९६० को फिर सरकार ने उपरोक्त आदेश दोहराये थे कि ६–७ साल का लगान एक साथ वसूल किये जाने की बात ठीक नहीं है। कलेक्टर ने भी यही जवाब दिया है कि १९५९ से १९६६ तक की मालगुजारी एक साथ नहीं वसूल की जा रही है। यह आदेश भी जारी किया गया था कि जिन के इस तरह के मामले हों उन को नोटिस दिया जाय और वह उज्रदारी कर सकेंगे और जिनके मामले कतई हो गये हों और मालगुजारी तशखीस हो गई हो अगर उनके पास अमीन जाता है तो हुक्म यह है कि अगर वह बकायादार लिख दे कि हम उज्रदारी करेंगे तो मामला एक मास के लिये रुक जायगा और इस तरह से वह आब्जेक्शन कर सकता है और वसूली रुक जायगी, स्टे हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि किसानों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई कि उनका लगान स्थगित हो जायगा अगर वह लिख कर दे दें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है, जब अमीन जाय तो उसको फौरन लिखकर दे दें कि हम उज्रदारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि किसानों को सूचना नहीं मिली।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब अमीन जायगा तो सूचना हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष—अमीन गया ही नहीं तो कैसे हो जाएगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब नहीं जाएगा तो वह घर बैठे। उससे कौन लेता है? जब हमारा अमीन वसूल करने जाय.....

श्री अध्यक्ष—नोटिस वह कहते हैं कि नहीं दी गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर पहले नोटिस नहीं मिली है तो उस तारीख से एक महीने के अन्दर आब्जैक्शन करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि आज भी चकबन्दी अधिकारी उस किसान से कहता है कि आप सरकार और गांव सभा को फरीक बनाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं, और किसानों का उसमें बहुत खर्चा हो रहा है और उनका कोई हित नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर १९५९ से १९६६ तक को एक साथ नहीं वसूल किया जा रहा है तो कितने सालों का किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो बता दिया उन्होंने। वह कहते हैं कि एरीयर एक साल का और करेन्ट ईयर का।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने मुहकमये माल को इस किस्म का हुक्म दिया है कि वह काश्तकारों को सूचना पहुंचाएं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। (कुछ रुक कर) मैं जरा साफ़ कर दूं। जो बिना मालगुजारी दिए हुए आराजी पर काबिज हैं और जिनका मामला देखा जाता है कि ऐसा है, उनको नोटिस दी जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी के पास कुछ शिकायतें इस किस्म की आई हैं कि उनके आश्वासन देने के बाद भी सात साल की मालगुजारी एक साथ वसूल की गई और उसकी रसीदें भी उन्हें दी गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—न तो कोई रसीद मुझे दिखलाई गई, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, और न कोई ऐसी बात आई।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब किसानों के खिलाफ यह बाकी मालगुजारी रखी गई और उनको नोटिस नहीं दिया गया था तो यह बाकी किस तरह से मानी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो यह आदेश दिया है कि नोटिस देकर तब मामले पर विचार किया जाय और तब असेस किया जाय। ऐसा ही हम समझते हैं, हुआ है और अगर नहीं हुआ और असेस हो गया है तो अमीन जब वसूल करने जायगा तब नोटिस समझी जायगी। तब भी मैंने उज्रदारी करने का हुक्म दिया है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बताएंगे कि बाकी कायम करने के पहले सरकार ने कोई कानूनी सलाह ली थी कि उचित है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो बिलकुल उचित है। आप जमीन जोतें और मालगुजारी न दें ?

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी न्याय मंत्री जी ने बताया कि जब अमीन वसूल करने जाय तो वह लिखकर दे कि उज्रदारी करनी है, लेकिन वह भैंस, बैल कुर्कर ले तो उसका क्या इंतजाम किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बैल वह कुर्क कर ही नहीं सकता, नाजायज कुर्की होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस उज्र-दारी की सुनवाई के लिये---जैसी कि सब तरफ से काफी शिकायतें आ रही हैं---सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार देंगे कि वह उन क्षेत्रों में जाकर उनका फैसला कर दे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---काम ठीक चल रहा है, जैसा चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को जो कठि-नाई है और जो नाजायज वसूली है उसके बारे में जब तक किसी कमेटी से जांच न करवाई जाय तब तक वसूली को रुकवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई तहकीकात की जरूरत नहीं है । कलेक्टर गलत नहीं लिखता, परन्तु फिर से उनसे पूछेंगे कि कोई खिलाफवर्जी इस कानून की न हो ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी ने कहा कि सी० एल० आर० डी० स्कीम के अनुसार कागजात की दुरुस्ती की गई है । तो कभी ऐसा होता है कि किसान लगान नहीं देता है और कभी लेखपाल गलती स्वयं करता है । सी० एल० आर० डी० स्कीम के अनुसार जब सुधार होता है । तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है कि लेखपाल की गलती का खमियाजा किसानों को न भोगना पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तक तो किसानों ने उठाया है फायदा, बिला मालगुजारी दिये हुए पैदा की ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यदि सरकार को इस बात के प्रमाण दिये जायं कि बैलों की भी कुर्की हुई है तो जो नुकसान इसके कारण किसानों को हुआ होगा वह सरकार देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नुकसान देने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जो अमीन ऐसा करेगा उसको सजा दी जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुए कि कलेक्टर कभी गलत नहीं लिखता उसको जिलाधीश के अलावा धर्मराज का टाइटिल देने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब आप आवेंगे तो आप ही कीजियेगा हम तो अभी ऐसे ही रखेंगे ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, अपनी एक सूचना के आधार पर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बावजूद इनकी सदन में घोषणा के ६, ७ साल की वसूली हुई है और मंत्री जी ने कहा था कि हम हुक्म नहीं देंगे यहां की घोषणा ही काफी है । उसके बाद भी बीसों जिलों की अगर हजारों, लाखों रसीदें मंत्री जी के सामने पेश की जायं जिससे स्पष्ट होगा कि ६, ७ साल की वसूलियां हुई हैं तो मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह शर्तिया सवाल हो गया । आपने कोई रसीद पेश की ?

श्री गौरीशंकर राय---अगर मैं पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---इसी प्रश्न से तो शर्तिया हो गया ।

श्री गौरीशंकर राय---जब वह कुछ करने को तैयार ही नहीं हैं तो अनावश्यक श्रम क्यों करें ?

श्री अध्यक्ष---आप अपना कर्तव्य करें वह अपना करेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १३६३ से १३६६ फस्ली का चकबन्दी का लगान दुरुस्ती के समय वसूल किया जा चुका है और फिर भी वसूल किया जा रहा है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह नया सवाल है ।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब अविश्वास के प्रस्ताव पर भाषण होंगे । कल डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा भाषण दे रहे थे ।

†डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, डाक्टर सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास का प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी ही लाये थे और आज भी सोशलिस्ट पार्टी को यह गौरव प्राप्त है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सर्वप्रथम सोशलिस्ट पार्टी ही लायी है ।

मान्यवर, कल से इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है । विरोधी दलों के नेताओं ने और विरोधी दलों के अन्य वक्ताओं ने जो अपने भाषणों में खास-खास बातें कहीं, आरोप लगाये लेकिन उधर के बोलने वाले एक भी वक्ता ने उनका अभी तक समुचित उत्तर नहीं दिया है । बल्कि हुआ यह कि माननीय अलगूराय शास्त्री जी ने इतिहास का तजकिरा करते हुए कहा कि २१ बार का हारा हुआ व्यक्ति भी कुशल सेनानी हो सकता है । ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इतिहास में उन्होंने यह भी पढ़ा है कि २१ वर्ष का कुशल सेनानी हारे हुए सेनापति का लेफ्टीनेंट भी आज तक हुआ है ? इतिहास गवाह है । जो आरोप विरोधी दल के सदस्यों ने लगाये उनका अब तक समुचित उत्तर न देने का कोई भी कारण नहीं मालूम हो सका । हमारे यहां आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आरोप माननीय मुख्य मंत्री पर है कि वे सारे क्षेत्रों को छोड़ कर विधान परिषद् से नामजद करवा कर यहां आये । ग्रेजुएट कांस्टीट्युएंसी थी, लोकाल बाडीज कांस्टीट्युएंसी थी, सबसे ज्यादा विधान सभा का क्षेत्र था जिससे वह अपने आपको निर्वाचित घोषित कराते, लेकिन साहस, हिम्मत नहीं हुई, अपने साथियों पर विश्वास नहीं हुआ और आशा नहीं हुई । डर यह रहा कि विधान सभा के क्षेत्र से अपने नाम को घोषित कराने की कोशिश करते तो शायद पीछे से लोग पैर पकड़ कर घसीटते । आज भी बहादुरी और साहस इसमें है कि अगर लखनऊ से---हम मान सकते हैं कि लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र के जो माननीय सदस्य हैं वे उनके गुट्ट के नहीं हैं इसलिये वह इस्तीफा नहीं दे सकते---मध्य क्षेत्र के सदस्य उनके हम नवाला और हम प्याला हैं उनसे इस्तीफा दिला कर चुनाव लड़ते ।

श्री अध्यक्ष---मेरा खयाल है कि प्याला वगैरह वे पीते नहीं हैं । हम नवाला कह दीजिये, लेकिन हम प्याला न कहिये ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---पानी तो पीते हैं । चाय का प्याला तो आ ही जाता है । बहुधा पूज्य बापू का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके उसूलों को लोग आज भूले जा रहे हैं। सबसे पहले बापू ने अपने ३६ वर्ष के राजनीतिक जीवन में देश की जनता को निर्भीक, साहसी और बहादुर बनाया है और आज १४ वर्ष के कांग्रेस के राज्य में जनता डरपोक, कम साहसी हुई है और आज यह दशा है कि जनता के लोग कहने लगे हैं---"कोउ नृप होय हमें का हानी,

---

*२३ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा]

चेरी छांड़ि न होईब रानी"—इससे ज्यादा दुर्भाग्य पूर्ण बात क्या हो सकती है जिस राज्य में जनता कि यह भावना हो "चेरी छांड़ि न होइब रानी" उस राज्य में सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा तो किस सरकार पर आयेगा ?

मुझे भी आशा थी कि नया मंत्रिमंडल बनेगा, नया माहौल होगा, नई रोशनी मिलेगी लेकिन मैं व्यक्तिगत हैसियत से कहना चाहूंगा कि मेरी आशाओं का तुषारपात ही नहीं अन्त भी हो गया । मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री तथा उनकी सरकार ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिये थे, लेकिन सारे प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिये मेरे छोटे से जिले सीतापुर के अन्दर ५०—६० हजार का गबन तहसीलदारों ने अनुदान तथा तकावी के अन्दर किया जिसका लिखित प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा न्याय मंत्री को दिया । श्रीमन् ३, ४ महीने हो रहे हैं अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । यहां से एक अधिकारी गया और उन्होंने सारे के सारे कागजात पकड़े और देखा कि जिले के कुछ अधिकारी फंस रहे हैं तो माननीय न्याय मंत्री ने अपने आदेश से जहां तक मेरी सूचना है यह किया कि इसकी तहकीकात और तफतीश जिलाधीश के द्वारा की जाय । श्रीमन्, जिलाधीश के विरुद्ध भी आरोप थे, लेकिन वह तहकीकात उसी के सुपुर्द की जा रही है । जिस जिलाधीश के विरुद्ध स्वयं आरोप हों वही अगर तहकीकात करे तो क्या न्याय हो सकता है ?

श्रीमन्, तबादले होते हैं सरकारी अहलकारों के । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि जब से यह मौजूदा मंत्रिमंडल आया है सीतापुर जिले में चार, पांच थानेदारों का इसलिये तबादला किया गया कि उनके ऊपर मुख्तलिफ आरोप ये लगाये गये कि कोई सोशलिस्ट का रिश्तेदार है, अगर दारोगा ठाकुर हुआ तो उससे कहा गया कि ठाकुरों को वोट दिलाओ वरना तबादला होगा और अगर किसी दारोगा ने गिरफ्तार किये हुये सत्याग्रहियों को पानी पिला दिया तो उसका तबादला करा दिया गया । मैं अपनी इस बात के प्रमाण में इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य के ५ मई, १९६० के वक्तव्य की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—संक्षेप में ही कहियेगा क्योंकि समय उसमें निकल जायगा ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा—जी हां । श्रीमन्, उसका शीर्षक है—

"सोशलिस्ट सत्याग्रह और अधिकारी"

सम्पादकजी, बाराबंकी में विधान सभा के सदस्य श्री वर्मा जी को हथकड़ी पहनायी गयी । २ मई को सिधौली में गिरफ्तार व्यक्तियों को बावजूद पुलिस की ड्यूटी लगी रहने के रेलवे स्टेशन पर साइन-बोर्डों को पोतने और रेल के डिब्बे के भीतर घुस कर पोतने और फिर हिरासत में ले लिये जाने के बाद भी होटल में बिठाल कर चाय पीने और पान खाने की पूर्ण स्वतंत्रता रही ।"

श्रीमन्, आगे कहते हैं, बीच का मैं छोड़े देता हूं—

"इसके बाद सिधौली थाने के अफसर दोयम द्वारा दूकानदारों को सख्ती के साथ कहा गया कि अपने अनाज के ढेरों को रातों रात बोरों में भर लो नहीं तो हम जिम्मेदार न होंगे । उक्त घटनाओं का उल्लेख कर के मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह देखे कि सरकार द्वारा इस आन्दोलन के प्रति अपनायी गयी नीति का पालन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं ।" इसी तरह से और आगे है ।

तो श्रीमन्, दो घटनाओं का इस सम्पादकीय पत्र के अन्दर जिक्र किया है माननीय सदस्य ने और आज माननीय गोविन्द सहाय जी शायद मौजूद नहीं हैं . . . . (मौजूद हैं की आवाजें) अच्छा मौजूद हैं तो जरा सुन लें । कल उन्होंने बड़ा गर्रा दिखाया था कि कांग्रेस ने इस देश को

राजनीतिक आजादी दिलायी है । आज तक मैं माननीय गोविन्द सहाय जी को जम्हूरियत की नाव का एक मल्लाह समझता था और यह समझता था कि उनके जैसा जागरूक व्यक्ति प्रजातंत्र का रक्षक हो सकता है, लेकिन आज मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यह बयान है उस पार्टी के एक माननीय सदस्य की तरफ से जिनका आप ठेका लेते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलायी है , यह जरूर है कि उधर के कुछ व्यक्ति हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत कुछ किया है, लेकिन इस पक्ष के बैठने वालों ने भी आज विरोधी दल के नाम से पुकारे जाते हैं, महात्मा गांधी ने जब-जब भी आवाहन किया था तब-तब अपना सर्वस्व लुटाया और उस आहुति में अपने को न्योछावर किया । उन व्यक्तियों को मैं नहीं कहता जो आज लेफ्टिनेंट हैं जो मंत्रिगुट का अपने को सबसे बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन सन् ४२ के आन्दोलन में जब पूज्य बापू ने अंग्रेजों को ललकारा था तब वे पुलिस की मदद किया करते थे और छिपे रहते थे, पता नहीं चलता था कि किस घोंसले में घुस गये । इसमें श्रीमन्, दो घटनाओं का जिक्र है । मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य ने किस घटना की प्रशंसा की है और किस की भर्त्सना की है । क्या माननीय वर्मा जी को हथकड़ी पहनाई गई उसकी प्रशंसा की है या जो चाय पिलाई गई उसके लिये भर्त्सना की है । मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वर्मा जी को हथकड़ी पहनाई गई और जो चाय पिलाई गई तो श्रीमन्, चार पांच महीने से उस दरोगा के विरुद्ध तहकीकात चल रही थी उसको फौरन सीतापुर से तब्दील कर दिया गया और अन्त में श्रीमन्, उसको जिले से भी हटा दिया गया ।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं श्रीमन्, पहले ही कह चुका हूं कि थोड़ा समय और बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—आज समय नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—इसी आधार पर वह तब्दील कर दिया गया ।

दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सीतापुर जेल में, यों तो कई जेलों में लाठी चार्ज हुआ और नाना प्रकार की तकलीफें दी गई और यहां तक कहा जाता है कि सत्याग्रह को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर सत्याग्रह उचित है तो हम उसको दबाना नहीं चाहते हैं । मैं उससे पूछूंगा कि हमारे नेता माननीय राजनारायण जी लिफ्ट से उतर रहे थे, उन्होंने क्या कानून तोड़ा था जिससे वह गिरफ्तार कर लिये गये और ८-१० महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा । सीतापुर जेल में श्रीमन्, लाठी चलाई गई जिसमें ५० आदमी जख्मी हुये, किसी का हाथ टूटा, किसी के कम्पाउंड फ्रैक्चर हुआ और किसी का सिर टूटा । उस समय माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि हम तहकीकात करेंगे । मैं मौजूदा मंत्रि-मंडल से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी तहकीकात आज तक हुई है और यदि हुई है तो वह क्या कर रहे हैं ? आज तक श्रीमन्, वहां से जेलर और वार्डर हटाये नहीं गये हैं और वह अभी तक वहीं पर विराजमान हैं ।

मान्यवर, आज तक सरकार ने अपने को किसी जगह बांधा नहीं है । वादे बहुत किये, लेकिन यह नहीं कहा कि इतने दिनों में बेरोजगारी और आर्थिक विषमता खत्म कर देंगे । उन्होंने कहा था कि ५ वर्ष में बालिग शिक्षा जरूर कर देंगे, लेकिन १४ वर्ष हो गये हैं । अंग्रेज के जाने पर १४ फीसदी लोग शिक्षित थे और आज १७ फीसदी कुछ हैं । तीन फीसदी बढ़े हैं सिसके ढोल पीटे जाते हैं और वृदावली गायी जाती है ।

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस सम्मानित सदन में मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही है । इसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष—अगर आपको तकलीफ है तो आप बैठकर बोल सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---बहुत अच्छा श्रीमन् । समर्थन के पक्ष में अपने कारणों का उल्लेख करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावक महोदय ने जिन २१ कारणों का उल्लेख किया है उनका भी मैं समर्थन करूं बल्कि एक भी कारण से मैं सहमत न होऊं तो भी निष्कर्ष से सहमत हो सकता हूं और अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता हूं । यह तो मन सिद्धान्त के कथन की बात कही लेकिन वास्तविक बात यह है कि संयोग से जिन २१ कारणों का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है और जिन ध्येय की ओर संकेत किया है उन सब से मैं पूर्णतया सहमत हूं और उन २१ कारणों में से १४ या १५ से मैं पूर्णतया सहमत हूं और ५-६ या ६-७ जिन साधनों का उल्लेख किया है, उनकी प्राप्ति के लिए उनसे मैं सहमत नहीं हूं ।

दूसरी बात जिसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन, मन्त्रि-परिषद् के किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के द्वेश के कारण नहीं कर रहा हूं। अंग्रेजी में कहा जाता है " with malice towards none" । मैं बिना किसी से द्वेष भाव रखे हुये इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मेरा उसमें व्यक्तिगत द्वेष हो भी नहीं सकता। कारण बहुत स्पष्ट है। मन्त्रि-परिषद् में सभी ऐसे सदस्य हैं जिनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर स्वतन्त्रता संग्राम में काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते और मानते होंगे कि सहधर्मी और सहकर्मी होकर एक महान् पवित्र और महान् उद्देश्य के लिये साथ कार्य करने से जो दिव्य स्नेह उत्पन्न होता है, किसी भी सहृदय और कम से कम मुझ जैसे भावुक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है कि उसको भुलाया जा सके। उसको भुला देने की शक्ति मुझमें नहीं है।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को मैं हाल ही में आश्वासन दे चुका हूं कि साधारणतया राजनीतिक विचारों और नीतियों को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई की हैसियत से मेरा स्नेह छोटे भाई की हैसयत से उनको प्राप्त होगा। माननीय चरणसिंह बैठे हुये हैं। जब तक मैं कांग्रेस में रहा तब तक मेरे विचारों से वह सहमत रहे और उन्हें मेरा स्नेह सहधर्मी और सहकर्मी होने के नाते प्राप्त रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि कांग्रेस के साथ जो मेरा सबसे पहला मत-भेद है सहकारिता के सम्बन्ध में, उस प्रश्न के सम्बन्ध में वह मेरे विचारों और विश्वासों के अधिक नजदीक हैं बनिस्बत कांग्रेस के विचारों और विश्वासों के। इसके अलावा जितने और भी साथी हैं, जैसे मंगलाप्रसाद जी हैं, माननीय मुजफ्फर हसन साहब हैं---ये भी कांग्रेस में जो दो ग्रुप थे समाजवादी और गांधीवादी, उनमें मेरी विचारधारा से सहमत होने वाले लोगों में थे। माननीय मुजफ्फर हसन के बारे में तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि १९४२ में आगरा जाकर मुझसे उन्होंने मेरी सहमति लेकर वह मुझे छोड़कर गुप्ता जी के साथ चले गये। इस प्रकार मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों से मेरा व्यक्तिगत द्वेष हो नहीं सकता।

अब मैं उन विशेष कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन कारणों के आधार पर मैं मन्त्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट कर रहा हूं। सबसे पहला कारण तो यह है जोकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के श्रीमुख से शब्द निकले कि उनका और उनके मन्त्रि परिषद् का चुनाव हैपी सर्कम्सटेंसेज में नहीं हुआ । जिन सर्कम्सटेंसेज में हुआ वह हैपी नहीं अनहैपी थे। इसलिये मन्त्रि परिषद् पर अविश्वास है।

दूसरा कारण यह है जो स्वयं माननीय प्रधान मन्त्री ने दिसम्बर में अपनी प्रेस कानफ्रेंस में कहा था कि उनकी नेशनल और इन्टरनेशनल प्रेस्टीज के नाम पर जो चुनाव कराया गया वह स्वयं उन्हें नापसन्द है। उस कारण से भी मेरा इस मन्त्रिपरिषद् पर अविश्वास है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यह मानेंगे कि उन्होंने अपनी मन्त्रि परिषद् में कुछ ऐसे सज्जनों का नाम भी लिया है, मैं किसी व्यक्ति

का नाम नहीं लूंगा, मैं केवल संकेतमात्र उल्लेख करूंगा, लेकिन इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मन्त्री परिषद् में ऐसे सज्जन भी लिये हैं जिनके बारे में कांग्रेस की उच्च-सत्ता की एक विशेष राय है और जिस राय के आधार पर कांग्रेसी उच्च-सत्ता ने उन सज्जनों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है। ऐसे व्यक्ति भी उन्होंने मंत्रि परिषद् में लिये हैं। इस लिये भी उनकी मन्त्रि परिषद् में मेरा अविश्वास है।

और भी कई कारण हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कांग्रेस छाप समाजवाद से जो गलत नीतियों पर देश को ले जाया जा रहा है और जिस नीति के कारण देश विनाश की सड़क पर सर्वत्र बढ़ रहा है उन नीतियों से विरोध होने के कारण मैं, इस मन्त्रिपरिषद् पर अपना अविश्वास प्रकट करता हूं। यह भी सबको मालूम है, कि दुहाई समाजवाद की दी जाती है, दुहाई गरीबी, बेकारी, मंहगी को दूर करने की दी जाती है, लेकिन आज कांग्रेस राज के साढ़े तेरह वर्षों के बाद भी मानी हुई बात है, सर्वसम्मत बात है कि गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, महंगी बढ़ रही है, । आज समाजवाद के नाम पर जिन चीजों को दूर करने के लिये समाजवाद लादा जा रहा है उस समाजवाद से कोई लाभ नहीं हो रहा है। समाजवाद के बारे में आप माननीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि हमारे इस सदन के भीतर कई प्रकार के समाजवाद हैं जैसे वैरागियों में तरह-तरह के त्रिपुंड लगाने वाले और तरह-तरह के वेष वाले वैरागी होते हैं उसी तरह से तरह-तरह के समाजवादी यहां बैठे हुये हैं, कम से कम चार-पांच प्रकार से समाजवादी तो हैं ही। इनमें कांग्रेस छाप समाजवाद से मेरा विशेष मतभेद है। इसलिये मैं मन्त्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता हूं।

जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज से नहीं मैं जब से कांग्रेस में था। आज से ३४ वर्ष पहले से बल्कि जब से कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ १९३४ से तब से समाजवादी आज तक कभी नहीं रहा। आज भी जबकि अपने को समाजवादी कहने का एक फैशन सा हो गया है। मुझमें यह कहने का साहस है कि मैं समाजवादी नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं समझता कि इस संसार में केवल दो ही वाद हैं—एक मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद—इनके अलावा कोई तीसरा वाद है ही नहीं। मैं यह मानता हूं कि मार्क्सवादी समाजवाद और पूंजीवाद के अतिरिक्त एक वाद और भी है और उसका नाम गांधीवाद और सर्वोदयवाद है और मैं ऐसा मानता हूं कि गांधीवाद और सर्वोदयवाद, पूंजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों से बेहतर है। जब मैं गांधीवाद का समर्थन करता हूं तो इसके मानी यह नहीं हैं कि चूंकि मैं मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करता इसलिये मैं पूंजीवादी हूं। गान्धीवादी होने या सार्वोदयवादी होने के यह माने नहीं हैं कि पूंजीवाद के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारे मार्ग भिन्न हैं, हमारे साधन भिन्न हैं, हमारे तरीके भिन्न हैं। इसलिये भी मैं कांग्रेस मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अपना अविश्वास प्रकट करता हूं। केवल इतना कहकर मैं अपने अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन को समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे आप और माननीय पालीवाल जी कि उन्होंने बहुत कम कथन करके कम से कम मुझको निराश किया। कल से जो भाषण मैं यहां सुन रहा हूं उन भाषणों में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो पहले कई बार न कही गई हो। तो मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय पालीवाल जी के भाषण में कुछ ऐसी नई चीजें मुझ को जरूर मिलेंगी कि जिनका जवाब देने में कुछ अधिक रुचि होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बहुत जल्दी अपना कथन समाप्त कर दिया शायद स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से। खैर।

पहली बात इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि इस मन्त्रिपरिषद् को कायम हुये ढाई महीने हुये, लेकिन माननीय राजनारायण जी ने यह दलील दी

[श्री चरण सिंह]

कि इसमें क्योंकि मन्त्रिगण सब पुराने हैं इसलिये जो सब पुरानी बातें हैं और पुराने आक्षेप हैं उनको दोहराने के हकबजानिब हैं। माननीय चन्द्रजीत यादव ने यह दलील दी कि पालिसीज तो सब पुरानी हैं क्योंकि कांग्रेस का मन्त्रि मन्डल यह भी है और कांग्रेस का मन्त्रि-मन्डल पुराना भी था इसलिये हम जस्टीफाइड होंगे, हकबजानिब होंगे, सब पुरानी बातों को दुहराने में।

अध्यक्ष महोदय, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है, इसके शब्द यह हैं कि "यह सदन वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है"। तो वर्तमान मन्त्रिपरिषद् ने जो कुछ किया है उस के सिलसिले में ही यह अविश्वास का सवाल उठता है। यह बात कि इसके बहुत से सदस्य पहले भी मन्त्रि परिषद् में मन्त्रि या सदस्य रह चुके हैं, गैरमुताल्लिक है। यह सवाल उठता नहीं है। यह किसी और मन्त्रि परिषद् का सवाल नहीं है। यह इस गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठता है जिसको वजूद में आये अभी २।। या ३ महीने मुश्किल से हुये हैं।

दूसरी बात यह है कि चन्द्रजीत यादव जी ने जो पालिसी के मुताल्लिक कही कि यह मन्त्रि-परिषद् उन्हीं पालिसी पर चल रही है। यह मन्त्रि परिषद् उसी कांग्रेस पालिसी का अवलम्बन करेगी जो ब्राड पालिसी होगी और जो एलेक्शन मनिफैस्टो में होंगी, लेकिन पालिसी के अलावा जो और क्रिटिसिज्म है वह गैरमुताल्लिक है हो जाता है चन्द्रजीत जी यादव के कथनानुसार। जहां तक ब्राड पालिसी का ताल्लुक है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा जिसके मुताल्लिक उन्होंने बातें कहीं, लेकिन दरअसल अविश्वास का प्रस्ताव जो गवर्नमेंट के खिलाफ आता है वह पालिसी के मुताल्लिक उतना नहीं आता जितना इम्प्लीमेंटेशन के मुताल्लिक होता है। अब उस कांग्रेस की पालिसी का इम्प्लीमेंटेशन पिछली मन्त्रि-परिषद् न किया। मैं उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, लेकिन उनकी तरफ से यहां डिफेन्स देने की मेरी आज जिम्मेदारी नहीं है। आज कोई केवल कांग्रेस पालिसी और कांग्रेस पालिसी का इम्प्लीमेंटेशन, जो २, १ २-महीने में इस मन्त्रि-मन्डल ने किया है, अगर उस पर कोई क्रिटिसिज्म है, तो उसका जवाब देने के लिये मैं बाध्य हूं या मेरे मित्र साथी बाध्य हैं वरना नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल जिसपर हजार बार बहस हो चुकी है वह नम्बर १ पर दिय है कि ६ १ २ एकड़ तक के खेतों की मालगुजारी वसूल नहीं होनी चाहिये। इसका जवाब अनेक बार पहले दिया जा चुका है। आज मैं चाहता हूं कि अगर माननीय राजनारायण जी और उनके दूसरे साथी मेरी बात को ध्यान से सुने तो अच्छा रहेगा क्योंकि बार-बार उन्हीं बातों को दोहराने से और जो दलील इधर से दी जा चुकी है उनको वाइपास करने से किसी को फायदा नहीं होता। हम खुद गलतफहमी में रहते हैं और जनता भी गलतफहमी में रहती है। उससे कोई फायदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह जो मालगुजारी की बात है ६।। एकड़ से कम वालों की, उसके जवाब में मुझे २,३ बातें अर्ज करनी हैं। यह मालगुजारी हमारे यहां जमींदारी अबालिशन के बाद वही है जोकि पहले किसान लगान देता था। जिसने अपना १० गुना लगान जमा कर दिया उनकी मालगुजारी आधी हो गई और जिसने जमा नहीं किया वह सीरदार कहलाते रहे हैं और वह पुराना अपना रेन्ट देते रहे हैं। वह रेन्ट कितना है, आया है व ज्यादा है या कम, अगर ज्यादा है तो कम होना चाहिये। मेरी गुजारिश यह है कि कमी का सवाल नहीं है। अगर उसके लिये कोई केस है तो वह इन्क्वीज करने का है। कम करने का हरगिज नहीं है। सन १९५०-५१ की रेविन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में से कितने किस्म के कितने काश्तकार थे, मैं यह पढ़ना चाहता हूं :--

फिक्स्ड रेंट टेनेन्ट	..	२·६४
साकितुल मिल्कियत	..	२·७१
आकुपेन्सी टेनेंट	..	३६·२०
हिरिडिटेरी टेनेन्ट	..	५८·४५

तो अधिकतर हेरिडेटरी टेनेन्ट्स थे। अब हेरिडेटरी टेनेन्ट्स का जो लगान था वह वही था जोकि जमींदार और काश्तकारों के बीच तय हो गया हो सन् १९३६ से पहले, लेकिन १९३६ और १९४४ के बीच सेटिलमेंट हुआ और दो, चार जिलों को छोड़ कर सारे सूबे में हुआ। मैदान के ४७ जिलों में से ४४ जिलों में वह कम्प्लीट हुआ। उस सेटिलमेंट में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ८७ के मुताबिक लगान, जो जमींदारों और काश्तकारों में तय हो गया था उसको रिवाइज करने का अधिकार सेटिलमेंट अफसर को था और रिवाइज करने के सिलसिले में जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, जो सब्सटेंसिव ऐक्ट था उसकी दफा १०२ की उपदफा (२) के अधीन यह तय हुआ कि १९०१ और १९०५ में.....

श्री नन्दराम गुप्त (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी के शब्द कम काम में लायें। हम लोगों को समझने में कठिनाई होती है।

श्री चरणसिंह—कानून कब्जा आराजी, उत्तर प्रदेश की दफा १०२ की उपदफा (२) के मातहत लगान में तरमीम हुई और वह दफा यह कहती है कि १९०१ से लेकर १९०५ तक जो कीमतें थीं, उस कीमत के हिसाब से किसी काश्तकार की पैदावार की जो कीमत आती है, कुल कीमत, उसका १/५ हेरिडेटरी टेनेन्ट का लगान होगा। १९०१ और १९०५ में जो प्राइसेज थीं उसके हिसाब से किसी आदमी की पूरी पैदावार की जो कीमत आती है उसके १/५ से ज्यादा लगान न होगा। अगर सेटिलमेंट अफसर ने कहीं लगान जोकि जमीन्दार और काश्तकार के बीच तय हो चुका था, १/५ से ज्यादा पाया तो उसे अधिकार था कि वह उसे घटा दे। ५८–५९ फीसदी तो ऐसे काश्तकार थे। इसके अलावा जो आकूपेंसी टेनेन्ट्स थे, जिनकी तादाद सवा ३६ फीसदी थी, तो १९२१ या सन् १३२८ फसली के बाद कोई आकूपेन्सी टेनेन्ट नहीं हुये। उसके बाद उसका कानून खत्म हो गया। जो आकूपेन्सी टेनेन्ट बनने थे वे पहले बन चुके थे। उनका लगान १८७३ में तय हो चुका था। तो १९२१ में भी शरह लगान की ज्यादा नहीं थी क्योंकि भाव बहुत कम थे। उस के बाद कोई आकूपेन्सी टेनेन्ट नहीं बना, लेकिन फिर भी इसमें जो उनका लगान घटाने का अधिकार था सेटिलमेंट में और स्टडर्ड रेट्स मुकर्रर करने का कि सेटिलमेंट रेट्स के मुताबिक आकूपेन्सी रेट्स होंगे और वह स्टैन्डर्ड रेट्स हेरिडेटरी रेट्स से १० से लेकर २५ फीसदी तक कम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हेरिडेटरी टेनेन्ट के जो रेट तय हुये उससे १० से २५ फीसदी आकूपेन्सी टनेन्ट्स के रेट थे, जोकि सेटिलमेंट अफसर को तय करने का अधिकार था। अब रही नान-प्रोप्राइटरी टेनेन्ट की बात। उन के रेट्स आकूपेन्सी टेनेन्टस रेट्स से साढ़े १२ फीसदी कम थ और फिक्सड रेट्स टेनेन्ट्स जो थे वह १७९४ में जो रेट्स थे उनमें ही चल रहे थे। वे कुछ गाजीपुर, जौनपुर और बनारस के हिस्से में थे। उनके रेट्स १७९४ से लेकर आज तक नहीं बढ़े। तो अध्यक्ष महोदय, यह लगान किसी माने में भी ज्यादा नहीं कहा जा सकता। उस वक्त नहीं कहा जा सकता था जब कि प्रोड्यूस की वैल्यू १९०१ से लेकर १९०५ तक की प्राइसेज के हिसाब से लगाई गई थी। आज प्राइसेज कम से कम ५ गुनी हैं। तो इस तरीके से जो आज काश्त की प्रोडयूस वेल्यू है, जो उसकी पैदावार की कीमत है उसके १/२५ से ज्यादा आज उसका लगान नहीं है जबकि अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि पैदावार के १/४ और १/५ से ज्यादा अगर लगान है तो वह ज्यादा है। और १/४ और १/५ से कम है तो स्टेट गवर्नमेंट जस्टीफाइड होंगी रेन्ट को इन्क्रीज करने में। अध्यक्ष महोदय, यहां १/२५ हेरीडिटरी टेनेन्ट का है, १/३० आकूपेन्सी का है, तथा जो और हैं १/३५ और १/५० है। और इसपर भी आवाज यह उठाई जाती है कि इसे कम किया जाय।

[श्री चरणसिंह]

अब इसमें एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने की है। अगर हम १० बीघे या सवा ६ एकड़ तक की जोतों या खातों का लगान माफ कर देते हैं तो इसके अन्दर जो रकबा आयेगा वह करीब ९५ फीसदी होगा सारे सूबे का। इस तरह से तो मालगुजारी बिलकुल ही माफ हो जायगी।

श्री नन्दराम—उसका रकबा कितना है?

श्री चरणसिंह—आप सुनिये, मैं बता रहा हूं। तो मैंने बताया कि वह रकबा करीब ९५ फीसदी होगा, हो सकता है कि ९० हो या ८५ हो। अगर हम ८५ भी मान लें तो इस तरह से भी मेरी दलील में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि केवल १५ फीसदी जमीन ऐसी बचेगी कि जिसपर लोगों को मालगुजारी देनी पड़ेगी और वह ३, ४ साल के अन्दर १/२ फीसदी भी मुश्किल से बच पायेगी क्योंकि फिर पार्टीशन होने शुरू हो जायंगे और जब फिक्टीशश पार्टीशन होने शुरू हो जायेंगे तो कितनी जमीन बचेगी? तो अगर हम इस तरह का कानून बनायें तो मालगुजारी बिलकुल ही माफ करनी होगी? हां, अगर यह कानून बनायें कि आज तक कितनी सवा ६ एकड़ की जमीनें है उनका ही लगान माफ होगा, आगे वह एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो यह हो सकता है कि १०/१५ फीसदी जमीनें ऐसी रह जायेंगी जिन पर मालगुजारी लोगों को देनी पड़ेगी। ऐसा करने पर भी आगे चल कर वह जमीन और कम ही होती जायगी। तो यह सम्भव नहीं है।

हां, अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि दूसरे देशों में यह नहीं है, वहां पर एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स है। वहां पर लैन्ड रेविन्यू जैसी कोई चीज नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि वह दिन बहुत शीघ्र आये जब इस मुल्क में भी लैन्ड रेवेन्यू के स्थान पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूल किया जाय। उस दिन के लिये मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह दिन अभी शीघ्र नहीं आयेगा, उसमें काफी समय लगेगा। इस समय अपने देश को डेवलप करने के लिये हमको टैक्स चाहिये। टैक्स के वसूल करने के हमारे यहां दो ही तरीके हैं— एक तो एग्रीकलचरल सेक्टर और दूसरा नान-एग्रीकलचरल सेक्टर। आज हमारे सूबे में देहातों में करीब ८६ फीसदी लोग रहते हैं। पूरे देश में शायद ८२ फीसदी हैं। इन ८६ फीसदी में से भी जो लोग कृषि पर निर्भर करते हैं वे हैं करीब ६४ फीसदी। जो और १२ फीसदी हैं वे खेती की इन्कम पर रहते हैं। तो इस तरह सभी ८६ फीसदी डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली खेती पर ही निर्भर करते हैं। तो अपने सूबे को डेवलप करने के लिये अब हमको जो भी फाइनेन्शियल रिसोर्सेज लेने होंगे वे केवल १४ परसेन्ट में से ही लेने होंगे। तो यह अभी सम्भव नहीं हो सकता। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि गरीब से गरीब आदमी भी कुछ न कुछ कन्ट्रीब्यूट करे भले ही उसको अपनी बेल्ट को कसना पड़े। बात तो मुनासिब है, लेकिन आज प्रैक्टिकेबिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं वह दिन भी देखना चाहता हूं जब राजनारायण जी यहां बैठे हों। वह जब यहां बैठ जायेंगे और अगर बैठ जायंगे, "जब" और "अगर" तो मुझे उम्मीद नहीं है कि यह इस टैक्स को एबालिश कर सकेंगे यानी लैंड रेवेन्यू को। तो फिर अध्यक्ष महोदय, यह बातें क्यों कही जाती हैं जब वह खुद भी नहीं कर सकेंगे वैसे वह बड़े माकूल आदमी हैं। आज वह इसलिये कह रहे हैं क्योंकि उनकी तादाद केवल १६ की है और आज मैंने सुना है शायद २१ हो गई है। जिस दिन उनकी तादाद ४५ फीसदी हो जायगी उस दिन से इस तरह की इर्रेस्पांसिबिल स्पीचेज बन्द हो जायेंगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे यकीन है कि दस-बीस साल में तो यह रिस्पांसिबिलिटी उनपर आने वाली नहीं है इसलिये वोट्स लेने के लिये वह चाहे जो कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त हो रहा है।

श्री चरणसिंह—अब मैं जल्दी कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक प्लाइन्ट है डिसपैरिटी इन सैलरीज । उनका कहना है कि प्रदेश की उच्चतर आमदनी और खर्चा को एक हजार के अन्दर नियोजित करने की मांग को सरकार ने ठुकराया है । अध्यक्ष महोदय, इनकम्स पर सीलिंग लगाना आसान काम नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबिल है । गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का जिक्र किया कि उनको एक हजार से ज्यादा दिया जाता है । यह बात ठीक है और वह दिया जाता रहेगा । कारण यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे राजकर्मचारी उच्च से उच्च योग्यता के हों तो वह आमदनी जोकि नान आफिशियल प्रोफेशन्स में होती है उससे कुछ न कुछ हमारी तनख्वाहों के रिलेशन्स हमको रखने पड़ेंगे वरना टेलेन्टेड यंग मैन हमारी सर्विसेज में नहीं आयेंगे । आज जबकि एक व्यक्ति दस-दस और पांच-पांच हजार वकालत और डाक्टरी में कमाता है या दूसरे पेशों में कमाता है तो यह उम्मीद करना कि उस तरह के टेलेन्टेड यंग मैन एक हजार रुपया ५८ वर्ष की उमर तक पाने के लिये हमारी सर्विसेज में आ जायगा, यह गलत बात है । हां, पब्लिक वर्कर्स हमें मिल सकते हैं । पोलिटीशियन्स मिल सकते हैं एम० एल० एज० और एम० पीज० मिल सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेन्टस नहीं मिलेंगे ।

दूसरी बात यह है कि सौ और एक हजार, यह बड़े अच्छे अल्फाज हैं सौ का हजार दस गुना हो जाता है, लेकिन दो तीन वर्ष पहले यू० एस० एस० आर० के डिप्टी प्रीमियर मि० मिकोयान यहां इंडिया में आये हुये थे उन्होंने कहा था कि उनके यहां सर्विसेज में १/५९ का अन्तर है । यह उनका स्टेटमेन्ट कहता है और हमारे यहां एक चपरासी की तनख्वाह में और हाएस्ट आफिसर की तनख्वाह में १/६० से ज्यादा का अन्तर नहीं है लिहाजा आप हमको कुछ कहें, लेकिन रिएक्शनरी नहीं कह सकते क्योंकि यू० एस० एस० आर० से ज्यादा का स्प्रेड यहां नहीं है ।

तीसरी बात में एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी के सेपेरेशन के बारे में कहना चाहता हूं । यह भी एक पुरानी थीम है । २६ जनवरी, १९५० को हमारा संविधान नाफिज हुआ उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपुल यह रखा गया कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपेरेशन किया जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह काम हमारे यहां पहले से शुरू हो गया था । मई, १९४९ में हमने एक स्कीम जारी की कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के यहां आई० पी० सी० के केसेज जायेंगे और जिसका कोई वास्ता दूसरी मैजिस्ट्रेसी, एस० डी० एम० या एस० डी० ओ० से नहीं रहेगा उस समय यह स्कीम ८ डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुई, फिर जुलाई, ५० से १० जिलों में, सितम्बर, १९५८ में दो जिलों में और अप्रैल, १९६० से १४ जिलों में और अब जो १३ जिले बचे हैं उनमें नेक्सट् फाइनेंशियल इयर से नाफिज करने का विचार है । अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि यह आपकी स्कीम नाकिस है, इसमें पूरा सेपेरेशन नहीं होता है । कुछ हद तक यह बात ठीक है, लेकिन पहले हम यह देखें कि शिकायत किस हद तक रही है । शिकायत यह थी कि एस० डी० एम० के हाथ में एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी दोनों पावर्स थीं । जुडीशियरी से वास्ता रखने वाली पावर्स उसके पास केवल प्रीवेंटिव सेक्शन्स, यानी १०७, ११७ और ११० दफाओं की हैं ताकि अनडिजायरेबिल आदमी जो जुल्म करने के आदी हो गये हैं उनको जमानत लेकर छोड़ दें या जेल में डाल दें । हमारी स्कीम से उसके पास सिवाय इसके कोई आई० पी० सी० के केसेज नहीं हैं । मिसलेनियस ऐक्टों के, जैसे फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट इत्यादि हैं, उनके केसेज वह ट्राई करता है । लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स में ९० परसैंट मामले आई० पी० सी० के होते हैं, जिनसे एस० डी० एम० का कोई वास्ता नहीं होता । जो केसेज वह प्रीवेंटिव सेक्शन्स के मातहत करते हैं उन्हें प्योरली जुडिशियल नहीं कह सकते । वे सेमी-जुडिशियल हैं और वे प्रीवेंटिव सेक्शन लेते हैं । दूसरी बात यह कही गई कि हाईकोर्ट को उनके ट्रांस्फर की पावर दे दी जाय । आज हाई कोर्ट्स को मुंसिफों के ट्रांसफर की पावर है, लेकिन वह पावर है गवर्नमेंट की जो हाई कोर्ट को डेलीगेट की हुई है । डिस्ट्रिक्ट जजेज के लिये ऐसी पावर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रक्खी हैं । गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कभी-कभी डिफर भी कर सकती है, लेकिन आम तौर पर

[श्री चरणसिंह]

उसके मशिवरे को मान लेती है। डिस्ट्रिक्ट जजेज और सेशन्स जजेज के ट्रांसफर के आर्डर्स गवर्नमेंट से जारी होते हैं। यहां नहीं कहा जा सकता कि यह पावर हाई कोर्ट को थी और गवर्नमेंट ने उसे नहीं दी। डी० एम० के मुताल्लिक पहले कुछ लोगों को शिकायत थी कि वे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर कुछ पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब वह भी नहीं रहा है, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को लीव वगैरह अब कमिश्नर देता है। डी० एम० से करीब-करीब कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन का उसूल बहुत अच्छा है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल जिसको कहा जाय वे बहुत कम हैं। हम अपने सर्कमस्टांसेज में अभी संविधान को उस डाइरेक्टिव पर उसी हद तक अमल करना मुनासिब समझते हैं और जैसे धीरे-धीरे तजुर्बा हमको बतलावेगा, तो जिस हद तक राजनारायण जी जाना चाहते हैं उस हद तक जाने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

एक बात एडीशनल आई० जी० की कही गई। मैं आपकी आज्ञा से यह बतला दूं कि एडीशनल आई० जी० पंजाब, केरल और आंध्र में भी हैं। हमने यह नई पोस्ट नहीं क्रिएट की है, केवल एक डी० आई० जी० की पोस्ट को अपग्रेड कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारी स्टेट बहुत बड़ी होने के कारण कई डिपार्टमेंटस् में एडीशनल हेड्स हैं जो काम को देखते हैं। सी० आई० डी० और ट्रेनिंग का काम एडीशनल आई० जी० के सुपुर्द है और मैं समझता हूं कि उसमें किसी दोस्त को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। फिफ्थ कालम एक्टीविटीज की बराबर देख-भाल की जाती है। कुछ जिलों में कुछ क्षेत्र में सेंस आफ इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। उसे दूर करने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कहना कि साहब, यहां कोई चैन से रह नहीं सकता, उचित नहीं है। कल उन्नाव का प्रश्न आया था और फिर कहा कि बादशाहनगर में एक लाश मिली, और अगर यही देखा जाय तो इस हिसाब से ५ लाश यहां रोज होती हैं और यहां ५२ दफा के पांच नोटिस रोज आ सकते हैं परन्तु उससे यह बात साबित नहीं होती कि स्टेट हैज गान टू डाग्स क्रिमिनल एलीमेंट्स है और रहेंगे।

हम चाहते हैं कि एक भी डकैती न पड़े और एक भी चोरी न हो, लेकिन होती है। जब ऐसी सोसाइटी हो जायगी कि कोई आदमी किसी के राइट पर, परसन या प्रापर्टी पर एनक्रोच न करे तो शायद इस गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन यह नतीजा निकालना कि हिन्दुस्तान में या उत्तर प्रदेश में बहुत लालैसनेस है, यह बात गलत है। मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के फीगर्स हैं जो दुनिया का सबसे मालदार और डेमोक्रेटिक कन्ट्री माना जाता है। सन् १९५८ में वहां ८,१८२ मर्डर हुये और हमारे यहां १,६३७। उनकी आबादी है १८ करोड़ और हमारी आज है ७। करोड़, ढाई गुनी। ३३। ढाई ८२ ।।, तो ३३०० मर्डर हमारी आबादी में उनके अनुपात से होते हैं, लेकिन वे हैं केवल १,६३७।

अध्यक्ष महोदय, और सुनिये। राबरी वहां हैं ७५,३४७ और यहां ४७७, मालूम होता है कि उनके यहां डकैती और राबरी दोनों एक में मिला दी हैं। तो ४७७ और ८२५ इसका मतलब हुआ १,३००। राबरी और डकैती हमारे यहां मिलाकर १३०० हैं और उनके यहां ७५,०००, कहा जाता है कि साहब, यहां ठीक से रेकार्ड नहीं होता है। १,३०० को ५ गुना कर दीजिये तो ६,५०० हुआ और वहां हैं ७५,०००।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री चरणसिंह—एक सेंटेंस और। लैंड रिकार्म्स वगैरह के मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चूंकि समय नहीं रहा।

कहा यह जाता है कि साहब, कांग्रेस के अन्दर बड़ी भारी दलबन्दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस जुर्म को इकबाल करता हूं। है दलबन्दी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी

में केवल ४४ आदमी हों वहां दलबन्दी हो, लेकिन जहां सैकड़ों और हजारों भरे पड़े हों, वहां दलबन्दी होना क्या ताज्जुब की बात है ?

दूसरी बात यह है कि अभी हमारे यहां लार्ड एटली आये हुये हैं। उनके डिप्टी लीडर स्वर्गीय श्री बेबिन थे। बेबिन साहब और एटली साहब में इतना ही प्यार और मोहब्बत थी या खटपट थी जितनी कि (एक आवाज--जितनी गुप्ता जी और संपूर्णानन्दजी में) ऐसा ही समझ लीजिये। इसके अलावा पार्टी के आर्गेनाईजेशन के अन्दर लेबर पार्टी के लेजिस्लेचर के श्री गेटस्केल और नान आफीशियल आर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर ट्रान्सपोर्ट हाउस में है, उसमें डिफरेन्सेज हैं। लिहाजा यह बात अनहोनी नहीं है। आप कहते हैं कि हम पर तो इसका असर पड़ता है, लेकिन आप हमारी उस बात की तरफ ध्यान ही क्यों देते हैं ? पिछले वक्तों में जब गुरुकुल से विद्यार्थी जाता था तो उससे गुरु कहता था --

"यानि अनविधानि कार्याणि तानि तव्योपास्यानि नो इतराणि।"

मेरे जो जो शुभ कार्य हैं उन्हीं को ग्रहण करना, लेकिन जो अशुभ कार्य हों उनको त्याग देना। यानी गुरु अपनी अच्छाइयों को ग्रहण करने को कहता है और बुराइयों को छोड़ने की कहता है, लेकिन आप कहते हैं कि हम तो गलतियों की भी नकल ही करेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूदा सरकार में अविश्वास प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सरकार और इससे पहले की सरकार में एक कन्टीन्युइटी है और एक ब्रेक भी है यह इस कांग्रेस सरकार की डाइलेक्टिक है। दोनों एक ही पार्टी की सरकार हैं और यह सरकार पहली सरकार के भंग होने पर बनी है। परन्तु यह सरकार उन्हीं बुनियादी नीतियों का अनुसरण कर रही है जिन पर पहली सरकार चलती रही। इस सरकार के कर्णधार और इससे पहले की सरकार के कर्णधारों में एक अन्तहीन, सिद्धान्तहीन संघर्ष अब भी जारी है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता अवाक् होकर इस संघर्ष को देख रही है और इसी नाते वह इस सरकार में अविश्वास प्रकट कर रही है।

अगर इन दोनों गुटों में स्टेट ट्रेडिंग को लेकर मतभेद होता, अगर इस दोनों गुटों में, पब्लिक सेक्टर कितना हो कितना न हो इस बात को लेकर मतभेद होता,

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

अगर दोनों गुटों में सहकारिता के सवाल को लेकर कोई बुनियादी मतभेद होता, अगर इन दोनों गुटों के बीच, समाजवाद कितनी दूर तक चले कितनी तक न चले, इस बात को लेकर मतभेद होता, अगर इन दोनों गुटों में, अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है उसको कम करने के विषय में मतभेद होता, अगर इन दोनों गुटों के बीच मजदूर नीति और किसान नीति तथा कम तनख्वाह वाले और बड़े तनख्वाह वालों के बीच में जो भेदभाव और विषमता है, उसके बारे में कोई मतभेद होता, बड़े पूंजीपतियों और मध्यमवर्ग के पूंजीपतियों के बीच, छोटों को तरजीह देने के संबंध में मतभेद होता, अगर इन दोनों गुटों में हदबन्दी की ऊंची हद के विषय में मतभेद होता, अगर इन दोनों गुटों में विकास पथ कौन हो, इस पर मतभेद होता, दूषित शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन के ऊपर कदम उठाने में मतभेद होता तो चौधरी चरणसिंह जी साहब की बात को मैं उचित समझता, लेकिन चौधरी साहब को यह मालूम होना चाहिये कि जब लुई १६ वें के जमाने में फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति हुई तो लुई बिलकुल बेगुनाह था। उसकी सरकार के जमाने में उतना अत्याचार नहीं होता था जितना कि पहले की सरकारों के जमाने में, परन्तु उसके लिये उसे क्रान्तिकारियों को अपना सर देना पड़ा। उसे अपने पुराने पूर्वजों और पुरखों के पाप का फल भोगना पड़ा। उसी प्रकार इस सरकार को भी अपने पूर्वजों, अपने पुरखों के पूरे पाप का फल भोगना पड़ेगा।

[श्री झारखंडेराय]

आबादी के बाद देश में पहली सरकार कायम हुई। हमारे प्रदेश में भी पहली सरकार कायम हुई और उसे कांग्रेस पार्टी ने कायम किया। जो चरण ये लोग यहां रखेंगे, जो स्थापना ये स्थापित करेंगे, जो आदर्श ये पेश करेंगे, उस पर सारा देश अनुसरण करेगा और उस पर समस्त राष्ट्र चलाने की कोशिश करेगा और वही चरणचिन्ह हो जायगा। अगर वह दूषित है तो देश गलत रास्ते पर जायेगा। जनता का मनोबल आज गिरा है, जनता की मानस स्थिति हीन दशा को पहुंच चुकी है। वह सोचती है कि अगर सिद्धान्त में भेद नहीं है, बुनियादी नीति में भेद नहीं है तो केवल कुर्सी के लिये लड़ाई हो रही है और यही त्याग और तपस्या का उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है। नितान्त सिद्धान्तहीन संघर्ष, केवल कुर्सी के लिये लड़ाई है। यही नमूना, यही आदर्श और यही उदाहरण एक बड़ी और प्रथम पार्टी की सरकार देश के सामने पेश करके यहां बैठे रह सकती है। मैं समझता हूं कि वह कभी भी नहीं बैठी रह सकेगी।

मान्यवर, जिस सरकार की बातों का भरोसा नहीं उसमें कैसे विश्वास किया जाय। एक मिसाल लीजिये, विरोधी पक्ष के नेताओं की मीटिंग में खुद पुराने मुख्य मंत्री ने, उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री ने सरकार की तरफ से स्पष्ट वचन दिया था कि मार्च, १९६१ के अन्त तक या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जिला परिषदों का चुनाव हो जायगा। स्पष्ट मत और विचार प्रकट किया था और वचन दिया था। मिनिट्स में सब लिखा हुआ है। वहां शार्ट हैंड रिपोर्टर्स बैठे हुये थे। यहां सदन में स्वायत्त शासन मंत्री जी ने स्पष्ट वचन दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि हमारे चुनाव जो बहुत पुराने हो चुके हैं वे अवश्य कराये जायेंगे, लेकिन अभी अभी इस सरकार ने जो प्रगतिशील कदम उठाया है वह यह है कि इसने इस वक्त की सरकार के वचन को भी तोड़ दिया और तोड़ने के लिये तो कई चीजें भी उसकी तोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी यह एक अच्छी चीज भी तोड़ दी, ऐसे बुरी चीजों को तो तोड़ना ही चाहिये। अब चुनाव सन् १९६२ के अन्त तक भी नहीं होगा, वह सन् १९६३ के शुरू में ही किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार की बात का भरोसा नहीं तो किस चीज का भरोसा किया जाय? जब इस सदन के सामने की गई प्रतिज्ञा को तोड़ा जाय, जब विरोधी पक्ष के सामने की गई बातों को भंग किया जाय तो फिर किसकी बात का विश्वास किया जाय और कैसे सरकार के अन्दर विश्वास प्रकट किया जाय? हालत यह है कि पार्टी के अन्दर गुट का हित प्रधान हो गया है, और यहां सदन में पार्टी का हित प्रधान है। अपने गुट और पार्टी के हित के सामने जनता का हित, प्रदेश का हित समाप्त होने की सम्भावना पैदा हो गई है। उस तरफ तो ध्यान देने का किसी को मौका ही नहीं है। इसी लखनऊ का उदाहरण लीजिये जब बाढ़ में वह डूब रहा था पिछली बाढ़ के ही मौके पर जब सुल्तानपुर और जौनपुर की जनता परेशान थी तो पार्टी एलेक्शन के नाम पर इस पार्टी में आपस में दंगल हो रहा था। इसी दौर में जब लखनऊ और कानपुर में बिजली का संकट पैदा हुआ तो उसकी व्यवस्था के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या यह भी कोई दैवी आपदा थी जिसके लिये कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था? इसी तरह से कोयले की बात बार-बार कही जा चुकी है दो खम्भे का मकान बनाने के लिये भी किसी को सस्ती ईंटें उपलब्ध नहीं हो रही है।

जनता के, जनसंस्थाओं के, पार्टियों के और पूरे प्रदेश के दिमाग में एक मानस-अस्थिरता आ गई है, पता नहीं क्या होगा। एक एक कर्मचारी नीचे से सेक्रेटरी तक कुछ मना रहा है और खुदा की इबादत कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ कल्पना कर रहा है कि शायद यह भी रहें या न रहें जब इतने बड़े भारी भरकम लोग वजन में भी और दूसरी चीजों में भी, वह भी हट गये तो इनके हटने में ही क्या लगेगा। इस प्रकार की मनःस्थिति से मानस-अस्थिरता से आज प्रदेश का पूरा प्रशासन लुंजपुंज हो गया है उसको लकवा-सा मार गया है। एक-एक आदमी यही पूछता है कि क्या अब यही रहेंगे, उनके आने की क्या अब कोई आशा नहीं रही, यहां की दीवारें, यहां की ईंटें, यहां की सीमेंट यही पूछ रहा है कि होगा क्या। इस तरह की भयावह स्थिति यहां उत्पन्न है।

मान्यवर, मजदूरों के प्रति सरकार की नीति की हालत यह है कि शुगर वेज बोर्ड का फैसला आ गया, उस की रिपोर्ट आ गई, ढाई मास हो गया, इस सरकार को उसे देखने का मौका नहीं मिला जबकि यह सीजन खत्म हो रहा है । इसके माने यह हैं कि जब उसको लागू किया जायगा तो इस साल का जो मजदूरों और कर्मचारियों का घाटा होगा उसे कौन पूरा करेगा ? यह मजदूर-विरोधी नीति है ।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में इस सरकार पर अविश्वास करना ही होगा । यह झगड़ा अब पार्टी का झगड़ा नहीं रह गया है । अन्दरूनी पार्टी का झगड़ा उस बड़े हाल में निबटारा किया जाता है.....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---आइटम नम्बर १५ पर कुछ कहिये ।

श्री झारखंडेराय---जब पार्टी का झगड़ा इस सदन में आता है, जब ९८ आदमी वक्तव्य देते हैं.तो वह झगड़ा पार्टी का नहीं पूरे प्रदेश का हो जाता है, जब १२६ आदमी राज्यपाल के सम्बोधन का बहिष्कार करते हैं और उनको पत्र लिखते हैं उसके कारणों को स्पष्ट करते हुये तो वह झगड़ा पार्टी का झगड़ा नहीं रह जाता, वह उससे ऊपर उठकर प्रदेश का, राज्य का और उसके जीवन के भिन्न-भिन्न अंगों का, पूरी जनता का झगड़ा बन जाता है । ऐसी स्थिति में हम कदापि यह नहीं कह सकते कि यह पार्टी का झगड़ा है और इसका सदन में जिक्र करने से कोई लाभ नहीं है । वह चीज जो हमारी जनता के जीवन के बड़े अंग को छुये, जनता के जीवन को प्रभावित करे, उससे जनता उद्वेलित हुये बगैर नहीं रह सकती ।

मान्यवर, गुटबन्दी के दंगल में, शासन सत्ता की होड़ में जन-हित की उपेक्षा हुई है और वह आज भी हो रही है । चौधरी चरणसिंह जी ने कुछ बातों की तरफ संकेत किया और कहा कि पुरानी बातों के वे जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछूं कि क्या वह सरकार उन्हीं बुनियादी नीतियों पर अमल नहीं कर रही है या वे उन पहली बुनियादी नीतियों पर अमल करना नहीं चाहते । क्या वह केवल एफीशियेंसी लाकर ही, कुछ सख्ती कर के ही समाज की समाजवादी प्रगति की आशा करते हैं ? यह नहीं हो सकता जब तक कि बुनियादी नीतियों में परिवर्तन नहीं होगा, केवल उन्हीं नीतियों को लेकर थोड़ी-सी एफीशियेंसी या दृढ़ता लाने से काम नहीं चलेगा । इस बुनियादी नीति के भेद को महसूस करना है, लेकिन इस ओर इस दल की सरकार का भी ध्यान नहीं गया है । जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी, इस पूंजीवादी पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक इन मूल नीतियों में परिवर्तन नहीं हो सकता । माननीय माल मंत्री जी बैठे हैं । अगर माननीय गुप्ता जी का एलान हुआ होता कि जो हदबन्दी की सीमा तय की थी वह ज्यादा है, इससे जमीन नहीं निकलेगी, वह कम की जायगी, तो मैं सोचता कि उसकी तरफ बढ़ने का साहस है । अगर ऐलान किया जाता कि प्रदेश कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ती की जायेगी, उनकी सर्वमान्य मांग कि उनके लिये पे कमीशन स्थापित किया जाय, वह स्थापित किया जायगा, तो मैं समझता हूं कि हां, बुनियादी बातों के बदलने की तरफ सरकार प्रयत्नशील है । पूंजीपतियों और गरीबों के बीच जो भेदभाव की नीति बरती जा रही थी, वह नहीं बरती जायेगी, यदि यह सरकार ने कहा होता, तो मैं समझता कि इस ओर कुछ काम हो रहा है, लेकिन एक बार नहीं, दो-दो बार के वक्तव्य में मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि उनकी सरकार उन्हीं नीतियों पर चलेगी जिस पर कि पहली सरकार चल रही थी । तो जब नीतियां एक हैं, पार्टी एक है, कान्टीन्युटी है, केवल एक मामूली-सा ब्रेक है, उस हालत में इस सरकार पर अविश्वास प्रकट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है ।

हमारे एक भाई ने जिक्र किया १५ वें आइटम का । उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इतिहास का अनुभव हमें बतलाता है कि अन्ध कम्युनिस्ट विरोध संसार में किसी देश में न कभी सफल हुआ और न हो सकता है । आलोचना और होती है, समालोचना स्वागत योग्य है, लेकिन अन्ध कम्युनिस्ट विरोधी किसी भी देश में कभी लाभकर नहीं हुआ है और न हमारे देश में होगा । आज उसका अनुकरण करने वाले लोग कोई भी हों, उन्हें उसे छोड़ना होगा देश की

[श्री झारखंडेराय]

एकता के नाम पर, देश की सच्ची प्रगति और समाजवाद की स्थापना तथा जनवादी मान्यताओं की स्थापना के नाम पर । अन्ध कम्युनिस्ट विरोध के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी को जनता से अलग-थलग करने की कोशिश सफल नहीं हो सकती । आज संसार दो खेमों में बट चुका है । दो बाजार हो गये हैं। दो परस्पर विरोधी व्यवस्थायें---पूंजीवादी तथा समाजवादी आमने-सामने खड़ी हैं । उनके सामने सहअस्तित्व अथवा सह विनाश का प्रश्न है । संसार के ८७ देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां काम कर रही हैं । १२ देशों में समाजवादी सरकारें स्थापित हैं । १ तिहाई जनसंख्या इन देशों में बसती है । प्रायः आधा रकबा कम्युनिस्ट देशों का है । इन देशों का उत्पादन विश्व का ४० प्रतिशत है । विज्ञान और टेक्निक में सोवियत यूनियन सबसे आगे बढ़ चुका है । ऐसी स्थिति में---जब समाजवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन चुका है ऐसी स्थिति में ऐसा न हो कि प्रगतिशीलता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर अन्ध कम्युनिस्ट विरोध से प्रतिक्रियावादियों को अवसर मिले और वे प्रगतिशील तथा समाजवादी दल के प्रतिक्रिया के खेमें में दिखाई दें ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने जन्म से, बल्कि पहले से ही और जन्म के बाद भी जो सबसे बड़ी बात की जिससे हमें अविश्वास हुआ और जनता को अविश्वास हुआ वह इस विधान मंडल की प्रतिष्ठा को ठेस लगाना । इस सरकार के मंत्रिमंडल ने, किसी भी तरीके से बुलाई गई विधान मंडल की बैठक को निरस्त कराया । विधान मंडल की बैठक महीनों हुई नहीं । संविधान इस प्रदेश में वस्तुतः मुअत्तिल-सा पड़ा रहा । इसकी मान्यताओं को, इसकी प्रतिष्ठाओं को जो ठेस लगी है वह इस सरकार ने आते-आते किया । ऐसी हालत में इस सरकार पर हम अविश्वास प्रकट करते हैं।

एक बात की बड़ी चर्चा पहले भी की गई है और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी की गई और यहां भी कई सदस्यों ने जिक्र किया बचत अभियान का । मुझे याद है, इस प्रदेश की आज की सरकार के भी एक प्रमुख मंत्री, श्री चौधरी साहब ने स्पष्ट कहा था, जबकि वह उस सरकार में थे, कि १५ से २० करोड़ की बचत यहां के बजट में हो सकती है, लेकिन मंत्रि मंडल की जो पिछली बैठक हुई, जिसमें बचत अभियान की रूपरेखा तैयार हुई, उसमें कुल ८-१० करोड़ की बचत की कल्पना की गई, पता नहीं वस्तुतः कितनी बचत होगी । हम जानना चाहेंगे, बजट भाषण में ही ---अगर सरकार तब तक रह जाय तो कि सचमुच कितनी बचत अब हुई और आगे कितनी की सम्भावना है । आज यह सर्वविदित है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल ने वेतन और मूल्य नीति का सवाल उभाड़ कर हमारे सामने रख दिया है । प्राइवेट सेक्टर में शुगर वेज बोर्ड के बारे में कहा जा चुका है । राज्य सरकार के कर्मचारियों की बुनियादी मांगें जो अमान्य की गई हैं वे आज भी जारी हैं । ऐसी हालत में मंहगाई के कारण जो वास्तविक वेतन में कटौती हुई है उसकी ओर सरकार कौन कदम उठाना चाहती है ? मुझे कोई भी संकेत अब तक के कामों से नहीं मिला है ।

एक सवाल उठता है कि यह पार्टी अगर हट जायगी तो क्या होगा ? क्योंकि यहां विरोधी पक्ष में तो ५ दल हैं और कुल मिलाकर भी संख्या में कम हैं और आपस में मतभेद है । मैं एक बात कह सकता हूं कि इस आर्गेनाइज्ड कैआस से अगर चैओटिक कैआस भी हो तो अच्छा है, लेकिन उसकी भी सम्भावना नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार है । पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर वह हालत पैदा हुई नहीं है । जो हालत आसाम में पैदा हुई उसे दबाया गया, जो हालत अनेक सूबों में इस शासक पार्टी की अन्दरूनी गुटबन्दी से पैदा हुई उसे दबाया जा रहा है, जो हालत इस प्रदेश में पैदा हो गई है उसको भी दबाया जा रहा है । वह हालत पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं हुई है । इसलिये कैआस की बात करके या अनारकी की बात करके गद्दी पर बैठे रहना संसदीय प्रणाली और मान्यताओं के विरोध में, सर्वथा अनुचित है ।

मेरा निश्चित मत है कि इस सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है जब कि शासक पार्टी में दो गुट हो गये हैं, अलग-अलग बैठकें होती हैं । पहले एक गुट का अड्डा यहां

था और दूसरे का कहीं और था। अब दूसरे का अड्डा यहां हो गया है और पहले का अड्डा किसी साहब के बंगले पर है। एक छत्र अधिकार एक गुट के लोगों ने अपने गुट-नेता को दे दिया गया है कि जो चाहें फैसला करें हम मानेंगे। दोनों के दो नेता हैं, दो सेन्टर हैं। ऐसी हालत में एक पार्टी कहना गलत है और दोनों में से किसी को इस सदन का बहुमत हासिल नहीं है। ऐसी हालत में नैतिकता के नाम पर, स्वस्थ संसदीय प्रणाली की स्थापना के नाम पर और आगे आने वाली सन्तान के सामने उदाहरण पेश करने के नाम पर यह सरकार हटे। जब इनकी पार्टी में झगड़ा है, आग लगी है तो मैं कहूंगा कि इस आग से आप प्रदेश के नागरिकों के जीवन को बचायें, प्रदेश को बचायें, हटिये अपनी जगह से, अपनी आग को बुझायें, अपने घर को संभालिये, अपने को सुधारिये उसके बाद फिर आइयेगा। अगर आपको जनता आशीर्वाद देगी तो आप फिर वहीं पहुंच सकते हैं जहां आज हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद के बगैर, मान्यताओं को तोड़ते हुए आज की स्थिति में इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। समाजवाद की ओर जो संक्रमण हो रहा है उसमें एक ही बात आप देखें। समाजवादी देशों में जो समाजवाद का अनुभव हो रहा है, जो प्रयोग किया जा रहा है वह ऊपर से होता है। यहां नीचे से होता है। रोडवेज का राष्ट्रीय-करण हो जायगा--मोटरों का और छोटे-छोटे अन्य उद्योगों का जिनमें छोटी पूंजी लगी है। हो; मुझे इससे मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, बिजली उद्योग कुछ चन्द बड़े-बड़े लोगों के हाथ में रहें और वह लूटें, उस पर आंच नहीं आ सकती है क्योंकि वह थैली देते हैं चुनाव के लिये। छोटे लोगों पर, इक्के वाले, टांगे वाले, रिक्शा वाले बेकार हो जायं, इधर जरूर बढ़ जायगी यह सरकार। यह राष्ट्रीयकरण और समाजवाद और समाजीकरण का नमूना नहीं है।

मान्यवर, इस स्थिति का विकल्प क्या है? मैं यही अपील करूंगा, इधर बैठने वालों से कि समाजवादी विचार रखने वाले, प्रगतिशील विचार रखने वाले उधर से इधर आयें और एक राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा, प्रगतिशील शक्तियों, संयुक्त संगठन का स्थापित हो। नई सरकार की स्थापना के लिये प्रदेश में नागरिक जीवन की सुरक्षा और सुविधा के लिये और प्रदेश के चतुर्मुखी तथा सर्वांगीण विकास के लिये।

*श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, कल से माननीय राजनारायण जी का अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में पेश हुआ और दोनों ओर से जो कल से भाषण हुए हैं उनको मैं गौर से सुन रहा था। राजनारायण जी के लिये अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना या उस पर भाषण देना कोई नई बात नहीं है। जब यह अखबार में निकला कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी अविश्वास का प्रस्ताव इस भवन में पेश करने वाले हैं तो जनता ने इस चीज को कैसे लिया, इसको जरा जानने की आवश्यकता है। जब यह पेश हुआ और उसके बाद कुछ लोगों से भेंट हुई और लोगों ने कहा कि आप लखनऊ असेम्बली में जा रहे हैं। मैंने कहा, हां, राजनारायण जी का अविश्वास का प्रस्ताव पेश है, उसमें हम लोगों का रहना आवश्यक है। तो लोगों ने यह कहा कि हमेशा ही वह ऐसा करते आये हैं। जैसे ही पेश हुआ है वैसे ही गिर भी जायगा, निश्चित बात है। जनता में कोई इसका असर होने वाला नहीं है। जनता ने जिस प्रकार से इसे लिया इसे सभी जानते हैं। जनता ने इसे बिलकुल साधारण रूप से लिया।

(इस समय १ बज कर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

अब जैसा जिन्ना साहब के १४ प्वाइंट्स थे उसी तरह से इनके २१ प्वाइंट हैं जिनको ले कर उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया। अगर इन बातों पर आप गौर से ध्यान करें तो सन् १९५२ से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

इन्होंने एक मर्तबा नहीं ५५ या ५६ मर्तबा दोहराया होगा। कोई नई बात इन्होंने इस भवन में नहीं रखी है। जब बजट आये तब वही बात, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो तब वही बात और धारा ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिया जाय तब वही बात कही जाती है। तो ये बातें न मालूम कितनी मर्तबा इस भवन में कही गयीं और उन्हीं को उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव में रखा। तो इससे कोई लाभ नहीं होता है।

इस बात की दोहाई दी जाती है कि सरकार की ओर से खर्चा कम होना चाहिये। जरा इस पर आप गौर करें और इस सदन के माननीय सदस्य उधर के विशेष ध्यान दें कि ४३० सज्जन इस सदन के हैं। १० रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से लगभग ८, ९ हजार रुपया इस सदन का इस अविश्वास के प्रस्ताव पर खर्च होगा जिसकी जिम्मेदारी इधर के लोगों की नहीं हो सकती है, बल्कि उधर की ही होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जो सोते रहते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल---सोता कोई नहीं रहता, सब जागते रहते हैं। जो सोने वाले समझते हैं तो दूसरे ही सो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव की जो हालत होने वाली है उसे सब जानते हैं तो ऐसे प्रस्ताव को पेश करने से कोई लाभ नहीं होता है बल्कि और मौकों पर भी वे बातें कही जा सकती हैं। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे प्रस्ताव को लाकर सदन का समय नष्ट न करें और इस सरकार का धन भी नष्ट न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है उनके सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आपने यह कहा कि हमारे प्रदेश में कक्षा आठ तक फीस माफ नहीं हो सकी। यह सभी जानते हैं कि सरकार ने इस ओर अपना कदम बढ़ाया है और यह कदापि सम्भव नहीं था कि एक साल के अन्दर ही कक्षा आठ तक की फीस माफ कर दी जाती। धीरे-धीरे यह चीज हो रही है और कक्षा छः तक फीस माफ कर दी गई है और आगे भी हमारी सरकार प्रयत्न करना चाहती है। आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निर्धारित लक्ष्य से भी आगे जाना चाहती है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही की गरीबी और बेकारी को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया यह सत्य से परे बात है। हमारी सरकार ने इस ओर काफी प्रयत्न किया है। आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उद्योग-धंधों को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। दस वर्ष पूर्व जिन देहातों में उद्योग धंधों का नाम तक नहीं था वहां जाकर अगर देखें तो आपको चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही उद्योग धंधे जरूर दिखाई देंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह नहीं हो सकता है कि साल दो साल में हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी सुधर सकेगी जिसका मुकाबला दूसरे पश्चिमी देशों से हो सके। कोयले की भी कमी है, लेकिन उसके लिये हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है और अब कोयला डम्प करके रखा जायगा और आड़े समय पर उसमें से वितरित किया जायगा। इसके अनुसार हमारे यहां कार्यवाही हो रही है।

ग्राम पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में बड़ी शिकायतें की गईं कि सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा अन्याय किया। हो सकता है कि कहीं-कहीं ऐसा हुआ हो। मुझे भी शिकायत है। सभापति के चुनाव में लोगों ने जो-जो तरकीबें लगाई हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करूं कि उसी दल के अधिकतर लोग मुझे मिले हैं जिस दल के सदस्य राजनारायण जी हैं। मैं एक जिले में चुनाव के वक्त पर मौजूद था। कांग्रेस की ओर से आदेश था कि कांग्रेस के सदस्य पंचायतों के चुनाव में कोई भाग नहीं लेंगे। कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इन चुनावों में कोई भाग नहीं लिया और मैं आपके द्वारा बताऊं कि दूसरी पार्टियों की तरफ से खुले आम गांव-गांव

में जाकर उनके सदस्यों ने अपना प्रचार किया और उन्होंने अपने सदस्य खड़े किये और क्या-क्या बातें हुई हैं इसका एक रोज मैंने जिक्र किया था। मैं जानता हूं कि जैसा राजनारायण जी ने अपने भाषण में बताया धारा ३७९ के अन्तर्गत फर्जी मुकदमे दायर करवा कर और फैसले करवा कर विपक्षियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिये गये। मामले अदालतों में हैं इसलिये मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास आयें तो मैं बता दूंगा कि जिन व्यक्तियों ने किया है वह सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्त्ता हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हम को स्पष्टीकरण का मौका दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं। बाद में देखा जायगा।

श्री राजनारायण—कितने कांग्रेसी एम० एल० एज० चुनाव में हारे हैं?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत स माननीय सदस्यों न महात्मा गांधी का नाम ले कर यहां पर भाषण किये हैं। उन्होंने यह बताया कि स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने भी जो उधर बैठने वाले हैं, भाग लिया था। मैं इसको मानता हूं, लेकिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को जो मंत्र दिया था वह इसलिये नहीं दिया था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस देश की उन्नति में वह सहयोग न दें। उनकी यह इच्छा थी और वह कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं से आशा करते थे, जिन्होंने त्याग किया था, जेल खाने काटे थे, तकलीफें बरदाश्त की थीं कि वह इस देश की प्रगति में तन-मन-धन से सहयोग देंगे, लेकिन स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् बहुत से सज्जन उसमें से निकल कर गवर्नमेंट का विरोध करने के लिये दूसरी पार्टी बना कर खड़े हो जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि जिस वक्त देश में कांग्रेस के आन्दोलन चला करते थे उस समय हजारों, लाखों लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की सहायता करते थे और कांग्रेस आन्दोलन का विरोध करते थे, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह अपोजीशन बना सकते थे, लेकिन उन सज्जनों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह विरोधी पार्टी बना कर जो सरकारें बनी हुई हैं उनका विरोध करेंगे। आज हमारे देश में गणतन्त्र किस प्रकार चल रहा है अगर इसकी कोई जानकारी करना चाहे तो आज का अखबार पढ़ कर देख ले। एटली साहब जो कि भारत में आये हुए हैं वह यह कहते हैं कि पूर्वी देशों में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र चलाने में अग्रसर है। हिन्दुस्तान को देखकर जो छोटे-छोटे देश हैं, बहुत-सी बातें सीखेंगे। जिस खूबी के साथ डेमोक्रेसी भारत में चल रही है, वह उसकी सराहना करते हैं। इस डेमोक्रेसी के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में जो कार्य हो रहा है वह भारत सरकार की नीति के अनुसार हो रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं मिल सकती है जिसको यह लांछन लगा सकते हैं।

जहां तक अविश्वास की बात है, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४६ से लेकर आज तक जनता ने कांग्रेस सरकार के ऊपर विश्वास एक मर्तबा नहीं तीन मर्तबा दिखाया है और आज इस भवन में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव यहां लाकर के अन्य साथियों से सहयोग लेकर कोशिश कर रहे हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो, मैं फिर आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जनता ने तीन मर्तबा कांग्रेस सरकारों में विश्वास दिखाया है उसी प्रकार यह प्रस्ताव भी आज इस भवन में समाप्त होकर के फिर इस भवन का विश्वास इस सरकार के ऊपर प्रदर्शित हो जायगा, यह मेरा विश्वास है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव जो सदन के सामने उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां इस बात की चर्चा की गई कि अविश्वास का प्रस्ताव सदा नेता विरोधी दल को उपस्थित करना चाहिये। मुझे दुख है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह शिकायत उपस्थित की उन्होंने संसदीय पद्धति को देखने की कृपा नहीं की। जहां यह सही है कि वह चढ़ता है नेता विरोधी दल के नाम पर वहां यह भी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

सही है कि ऐसे बहुत कम मौके हुए हैं कि जब नेता विरोधी दल स्वयं उसको उपस्थित नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे सदस्य को कहते हैं कि वह उपस्थित करे और मैं समझता हूं कि सन् १९५७ में और उसके बाद सन् १९६१ में जब कि अविश्वास का प्रस्ताव आया जिसमें नेता विरोधी दल की हैसियत से मेरा भी समर्थन प्राप्त था तो भी विरोधी पक्ष के किसी अन्य माननीय सदस्य ने उसे उपस्थित किया। यह संसदीय प्रथा के सर्वथा अनुकूल बात है।

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इस प्रस्ताव के पेश होने के पहले कुछ ऐसी बातें यहां कही गईं कि जिनसे मेरा भी संबंध था और मेरी पार्टी का संबंध है। रानी खेत में होने वाले उप-चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया, यह शर्म की बात है। मुझे उस पर पूरे तौर पर नदामत है। पार्टी के सम्मान में उससे धक्का लगा इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन यह भी एक इस बार नयी बात हुई कि उस उम्मीदवार के विरोध में जो कांग्रेस दल की तरफ से उम्मीदवार थे और हैं वह नामजदगी के दिन दो बार उनके घर गये। ऐसी घटना कम होती है। क्यों गए, कैसे गए यह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन गये, यह एक वाकया है। फिर मुझे नदामत है कि मेरे उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया।

मैं मान्यवर, जो प्रस्ताव पेश है कह चुका हूं कि उसका समर्थन करता हूं। समर्थन करने का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि जितने कारण दिये गये हैं उन सबका मैं समर्थन करता हूं और यह सर्वमान्य संसदीय प्रथा है कि अविश्वास का प्रस्ताव अगर किसी सरकार के विरुद्ध स्वीकृत हो जाय तो जो उसके बाद आने वाली सरकार इसके लिये बाध्य नहीं है कि वह उन कारणों पर अमल करे। सिविल डिसओबीडियेंस का मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इक्कीसवें कारण में जिक्र किया गया है। यह मेरी बदकिस्मती है कि इस प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने वैध करार दिया। अगर उसको गौर से पढ़ा जाय तो सिविल डिसओबीडियेंस, सविनय अवज्ञा जिस दिन वैध होगी उस दिन अवज्ञा नहीं रह जायगी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कांट्रैडिक्शन इन टर्म्स, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जब एक प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश है और उसको अध्यक्ष महोदय ने वैध घोषित कर दिया है तब अगर उसके बहुतांश से मैं सहमत हूं तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उसका समर्थन करूं।

कहा गया कि कुछ पार्टीबन्दी है। आपको मान्यवर, याद होगा और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को भी कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में अपने संशोधन को पेश करते समय कांग्रेस दल के अन्दर गुट बन्दी का मैंने उल्लेख नहीं किया था। जानबूझ कर नहीं किया था, लेकिन उस तरफ से कहा गया कि इस सदन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेता हैं और बहुमत से चुने गये हैं, सर्व सम्मति से नहीं चुने गये हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह शिकायत जब एक पार्टी के नाम पर की गई जिससे मेरा संबंध है तो यह कहना कर्त्तव्य हो जाता है कि चुनाव हमेशा बहुमत से हुआ करते हैं किन्तु कल भी वन मंत्री ने कहा कि उनके नेता का तो सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। किसी को इन्कार नहीं है सर्वसम्मति के चुनाव से। उन्होंने मिसाल दी थी कि एक छोटा सूरज उदयाचल से ऊपर चढ़ रहा है। मुझे केवल इस सिलसिले में इतना ही कहना है कि यह सूरज पश्चिमी से उगा है और जो सूरज पश्चिम से निकलता है वह बहुत दिन नहीं चलता। यह अनहोनी बात है।

डेमोक्रेसी में संसदीय प्रथा के बारे में सीख दी गई और कहानियां हमको बतलाई गईं, लेकिन मैं नम्रता पूर्वक इस माननीय सदन की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि है कोई पूरे संसदीय इतिहास में इस बात की मिसाल कि जहां ६८ सदस्य विश्वास कुछ करें और करें कुछ? है कोई संसदीय इतिहास में इस बात की मिसाल कि १२५ माननीय सदस्य विश्वास कुछ करे और करें कुछ? मैं इतना कहना चाहता हूं कि खिलवाड़ नहीं है। यह सही है कि जो विश्वास कुछ करते हैं और करते कुछ हैं, उनको सन् १९५७ में जनता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मान्यवर, वह

समय दूर नहीं है जब उनको मुस्तकिल तौर पर इस आदरणीय सदन में जो स्थान प्राप्त है, उससे हाथ धोना पड़ेगा। इसी कारण से कि विश्वास कुछ और करना कुछ।

अभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस का बहुमत है। कौन इन्कार करता है? लेकिन सन् १९५२ में ९० प्रतिशत स्थान इस आदरणीय सदन में कांग्रेस दल को प्राप्त थे। १९५७ में वह घटकर ६६ पर नौबत आई और भगवान खैर करे सन् १९६२ में, मैं नहीं कहता हूं कि क्या होने वाला है लेकिन जो मैं पहले कह चुका हूं कि वह समय आने वाला है उनके लिये जो सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, विश्वास कुछ है और करते कुछ हैं। इस सदन में जो सेवा उनको दी गई है और जो काम उनके सुपुर्द है उससे जनता उन्हें वंचित करेगी।

यह शिकायत की गई माननीय गृह मंत्री की तरफ से कि यह प्रस्ताव वर्तमान मंत्रिमण्डल पर है। सोचा कि क्या इसमें कुछ गलती है? क्या कोई ऐसी मिसाल है कि भूतपूर्व मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट किया जाता हो? यह क्या तमाशा है? बड़ी शान से पूछा कि २।। महीने या पौने तीन महीने में कोई काम हुआ हो तो बतलाया जाय कि क्या गलती हुई। दो दिन की बात है कि अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक आता है जिसमें लिखा हुआ है कि ३० जून, १९६१ तक इसकी मुद्दत बढ़ाई गई है और वही मंत्री महोदय, पेश करने वाले कहते हैं कि जिला परिषदों का संगठन सन् १९६२ के आम चुनाव के बाद होगा। जरा गौर कीजिये क्यों नहीं इसी सिलसिले में संशोधन द्वारा कह देते कि इसकी मुद्दत ३० जून, १९६२ तक कर दी गई। यह २।। महीने के कार्यकाल के अन्दर की बात है। गौर कीजिए कि इस सरकार का यह मतालबा और उसके पीछे बैठने वालों की यह इच्छा कि इस सरकार में अविश्वास प्रकट न किया जाय। मैं पूरी संसदीय इतिहास की दुहाई देता हूं कि कभी ऐसा हुआ है कि बजट अगले साल का, आय व्ययक का लेखा समय से प्रस्तुत न किया जाय। वोट आन एकाउन्ट की प्रथा सर्वमान्य है, लेकिन सरकार का यह कर्त्तव्य है कि बजट समय से प्रस्तुत कर दे फिर अन्य आवश्यक कार्य वश वोट आन एकाउन्ट ले लिया जाय। इस सदन के नियम हैं और नियमों की अवहेलना सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है। अगर उन नियमों का पालन किया जाय तो १६ मार्च को प्रस्तुत होने वाला बजट इस सदन में समय से पारित नहीं किया जा सकता। क्या इस सरकार का कोई समर्थन कर सकता है? मैं तो क्या किसी पोलिटिकल साइन्स के आचार्य से पूछा जाय। एटली साहब का हवाला दिया गया। उलट डालिये यूनाइटेड किंगडम और विधान सभा की कार्यवाही को, जिसकी स्थापना १९३७ में हुई थी। कभी ऐसा हुआ? हां, जब आम चुनाव होते हैं तब तो यह बात हो सकती कि आने वाली सरकार पर बोझ न लादा जाय इसलिये वोट आन एकाउन्ट ले लिया जाय, लेकिन यहां १९६१ में कोई आम चुनाव होने वाले नहीं हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार के समर्थन की आशा करना, किसी ऐसे आदमी से जो जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सदन की सेवा करने के लिये यहां आया हो, ठीक नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री के पास महज १४ पोर्टफोलियो हैं। पहले ५ थे। जब ५ थे तो जनता ने उस बोझ को बरदाश्त नहीं किया, जब १४ हो गये तो राम जाने उनकी क्या दशा होगी। और वह लोग, मान्यवर, कि जिनको यह कहते थे और आज भी कहते हैं कि उन्होंने गलत काम किये वे भ्रष्ट थे, उनके लिये दरवाजा आज भी खुला हुआ है। मंत्रिपरिषद् होमोजीनस जमात होनी चाहिये जो एक राय की हो। एक माननीय मंत्री कह गये कि दो रायें होना बहुत जरूरी है। वह यह भी कह गये कि मुजरिम रहेंगे और क्राइम्स रहेंगे और उन्होंने तुलना की युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका से। मान्यवर, आप जानते हैं कि अपराध हमेशा शहरों में ज्यादा होते हैं गांवों के मुकाबले में। उनके अनुसार इस प्रदेश में ८६ फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। अगर वे यह भी बतला देते कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका में कितने फीसदी लोग गांवों में रहते हैं तो जो ५ या ६ गुने की तुलना उन्होंने की, उसका परदा फाश हो जाता।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि यहां कम खर्च की बात की गयी कि सरकार खर्च में कमी करना चाहती है। मिनिस्टरान ने अपनी तनख्वाहें कम कीं, इसके लिये कानून बनाया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि एक मिसाल कायम करते हैं। माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में भी यह बात कही। यह मिसाल उन्होंने बहुत कायम कर ली। अपनी मिसाल कायम करने के लिये कानून की शरण ली, लेकिन क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से इन्कार है कि ८० फीसदी से ज्यादा हमारे प्रदेश का रुपया तनख्वाहों पर खर्च होता है। क्या किसी कानून के द्वारा उन्होंने अन्य सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में, भत्ते और दूसरी सहूलियतों में कुछ कमी की है? या वह किसी कमी करने का बिचार रखते हैं? उनके लिये होगा स्वेच्छा से जो पुराने सरकारी कर्मचारी हैं उनको यह अख्तियार नहीं है कि अपनी तनख्वाह का कोई हिस्सा न लें। मैंने कहा था कि इंग्लिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी आज तक अपनी पूरी तनख्वाह प्राप्त नहीं की। आज क्या कहूं। १२ हजार की छोटी मोटर ले ली गयी, लेकिन इंग्लिस्तान के मंत्री आज भी बसों पर सफर करते हैं, और छोटे-छोटे घरों में रहते हैं। कहा गया कि बंगले छोटे लिये गये। यह मंत्री जो मंत्रिपद में आने से पहिले बसों पर चलते थे, जिस दिन से मंत्री हो गये, बड़े अफसोस की बात है, मोटरों पर चलने लगे। क्या मिसाल कायम की है कि बिना मोटर के सफर नहीं कर सकते।

मुझे दुख होता है जब मैं इसे देखता हूं, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह की भूल इस तरफ के बैठने वालों से भी होती है। माननीय मंत्री जी जब सदन में यहां आकर बैठते हैं, उनके पी० ए० कुछ फाइलों को लाकर उनके सामने रखते हैं। यह क्या है? इसी संबंध में भूतपूर्व अध्यक्ष ने पहले एक रूलिंग भी दी थी, लेकिन यहां यह शान है कि खुद कोई फाइल नहीं ला सकते। कोई फाइल उठाकर खुद नहीं रखेंगे, चले जायेंगे और फिर उनको उठा कर उनका चपरासी ले जाता है। क्या यही सादगी की मिसाल है? एक आधा सेर या पौन सेर वजन कागज भी नहीं लेकर चल सकते? मैं श्रीमन्, यह बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह करते कुछ हैं और कहते कुछ और हैं।

अभी थोड़े दिन हुए, माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया था कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर करें? उन्होंने बताया कि वकील जो सब से पढ़े लिखे लोग हैं, वे भ्रष्टाचारी हैं, व्यापारी भी भ्रष्टाचारी हैं, धनवान व्यक्ति भी भ्रष्टाचारी हैं, तो सरकार क्या करे? सब जब भ्रष्टाचारी हैं तो मैं पूछता हूं कि यह सरकार क्या है? यह वकीलों से हार मान गयी और उधर व्यापारियों से भी मात हो गयी। कुछ माननीय मंत्री लोग भी वकील हैं। पुराने वकील हैं। और जब मंत्री नहीं रहते हैं, हटा दिये जाते हैं, तब फिर वकालत ही शुरू कर यही करते होंगे। इसलिये यह कैसे आशा की जा सकती है कि हम इस मंत्रिपरिषद् का समर्थन करें?

मैंने श्रीमन्, यह माना कि यह ढाई महीने की सरकार है, अभी दुधमुहा बच्चा ही है, अभी उसे कार्य करने का कुछ मौका भी नहीं मिला है, किन्तु फिर भी यह जो कुछ कर रहे हैं उसको देखते हुए जनता एक क्षण भी उसका समर्थन नहीं कर सकती। इस सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना को स्वीकार कर लिया है। यहां से जो मांगा गया था उसका कुछ हिस्सा ही स्वीकार हुआ है। ६९३ करोड़ में से केवल ४९७ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है और उसी को इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। श्रीमन्, हमको मालूम होना चाहिये कि प्लानिंग का अर्थ क्या है? आज जरूरत है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ अंचल हो, जहां बैकवर्ड और हरिजनों की सब से अधिक आबादी हो, जन गणना से जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग हो, शिक्षा के हिसाब से पिछड़ा हुआ हो, जायदाद के हिसाब से पिछड़ा हुआ हो, धन के हिसाब से भी पिछड़ा हो, और हर तरह से पिछड़ा हुआ हो, उसको सब से पहले उठाने की। लेकिन मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप इस प्रदेश की सरकार ने, पुरानी सरकार ने, बनाया था, और जिसका समर्थन यह ढाई महीने की सरकार करती है, उसने हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान

के लिये केवल ११ करोड़ रुपया ५ वर्ष के लिये रखा है। जो तजवीज की गई थी उसमें २०० करोड़ की कटौती कर दी गयी यानी २५ फी सदी से अधिक की। इस अनुपात से यह रकम ११ करोड़ की जगह ८ करोड़ ही रह गई होगी। इसमें हरिजन भाइयों के लिये ४ करोड़ रुपये से कम है। और यह ५ वर्षों के लिये है। आप देखें कि इस प्रदेश के १४३ करोड़ के बजट में इन लोगों के उत्थान के लिये जो कि आबादी में ५० फीसदी से अधिक ह, केवल डेढ़ करोड़ रुपया वार्षिक उनके मकानात के लिये, उनकी शिक्षा के लिये, उनकी माली हालत को सुधारने के लिये और अन्य बातों के लिये रखा गया है। फिर यह चाहते है कि हम इस सरकार का समर्थन करें? मेरी समझ में नहीं आता कैसे इस सरकार का समर्थन किया जाय? यह हो सकता है कि समर्थन उन लोगों से मिले जो उस दल की ओर निहार रहें हैं। यह हो सकता है कि समर्थन उन लोगों से मिले जो अपने हित की बात को नहीं समझ पाते। मान्यवर, जिसके आंखें हैं और देखता है, जिसके कान हैं और सुनता है, जिसको इस गरीब प्रदेश की गरीब जनता का कुछ भी ज्ञान है, वह एक सेकेन्ड के लिये भी इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकता।

यूनिवर्सिटियों का भी जिक्र किया गया। मैं पूछता हूं उनको बिगाड़ा किसने? कहीं दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक प्रदेशीय सरकार के मंत्री किसी विश्वविद्यालय के खजान्ची बने रहे दस साल से ज्यादा तक। गौर तो आप करें कि वहां से तजबीज करते हैं और यहां स्वीकार करते हैं। लेकिन बने रहे और एक गुट के साथ रहे। अब कानून क्या बन रहा है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाय। मालूम यह होता है कि सारी यूनिवर्सिटीयों में यह बला जो आज आई है यह महज वाइस चांसलर के हटा देने से ठीक हो जायगी। एक हल उन्होंने निकाला है इतने दिनों के बाद। जो आज भी पद्धति है लखनऊ और इलाहबाद विश्वविद्यालय में वह उसी जमाने की पद्धति है जब कि माननीय मुख्य मंत्री का हाथ इस सक्रिय संचालन में था। लेकिन अगर वह किसी को हटाना चाहते हैं, हटाये, मुझे हमदर्दी नहीं है किसी के साथ। लेकिन यह कानून जो उप-कुलपति की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये बनेगा, मैं जानना चाहता हूं कि कभी कोई ऐसा कानून बना कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी सबकी नौकरियां समाप्त कर दी जायंगी। यह एक नया तजुर्बा किया गया है इस प्रजातन्त्र में और यह कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण के कायल हैं। वह अस्पताल जो पहले जिला बोर्डों के थे वह अब सरकारी हुए। वही स्कूल जिनमें पहले कोई दखल नहीं था उनमें अब सरकार का अंकुश पहले से कई गुना ज्यादा है। वह सहकारी समितियां जिनके सदस्यों को इस बात की गुंजाइश थी कि जिस तरह से चाहें काम करें लेकिन आज सहकारिता के उसूल और कानून को ध्यान में रखते हुए उनको मोअत्तल किया जाता है। वह लोकल एथारिटीज जिनको पहले पूरे अधिकार प्राप्त थे अपने क्षेत्र में और जो सेवायें उनके सुपुर्द थीं उसमें जिस तरह से चाहें काम करें, आज वे सारे के सारे अधिकार छीनकर प्रदेश की सरकार के हाथ में लिए गए हैं। और फिर हमसे आशा की जाती है कि हम इस सरकार का समर्थन करें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक नहीं हजार बातें हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन आप जरा गौर करें कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कृषकों को क्या सहूलियतें दी गईं। ढाई महीने में सरकार अगर कुछ कर नहीं सकती थी तो कम से कम कह तो सकती थी। मैंने यह बात कही थी कि इस सरकार की रुपया पैसा बचाने की जो स्कीम है उसका प्रारूप इस आदरणीय सदन की मेज पर रखा जाय और मैं आज माननीय मुख्य मंत्री से दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका ६९३ करोड़ का प्रारूप था जिसमें महज ४९७ करोड़ स्वीकार किया गया, उसमें कहां किस मद में कटौती हुई है उसका प्रारूप इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें ताकि हम समझ तो सकें कि सरकार है कितने पानी में और किस दिशा की ओर जा रही है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

यह कहते है कि हम समाजवादी है, यह कहते है कि इनकी लीडरशिप वही है और कार्यक्रम और नीतियां पहले से ज्यादा प्रगतिशील है। मैं इनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि गौर करें, लीडरशिप वही, इनकी नीति और कार्यक्रम में कुछ प्रगतिशीलता आई है, कुछ जनतन्त्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर जनता के अविश्वास की कमी क्यों? इसका कोई न कोई कारण है वह कारण मैंने पहले अर्ज किया कि जो सोचते हैं, जो समझते है, जो ठीक मानते हैं, उसको कहते भी हैं लेकिन इस आदरणीय सदन की हद के बाहर।

कहा गया कि यह प्रस्ताव महज एक तमाशा है, इसमें कोई नयी बात नहीं कही गई। मालूम नहीं इनकी नयी बातें खोजने के लिये किसी नयी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव की महज एक गरज होती है और वह गरज यह होती है कि जो प्रस्ताव के समर्थक है वे इस बात को रखें कि वह समय दूर नहीं जब बहुमत दल विश्वास खो देगा। और वह कैसे खोयेगा। जब हम इस सरकार की खामियों को जनता को बतायेंगे। वह समय अब आ गया है। कहा गया कि दूसरे दलों में भी लड़ाई है। दूसरे दलों की लड़ाई से देश और समाज के ऊपर असर नहीं पड़ता है लेकिन जब उसे सरकार के बारे में मालूम होता है कि उसका एक मंत्री दूसरे मंत्री से मतभेद रखता है और ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है जो चीफ मिनिस्टर की राय के नहीं है, बल्कि बाहर से कोई दबाव पड़ा है, उस सरकार की मान्यता समाज में न कभी हुई है और न होगी।

न्याय और प्रशासन का पृथक्कीकरण है, ऐसा बताया गया लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं न्याय और प्रशासन के पृथक्कीकरण की यह शक्ल और प्रारूप जो उन्होंने पेश किया है, उसे किसी और मुल्क ने भी इसको मान्यता दी है? इस स्वांग में देश की जनता अब आने वाली नहीं है, कितना ही जोर से कहिये कि हमने न्याय और प्रशासन को अलग कर दिया। वह अलग नहीं है। यह हाईकोर्ट की मातहती और गैरमातहती का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज का तबादला सरकार करती है, अगर यह और कहा होता कि हाई कोर्ट भी इन्डिपेंडेन्ट नहीं तो और भी अच्छा होता। उनके जजों की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति करते है। नियुक्तियां तो सारी की सारी गवर्नर के नाम से होती ही हैं। इंगलैन्ड में जस्टिस आफ पीस की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। लेकिन एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसके नियंत्रण से वह परे हो जाता है। इसी प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को राज्यपाल नियुक्त करता है किन्तु जब एक बार उसकी नियुक्ति हो गयी तो राज्य सरकार के किसी नियंत्रण में वे नहीं रहते। एलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है लेकिन नियुक्ति के बाद उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह कहां का न्याय है कि नियुक्त करते हैं तो पूरे मालिक ही बन जायं।

सरकार को सन् १९५७ में जनता का समर्थन प्राप्त था लेकिन आज जनता का बहुमत जो इस आदरणीय सदन के बाहर है, वह इसके खिलाफ है, इसलिये हमने यह प्रस्ताव यहां पेश किया और हम बाहर की जनता को बता देना चाहते हैं कि इस सरकार ने क्या-क्या किया है और हम उसे तैयार करना चाहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि वह इससे छुटकारा हासिल करे। इन शब्दों के साथ, जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, जब ऐसे मौके आते हैं तो मेरे दिल में ऐसा खयाल पैदा हो जाता है कि कोई ऐसी बात रह न जाय जिससे हमारे भाई त्रिलोकी सिंह नाराज हो जायं। मैंने इस प्रस्ताव को बड़े गौर के साथ पढ़ा। जिस वक्त यह पेश हुआ था, उस तरफ के सभी ग्रुप उसके पक्ष में खड़े हुए थे, यह भी मैंने देखा था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो बड़ा परेशान हुआ क्योंकि खड़े होने के माने तो यह थे कि उस प्रस्ताव से 'एज़ इट इज़' सब लोग सहमत थे। लेकिन आज दो रोज से बहस हो रही है। मैंने उस ग्रुप के लीडरों की तकरीरें

सुनीं तो मुझे तो यह विश्वास हुआ कि उधर के लोगों को इस नो कान्फीडेंस मोशन पर ही विश्वास नहीं है। क्योंकि हमारे बड़े भाई पालीवाल जी केवल पांच मिनट बोल कर ही चले गये। अब मैं क्या कहूं, सभी भाई यहां मौजूद थे, सभी जानते हैं कि उन्होंने इसको सीरियसली टेक अप नहीं किया। इतने बड़े वक्ता, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर, जब इस नानसीरियस वे में पांच मिनट फर्ज अदायगी करके चले जायं तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात का सबूत है कि उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया।

जब हम श्री झारखंडे राय जी की तरफ नजर डालते हैं तो १५ नं० पर एक आइटम है कि अविश्वास सरकार में क्यों है—कि कम्युनिस्टों को कुचला नहीं गया। उसका आशय यही है।

एक सदस्य—फिर से पढ़ लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसका आशय हम यही समझते हैं। वैसे तो वे प्रस्ताव उपस्थित नहीं करते, लेकिन जब एक दफा गलती कर चुके और प्रस्ताव को बिना सोचे समझे ही ताईद करने के लिये खड़े हो गये थे तो फिर उसमें कहें क्या। जब १५ नं० वाला आइटम उनके सामने पड़ा तो लौट कर उलटी पड़ी।

जहां तक स्वतन्त्र पार्टी का ताल्लुक है, उसकी तरफ से यह कहा गया कि सीलिंग के इम्पोजीशन में डिले किया गया। अब इस सदन की प्रोसीडिंग्स को मंगा कर देख लिया जाय कि स्वतंत्र पार्टी सीलिंग के खिलाफ ही थी लेकिन अब कहते हैं कि उसके इम्पोजीशन में देर हो गयी, तो बात क्या है समझ में कुछ आता नहीं। कुछ समझदारी की बात हो तो समझ में आवे भी। पहले तो कहां सीलिंग के ही खिलाफ थे और अब कहते हैं कि डिले हो गयी, इसलिये सरकार में अविश्वास है।

इसी तरह से हिन्दी के बारे में भी उस पार्टी की तरफ से कहा गया। राजा जी जो स्वतंत्र पार्टी के कर्ताधर्ता हैं, वे हिन्दी के बारे में क्या कहते हैं। अगर उनकी पालिसी का और यहां की स्वतंत्र पार्टी का मुकाबला किया जाय तो उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। अगर वे यह सुन पाये तो क्या दशा हो यहां के लोगों की मैं नहीं जानता। क्या यहां की बात कभी छिपने वाली है और यहां की बात छपेगी नहीं? चाहे स्वतंत्र दल तकरीर न करे लेकिन यह बात खुल जायगी और जहूर में आ जायगा। और राजा जी उसको पढ़ कर बहुत दुखी होंगे। हम तो यह कहते हैं कि यह प्रश्न अविश्वास का नहीं है बल्कि यह सोशलिस्ट पार्टी का एलेक्शन मनिफेस्टो है। हमें तो यही दिखलायी पड़ा शुरू से आखिर तक और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल एलेक्शन के वक्त भी इसी को उलट पलट कर दोहराया जायगा, आप इसको लिख लीजिये पक्का-पक्का।

हमारे भाई श्री त्रिलोकीसिंह भी इस बात को मानते हैं कि हमेशा जब कोई मांग होती है तो कभी ११ प्वाइंट की मांग होती है, कभी १५ प्वाइंट की और अब बढ़ते-बढ़ते वह मांग २१ प्वाइंट की हो गयी। ये तो जिन्ना साहब से भी बढ़ गये जिनकी मांग पहले ७ थी और फिर १४ हो गयी उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी की मांग अब २१ हो गयी है। यह बिल्कुल एलेक्शन मेनिफेस्टो है। क्या सभी दल के लोग सोशलिस्ट पार्टी के एलेक्शन मेनिफेस्टो की ताईद करते हैं मैं कम्युनिस्ट ग्रुप से पूछता हूं, स्वतंत्र पार्टी से पूछता हूं और जनसंघ से भी पूछता हूं कि क्या आप इस मेनिफेस्टो की ताईद करते हैं? कभी नहीं कर सकते, कोई बोल नहीं सकता, कोई हां नहीं कर सकता। अगर किसी में जुर्रत है तो हां, कहे। कोई भी इसकी ताईद नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि पी० एस० पी० भी इसकी ताईद नहीं करती क्योंकि पी० एस० पी० में भी कुछ समझदार लोग हैं इसी वजह से भाई त्रिलोकीसिंह जी ने पहले ही कह दिया कि मैं कारणों में नहीं जाता और इस तरह से अपनी एक बचत कर ली। कैफियत के खाने में अपना नाम लिखा लिया कि मैं इन कारणों में नहीं जाता। अगर कारणों में जाते तो आप भी फंस जाते। जब उस मेनिफेस्टो की ताईद नहीं करते हैं तो फिर नो कांफिडेंस मोशन पर क्या तकरीर करें।

[हुकुमसिंह विसेन]

झारखंडे राय जी कहते हैं कि आप घर में चले जाइये और बाद में सूबे को बचाइये। आपके सुपुर्द कर जायं? क्या चाहते हैं? किसके सुपुर्द कर जायं? बता दें आप अपोजीशन भी तो इतना यूनाइटेड नहीं है कि उसके सुपुर्द कर जायं और हम छुट्टी लें।

एक सदस्य--आप कहां जाने वाले हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आप ही हमें जाने नहीं देंगे, हम जानते हैं यह बात। मैंने एक माननीय सदस्य से, नाम उनका नहीं लूंगा, बात की, नो-कान्फिडेंस मोशन के बारे में, तो वह फरमाने लगे कि गवर्नमेंट उससे जाती नहीं है हमें जरा अपनी बात कहने की गुंजायश हो जाती है। वह गुंजायश गवर्नर के भाषण पर, सप्लीमेंटरी बजट पर, बजट पर हर वक्त होती है यह दो दिन खराब कर के ही क्या करियेगा। तो बात यही है कि आप हमको जाने नहीं देंगे और न हम ही आपको जाने देंगे। हम भी आपको चिपकाये रखना चाहते हैं, अक्ल से काम किया जाय तो आप जैसा अपोजीशन ही रहना जरूरी है, दानिशमन्दों की जरूरत है नादानों की जरूरत नहीं है। हम माननीय झारखंडे राय जी की राय पर भी अमल करने वाले नहीं हैं, हम अपना घर छोड़ दें और भेड़िया सारे बच्चे खा जाय। हम आखिर वक्त तक रक्षा करेंगे जब तक जनता का विश्वास हमको प्राप्त है।

एक सदस्य--वह है आपको प्राप्त?

श्री हुकुमसिंह विसेन--होता नहीं तो इतनी तादाद में यहां कैसे बैठे होते। यह प्रस्ताव जो है अगर सन् १९६२ के वक्त एलेक्शन मेनिफेस्टो की शक्ल में आये तो इस पर जनता अपना वरडिक्ट दे सकती है बाकी सदन को तो इसे रिजेक्ट ही करना है। अगर यह एलेक्शन मेनिफेसटो ही है तो इस पर जनता का वरडिक्ट होना जरूरी है।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि मंत्री लोगों में बड़ा अभिमान है वह एक कागज भी लेकर नहीं चल सकते। वाकई इसके लिये मुझे शर्म मालूम होती है हमारे भाई खसरा खतौनी लेकर कचहरी जाते हैं तो वाकई हमारे लिये शर्म की बात है, हमें भी लेकर चलना चाहिये और आइन्दा से मैं कोशिश करूंगा कि मैं श्री त्रिलोकी सिंह जी का हुक्म मानूं। उन्होंने एक बात और वकीलों के बारे में कही कि यह सरकार वकीलों से भी हार मान गई लेकिन वकीलों से मानें या न मानें लेकिन वकीलों के भाई से हार मान गये। वकीलों के भाई से पार पाना मुश्किल है। ऐसी-ऐसी युक्तियां लगायेंगे, इधर से और उधर से। पहले ही उन्होंने कह दिया कि प्रस्ताव के कारणों से मैं सहमत नहीं हूं। जितनी भी माननीय त्रिलोकी सिंह जी की स्पीच हुई है अगर उस प्रस्ताव को खास तौर से देखा जाय तो उसका प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं, कतई ताल्लुक नहीं। क्या किसी के कहने से ताल्लुक पैदा हो जायगा? आप खड़े हो गये और उसकी ताईद की लिहाजा आप का गठबन्धन उससे हो गया? वह कभी हो नहीं सकता लेकिन अगर ताईद नहीं करते तो आपको इस रिज्यूलेशन में विश्वास नहीं है।

जो कुछ हमने देखा इस प्रस्ताव से और कुछ हुआ हो या न हुआ हो यह सही है कि जनता भी इसको सीरियसली नहीं लेती। इससे एक काम जरूर हुआ कि माननीय राजनारायण जी का पाया कुछ ऊंचा हो गया, उन्होंने अच्छे प्वाइन्ट्स स्कोर किये लेकिन वह गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि उधर वालों के ही मुकाबले में स्कोर किये जो उनकी बगल में बैठते हैं। इसमें मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वह जोर से एलबो डाउन किया और धक्का दिया अपने भारी डीलडौल की बदौलत कि वह सबको पीछे छोड़ कर आगे आ गये, बड़े साहस से उन्होंने काम लिया और वह ग्रुप के लीडर हो गये और सब को अपना अनुगामी बना दिया जैसे काफिले में आगे बड़ा मोटा ऊंट कर दिया जाता है और पीछे के छोटे ऊंटों की कतार की नकेल बड़े ऊंट की दुम में बांध दी जाती है। (हंसी) इतना इस प्रस्ताव के लाने से जरूर लाभ हुआ बाकी और तो इसका कोई महत्व नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मंत्री जी ने श्रीमन्, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया है। मैं कहता हूं कि शेर से शेर ही हारा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--राजनारायण जी का जहां फायदा हुआ वहां बड़ा भारी नुकसान हुआ अपोजीशन का। आपस में वैसे ही कम मिले थे, अब और विलग हो गये। कल का दृश्य देखने काबिल था। अखबारों में उसे ठीक तौर से डेपिक्ट किया गया। आपोजीशन अगर तितर-बितर हो जाय तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। गौरीशंकर जी की कल की गर्मी ऐसी थी जो मैंने कभी देखी नहीं। अभी तो ठंडी हवा चल रही है तब यह हाल है। जब लू चलेगी तब क्या होगा? तब तो खैरियत नहीं, त्रिलोकीसिंह जी से मैं बता देना चाहता हूं। अपोजीशन जब संगठित होता है तो बहुत अच्छा होता है। नो कांफीडेंस का यह भी मतलब है कि अगर पास हो जाय तो अपोजीशन को गवर्नमेंट को सम्हालना होता है। वैक्यूम थोड़े ही होगा। गवर्नमेंट तो कभी खत्म नहीं होती। हम गये तो तुम आये और तुम गये तो हम आये। अभी तुम कभी आये नहीं, हम तो आते-जाते ही रहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजीशन की दशा देख कर मुझे तो बड़ा दुख हुआ। अगर खुदा न खास्ता हमें जाना पड़ा तो कौन सम्हालेगा? कोई सम्हाल नहीं सकता। बात करने से काम नहीं चलेगा मदन बाबू। जरा सुनिये। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि जब मैं बोलता हूं तो चीं-चपड़ होने लगती है। मैं कोई सख्त बात नहीं कहता। असंसदीय बात भी नहीं कहता। दायरे के अन्दर ही लाकर कहता हूं। लेकिन तब भी आपको बर्दाश्त नहीं।

श्री राजनारायण--प्वाइंट पर आइए।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं तो प्वाइंट पर आ गया। मैं इधर-उधर नहीं जाता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी दशा है अपोजीशन की तो स्टेट गवर्नमेंट का भार कौन सम्हालेगा? जनता समझती है कि अगर कांग्रेस नहीं सम्हाल सकती तो और कोई पार्टी नहीं सम्हाल सकती....

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--आप और पुजारी जी ही सम्हालेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आप जरा समझते नहीं इसलिये परेशान हो जाते हैं। त्रिलोकीसिंह जी जरा सोचें, चीफ ह्विप हैं उनके....

एक सदस्य--अब नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--नहीं हैं तो बड़ा अच्छा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी जो कुछ फायदा उठाना चाहते थे वह उठा चुके, अब इसे प्रेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने बड़ा वक्त लिया। अगर मैंने किसी पर समाखराशी की हो तो माफी चाहता हूं और अगर कोई अनुचित शब्द जबान से निकल गया हो तो उसकी भी माफी चाहता हूं।

जहां तक मालगुजारी की कमी की बात कही गई, हमारे भाई चरणसिंह जी ने आंकड़ों से बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वह मौका महल नहीं है उसके लिये।

एक सदस्य--आपने बातों से कर दिया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--बातों का माहिर तो हूं ही मैं। सीलिंग में जो डिले है वह कोई डिले नहीं है। ३ जनवरी को लागू हो गया। प्रेसीडेंट का एसेन्ट आ गया। रूल्स वगैरह सब बन रहे हैं। करेन्ट आफ दि क्राप में सीलिंग लगाने में बड़े कम्प्लीकेशंस हो जाते हैं। अगली जुलाई में वह लगाने जा रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी के लोग सुन लें और खुश हो लें। मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लगाएंगे। हम जानते हैं जो आप इन्तजाम

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

कर चुके हैं, वह भी देखेंगे। जो नौकरों के लिये या इधर-उधर रख कर किया है, वह भी देखेंगे। उसमें एक संशोधन हो गया। तो सीलिंग की बात तो यह रही।

एक्जीक्यूटिव की बात मुझे और ज्यादा नहीं कहनी है। वह हमारे त्रिलोकीसिंह भाई के लिये नाकाफी है और हम भी उसे नहीं समझते कि एब्सोल्यूटली वह कंम्लीट है। लेकिन हमने एक स्कीम चलाई है, कुछ हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, धन की जरूरत उसमें पड़ती है लिहाजा उन सब को देखते हुए जहां तक सम्भव हो सकता है हमने स्कीम चलायी है। अब सारे स्टेट में लागू हो जायगी और उसके बाद फिर आगे हमें क्या कदम उठाना है वह भी देखेंगे क्योंकि यह हमेशा कांग्रेस की मांग रही है, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। डायरेक्टिव, प्रिन्सिपल बाद को बने हमने वह काम पहले से शुरू कर दिया। तो हमारी नीयत जाहिर है कि हम इस बारे में सीरियस हैं। मैं दावा तो करता नहीं कि हमने पूरा कर दिया।

और बहुत-सी बातें कही गई कि अनडेमोक्रेटिक ढंग से यह सरकार बनी है। उन बातों को दोहराना मैं ठीक नहीं समझता हूं। इन शब्दों के साथ मैं श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री रामस्वरूप वर्मा से) आप १० मिनट में ही समाप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं कोशिश करूंगा।

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मुझे घोर निराशा इस बात से हुई कि तर्क संगत बात एक भी ऐसी नहीं आयी जिस पर विचार किया जा सकता या जवाब दिया जा सकता। यह तर्क दिया गया कि चूंकि विरोधी दलों का बहुमत नहीं है इसलिये सरकार कौन बनायेगा। कितनी घिसी पिटी बात है। जब हमको अविश्वास है तो यह क्यों परेशान है कि सरकार कौन बनायेगा। अविश्वास है तो इनको हटना पड़ेगा और जिस पर जनता का विश्वास होगा वह अपने आप सरकार बनायेगा। "काजी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से"। कहा गया कि कई बार जो राजनारायण जी ने प्रस्ताव रखा और जिसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं इसमें उसमें घिसे पिटे तर्क हैं जो बहुत दफा आ चुके हैं। मुझे याद आ गई एक बात। प्रायः ऐसा होता है और एक किस्सा भी है कि 'सावन में जब आदमी अंधा हो जाता है तो उसको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है'।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शान्ति रखें बहुत शोर हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---चूंकि सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आया है, प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया है, उन बातों को न समझ कर सिर्फ यह तर्क देना कि यह बात पुरानी है, तो कोई बात पुरानी होने से तो खराब हो नहीं जाती। सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि यदि इन बातों में, जिनको सरकार पुरानी कहती है, कोई तत्व नहीं है तो आती क्यों है। केवल पुरानी बात का सहारा लेकर इसकी गम्भीरता को नष्ट नहीं किया जा सकता। सरकार सोचे कि क्या वह बातें विद्यमान नहीं हैं?

मुझसे नेता विरोधी दल ने कहा कि दस्तूर यह है कि एक विषय पर ही अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। मैंने उनसे कहा कि यह बात आप कर रहे हैं, उन देशों की जहां प्रजातन्त्र प्रबुद्ध है, जहां के प्रतिनिधि प्रबुद्ध हैं। वहां पर अगर एक गलती भी सरकार करती है तो उसको हटना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार गलती पर गलती कर रही है, अपना विश्वास खोती चली जा रही है, १९५२ और १९५७ के चुनाव इसके प्रमाण हैं कि वह बराबर जनता का विश्वास खोती जा रही है लेकिन इसके बाद भी अगर यह कहा जाय कि एक विषय पर इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाय तो अभी वह स्थिति हमारे प्रदेश की नहीं है। आप देखें

२१ कारण दिये हुए हैं और अन्य नेता विरोधी दलों ने भी कारण प्रस्तुत किये हैं तो इतना भयंकर असन्तोष जिस सरकार में हो, प्रदेश की जनता का वह सरकार इस बात का दावा करे कि यह पुराने तर्क हैं, मैं समझता हूं यह शर्मनाक स्थिति है। सरकार उन वस्तु स्थितियों पर न जाकर पुराने तर्क का आधार लेकर उसकी गम्भीरता को समाप्त करना चाहती है। अगर सरकार इन पुराने तर्कों की ही तरफ ध्यान नहीं देगी गम्भीरता के साथ तो उसका पतन निश्चित है। आज यह जनता का प्रतिनिधि सदन बैठा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं, सरकार की तरफ से बोलने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का गठन जनतंत्र प्रणाली के अनुरूप है। जनतंत्र की परिभाषा बहुत से सदस्यों ने बताई और कहा कि इसका गठन ठीक है। तर्कहीन बात का समर्थन कोई मान ले तब तो समर्थन हो ही गया लेकिन तर्कपूर्ण बात का जहां तक सम्बन्ध है तो मैं कहूंगा कि उनकी बात में तर्कपूर्ण बात नहीं हो सकी। जनतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र का अर्थ चुनी हुई सभा के प्रति शासन का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति, दल, शासन और राज्य में सीमित व्यक्तित्वों को माना जाय और उनका आदर किया जाय। ये चार अंश सम्मिलित रूप में राजनीतिक कार्य के साधन हैं उनकी सीमाओं और उनके पृथक अस्तित्व के निश्चित नियमों को तोड़ने पर लोकतंत्र का नाश हो जाता है। क्या जनतंत्र की रक्षा हुई इस मंत्रिमंडल के गठन से? श्रीमन्, व्यक्ति स्वतंत्रता की बात देखी जाय तो तमाम देश में और तमाम प्रदेश भर में हम लोगों के ऊपर ज्यादतियां हुई हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन पर सरकार ने ज्यादती की है इन पर मैं नहीं जाता। जनता के मौलिक अधिकारों पर सरकार कुठाराघात कर रही है मैं उस पर नहीं जाता। मैं इस बात को देखता हूं कि वह अपने गरेबां में हाथ डालकर देखें कि कांग्रेस पार्टी में क्या जनतंत्र चल रहा है? व्यक्ति की क्या हैसियत होती है? व्यक्ति, दल, सरकार और राज्य का क्या स्वरूप होता है? जिस प्रकार —

"त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्॥

परिवार के हित के लिये एक आदमी को छोड़ दो और गांव के हित के लिये कुल का परित्याग कर दो। जनपद के हित के लिये गांव का परित्याग कर दो और अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिये पृथ्वी को छोड़ दो। जैसा माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण का १२५ आदमियों ने क्रियात्मक रूप में विरोध किया और भाग नहीं लिया और फिर भी यह सरकार दावा करती है कि वह जनतंत्र से बनी है। जनतंत्र से बनी हुई सरकार इस सदन के पूर्ण बहुमत पर होनी चाहिये लेकिन यहां व्यक्ति की, दल की, शासन की तथा राज्य की सत्ता एक आदमी के हाथ में सिमट कर आ गयी और जनतंत्र की रूपरेखा किसी स्वरूप में सरकार में विद्यमान नहीं रह गयी है। एक ऊपर दिल्ली के आदमी ने कह दिया कि यहां से फलां आदमी को मुख्य मंत्री चुना जाय। उस बहुमत दल के लोग जो बहुत बड़े बहुमत में थे, विरोध में थे, चुप बैठ गये। क्यों बैठ गये? इसलिये बैठ गये कि उनको डर, आतंक तथा भय था और इससे अपनी राय का अभिव्यक्तिकरण नहीं कर सके। तो क्या इससे यह निश्चित नहीं है कि प्रदेश की जनता उसमें विश्वास नहीं करती है। डर से या धमकाया जाय, या हमें किसी बात को न कहने के लिये मजबूर किया जाय इससे एक सही बात दब चाहे जाती हो किन्तु समाप्त नहीं होती। इस दृष्टि से देखा जाय। फिर दल ने कहां कहा कि इनको चुन कर सरकार में रख लिया जाय? राष्ट्र के हित में कहां यह बात थी? कांग्रेस संगठन के अन्दर जो ३०२ सदस्य बतलाये जाते हैं क्या उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सरकार को चला सके? अगर नहीं था तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धिहीनता थी, उसमें कोई बुद्धि नहीं रह गयी है कि वह अपना नेता अपने में से चुन कर अपनी सरकार को चला सके। अगर बहुमत दल नाकाबिल था सरकार चलाने के लिये तो अच्छा होता कि दोबारा चुनाव करा कर जनता का आह्वान किया जाता कि वह योग्य आदमियों को चुने ताकि वह सरकार को चला सके। यह तरीका हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे बाहर का आदमी लाद कर

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अपनी अयोग्यता का परिचय दिया । यह सिद्ध किया कि इस सदन के लोग बहुमत में राजी नहीं हैं। फिर भी कहा गया कि यह जनतांत्रिक सरकार है। तो अजीब जनतंत्र है उनका। क्या जनतंत्र के मानी यह हैं कि एक व्यक्ति दिल्ली में बैठ कर तमाम दल, शासन तथा राष्ट्र के भेद को मिटा कर अपने इशारों पर शासन को चलायेगा ? यह जनतंत्र है ? अगर यह जनतंत्र है तो तानाशाही जनतंत्र भी हो सकता है। हालांकि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन तानाशाह भी अपने को कहते हैं कि उनको जनता का विश्वास प्राप्त है। लेकिन वास्तविक जनतंत्र में और तानाशाही जनतंत्र में फर्क सिर्फ इतना है कि तानाशाही देश में एक शख्स की जो इच्छा होती है उसका निर्णय जनता को बता दिया जाता है। लेकिन जनतांत्रिक देश में निर्णय बताया नहीं जाता है बल्कि जनता की राय के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है। यही फर्क इन दोनों में श्रीमन्, है। मैं समझता हूं, कि हमारे देश में कांग्रेस में तानाशाही जनतंत्र ही पनप रहा है। दिल्ली में बैठे हुये एक व्यक्ति की इच्छा पर ही सारे देश और इस प्रदेश का शासन चल रहा है। हालांकि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं लेकिन वह कुछ कहने में असमर्थ हैं ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह कहूं कि सरकार में जनता का विश्वास नहीं है। हमने जो यह कहा कि हमारा सरकार में अविश्वास है तो लोगों का यह कहना है कि अविश्वास किस बात पर है। हम यह कहते हैं कि जब कोई आदमी अपनी बात को पूरा नहीं करता है तो उस आदमी में अविश्वास होता है या नहीं ? जैसे किसी ने कहा कि हम प्रत्येक आदमी को ईमानदार मानते हैं जब तक कि वह अपने को बेईमान साबित न कर दे। अगर बेईमान यह कहे कि हम बेइमान इसलिये नहीं हैं कि आप ईमानदार नहीं हैं या आप अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर रहे हैं। तो यह कोई श्रीमन्, तर्क हुआ। तर्क तो, यह होगा कि जिन बातों का सरकार ने जनता को विश्वास दिलाया था वह अगर पूरी हो गई होती तो जनता सरकार में अवश्य विश्वास करती। श्रीमन, मैं एक ही उदाहरण दे दूं क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिये में संक्षेप में ही निवेदन करने की कोशिश करूंगा।

श्रीमन्, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी प्रस्ताव पर बहस हो तो कम से कम उस प्रस्ताव को पहले पढ़ लिया जाय तब उसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा की जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि हमारे मन्त्री, हुकुमसिंह जी ने किया है। यदि वह किसी ड्रामे में पार्ट करते होते तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे सब साथी इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और सारे विरोधी दल समर्थन कर रहे हैं। और सब विरोधी दल एक साथ हैं। वह चाहे जिस किसी कारण से हों। एक ही कारण से अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, त्रिलोकीसिंह जी ने कहा है कि यही कारण नहीं है। बल्कि अन्य कारणों से भी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। तमाम विरोधी दल आज इस सरकार में अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और विरोधी दल ही नहीं बल्कि उनके दल के लोगों में भी यही भावना है लेकिन वह दबे हुये हैं इसलिये वह कह नहीं सकते हैं। लेकिन वह इस समय सदन में उनकी थोड़ी संख्या से मालूम पड़ सकता है। उनका भी सरकार में अविश्वास है लेकिन वह कहने से मजबूर हैं।

श्रीमन्, इतना ही नहीं बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार ने यह विश्वास दिलाया था जनता को। जिस पार्टी की सरकार आज हमारे देश में है उसने जनता को विश्वास दिलाया था। उसके बारे में मैं संविधान के अनुच्छेद ४५ को सदन के सामने रख देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :—"राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा" । अब श्रीमन, देखें कि अगर सरकार ने यह बात पूरी कर दी होती और मैं यह भी बता दूं कि जनतन्त्र में यह बात निहित

है कि हर हालत में देश की सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करेगी और जब देश में लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होंगे तभी देश में सच्चा जनतन्त्र बनेगा। सरकार ने जनता को शिक्षित न करके जनतन्त्र की हत्या की है और इसके साथ ही साथ आप देखें। (लाल बत्ती होने पर,) श्रीमन, क्या दस ही मिनट मिलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---१३ मिनट हो गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---पांच मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बच्चों का हमने पांच साल का सर्वे किया है। १९५५-५६ में ३१,८९८ विद्यार्थी प्राइमरी के थे जो जुलाई, १९६० में ३७,६५२ हो गये और १९५५-५६ में २७,३७,८२७ विद्यार्थी कुल शिक्षा पाते थे, ३१ जुलाई, १९६० में ३७,५२,१८५ विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब ५४,०२,००० विद्यार्थी इस समय ऐसे हैं जो ६ साल से ११ साल की उम्र के हैं पर पढ़ते नहीं सन ५५-५६ में ऐसे अशिक्षित विद्यार्थी ५६ लाख थे। ९ प्रतिशत बच्चे बढ़ गये और सरकारी स्कूलों की कोई खास तरक्की नहीं हुई। बल्कि यह फर्क हुआ कि जहां प्रति स्कूल ८५ विद्यार्थी १९५५-५६ म पढ़ते थे वहां अब १०० विद्यार्थी पढ़ने लगे हैं।

तो इस हिसाब से ६ से ११ साल की उम्र के बच्चे ५६ लाख गैर पढ़े लिखे १९५५ तक थे। वह संख्या घट कर ५४ लाख २० हजार हो गई। तो लगभग २ लाख अपढ़ लड़कों की केवल पांच साल में कमी हुई। इस हिसाब से १४० वर्ष में सरकार सब को पढ़ा सकेगी। अब श्रीमन, सोचें कि पंचवर्षीय योजना को लेकर क्या करें ? जो दस साल का वादा किया था वह असत्य हुआ। अगर हम इसी बात को केवल ले लें तो कोई चीज नहीं रह जाती है कि इस मन्त्रि मन्डल पर हम विश्वास करें। जिसकी बात पर विश्वास नहीं, उसके काम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ? उन्होंने यह भी बताया कि सवा पन्द्रह करोड़ रुपये में एक साल में पूरे प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा की जा सकती है। अगर वह कटौती करना चाहते हैं, तो वह १४२ करोड़ के बजट में सवा १५ करोड़ की कटौती करके पूरे प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं कर देते ? लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिये राजनारायण जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं प्रस्तुत तर्कों को देखते हुये पूरी तरह से ठीक समझता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सदन इस सरकार के ऊपर पूर्णतया अविश्वास प्रगट करेगा क्योंकि इस सरकार पर प्रजातान्त्रिक रूप से जनता का कोई विश्वास नहीं रह गया है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि आध घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बैठिये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रस्तावक द्वारा व्यक्त कुछ भावनाओं से मेरा मतभेद है। माननीय गृह मन्त्री जी यहां नहीं हैं। सबसे पहले माननीय गृह मन्त्री और माननीय प्रस्तावक में एक एकता मालूम हुई। माननीय प्रस्तावक ने यह कहा कि यह सरकार बच्ची है। माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि ढाई महीने की बच्ची है। इस प्रकार से एक बात प्रस्तावक महोदय ने कही और उसका यक-बयक माननीय गृहमन्त्री द्वारा समर्थन हुआ। मैं नहीं मानता कि बड़े अबोध, बड़ी भोली और ढाई महीने की बच्ची हमारे सामने उपस्थित है। हमारे सामने ६० साल की बुढ़िया है, मंजी मंजाई बुढ़िया उपस्थित है। साथ ही उन्होंने

[श्री गौरीशंकर राय]

यह भी कहा कि मैं ढाई महीने के पहले के मामलों की कोई सफाई नहीं देना चाहता। माननीय गृहमन्त्री जैसे जिम्मेदार लोगों की ओर से जब ऐसे तर्क हों तो उनका उत्तर दिया जाना चाहिये। अगर वह यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि जब आपने इस्तीफा दिया था और उस समय सरकार में बैठने वाले लोगों को भ्रष्टाचारी कहा था और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वक्तव्य देना चाहते थे, उसके देने न देने में उतना व्यायाम करना पड़ा था और उनको बड़ी परेशानी हुई थी और अन्ततोगत्वा उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और वह वक्तव्य देने की हिम्मत न पड़ी। तो वह सरकार भी वही थी जिसमें बैठने वाले लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, और आज उन्हीं से अनुनय, विनय और निवेदन किया जाता है कि आओ हमारे साथ बैठो, भ्रष्टाचारियों। इसलिये यह ढाई महीने की भोलीभाली सरकार नहीं है। यह कांसेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले भी थी और अब भी है। उसमें से कुछ लोग आ सकते हैं और चले जा सकते हैं। उनके व्यक्तियों के मत-भेद हो सकते हैं, पदों के सम्बन्ध में और हिस्से के लिये मतभेद हो सकते हैं लेकिन आधारभूत सिद्धान्तों में कोई मतभेद नहीं। वह कांग्रेस की सरकार है। और उसने जितने भी कार्य किये हैं उन सबकी जिम्मेदारी इस सरकार पर है।

माननीय गृह मन्त्री को इंग्लैन्ड के कोटेशन देने में बड़ा आनन्द आता है। उन्होंने कहा कि एटली और वेवन का क्या रिश्ता था? मुख्य विरोधी दल के सम्बन्ध में भी कहा कि वहां भी चुनाव हुआ था। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में चुनाव होना चाहिये। प्रजातन्त्र प्रणाली का वह मूल तत्व है। लेकिन ऊपर के डंडा से दिलों का मिलान नहीं होना चाहिये। वोट तो होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वेवन और एटली के हारजीत पर विजयदशमी नहीं मनाई जाती। अगर मुझे ठीक याद है तो कांग्रेस के चुनाव के समय रावण-वध हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी के सभापति पद पर चुने जाने पर माननीय गृहमन्त्री ने कहा कि आज असली विजय दिन है और आज रावण-वध हुआ, भतपूर्व मुख्य मन्त्री को उन्होंने रावण बनाया....

श्री उपाध्यक्ष--यह अपने मन के मानी लगाकर इस प्रकार से कहना ठीक नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--मानी जो मैं समझता हूं वह कह रहा हूं। लेकिन वह दूसरे ही किसी को समझ लें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। तो एटली और वेवन के इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं थे। फिर बड़ी बहस हुई कि क्या कांग्रेस के आपसी झगड़े की बात यहां करनी चाहिये या नहीं। मैं इस राय का जरूर था कि कम से कम बात करनी चाहिये। लेकिन उधर से सफाई में ही इतनी बात कही गई कि बहुत काफी थी। माननीय ताराचन्द माहेश्वरी जी ने कहा कि मोरार जी भी हारे हुये थे तो यह भी हारकर हो सकते हैं। खैर, मैं इस तरह से उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जिन बातों का सम्बन्ध हमारी सरकार से रहा है उनकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने चुनाव में हिस्सा लिया, अखबारों में बयान आया था। मैं जानना चाहता हूं कि आज वह सरकार में पदारूढ़ हैं। मुख्य सचिव या दूसरे लोगों को उन्होंने क्या दन्ड दिया? उन्होंने कहा--"मैं नहीं कहता कि उनका चार्ज सही है या गलत है--लेकिन उनका चार्ज था कि अधिकारियों ने चुनाव में भाग लिया। माननीय गृह मन्त्री का स्पष्ट बयान था कि अधिकारियों ने चुनाव में भाग लिया। आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अधिकारी बदल गये या यह समझ लिया गया कि अब तक उधर से दिलचस्पी लेते थे, अब अपनी तरफ से दिलचस्पी लेंगे। क्या गुणभेद हो गया, क्या क्वालिटेटिव चेंज हुआ या क्वान्टिटेटिव चेंज हुआ। कृपया आज बतायेंगे कि कल तक जो अधिकारी राजनीतिक दलबन्दी में हिस्सा लेते थे रात भर में वही आदर्श बन गये, इस तरह की कोई बात आ गई या उन्होंने

अपना स्थान बदला और दूसरे स्थान पर आ गये। इस तरह से अगर आपकी पार्टी का चुनाव सारे प्रदेश के जनजीवन को प्रभावित करेगा तो अवश्य हमें कहना पड़ेगा। आपने इस प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा है जिस प्रकार कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ा करते हैं। यहां बैठे हुये माननीय मुख्य मन्त्री को मैं पेश करना चाहता हूं और बहुत ऐसे और मित्रों को पेश करना चाहता हूं, हाउस में उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा है कि क्लेक्टर और जिले के स्तर के बहुत से अधिकारियों का तबादला कांग्रेस के आपसी चुनाव के सम्बन्ध में हुआ है। अगर चुनाव में उनके यह गलत इस्तेमाल का वह विरोध करते थे तो अपने दिल से पूछें कि यह बातें प्रदेशीय सरकार में आने पर उन्हें याद हैं या नहीं? अगर वह इसलिये उनको नहीं दन्ड देते हैं कि कल तक तो उनका प्रयोग उनके विरुद्ध होता था और आज वह स्वयं उनका प्रयोग करने के लिये हैं, इसलिये उन्हें अब असन्तोष नहीं है तो यह चीज कुछ ठीक नहीं है।

और भी कुछ बातें माननीय गृह मन्त्री जी ने कहीं। एक और बात मुझे कहनी है। कल थोड़ा-सा हमारे एक मित्र ने संकेत किया था कि आज कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और संविधान के बनने के बाद सबसे पहले इसको अवसर मिला कि संविधान को काम में लावें, प्रजातांत्रिक परम्पराओं की स्थापना उसको करनी है, ट्रेडीशन्स बनाने हैं। आज के बनाये हुये ट्रेडीशन्स कल भी माने जायेंगे और उनका सबूत दिया जायगा, एक प्रेसीडेंस कायम हो जायगा। जैसे मान लीजिये हमारे मित्र ने मोरारजी भाई का उदाहरण दिया कि हारकर भी वह मुख्य मन्त्री हो गये। तो अब वर्तमान माननीय मुख्य मन्त्री के उदाहरण से आगे जाने वाला खिलाड़ी तो मिलेगा ही नहीं। इसके बाद यह उदाहरण दिया जायगा कि दो बार हारकर वह मुख्य मन्त्री हुये। तो यह प्रजातन्त्र का एक कन्वेंशन बना और उसका आगे चलकर उदाहरण दिया जायगा। इसलिये अगर आपने स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना नहीं की तो प्रजातन्त्र की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले आप होंगे और आगे आने वाले जन-जीवन में प्रजातन्त्र की मान्यताओं को नष्ट करने वाले होंगे। अपनी दिलचस्पी के मुताबिक जिस तरह तबियत हो उस तरह प्रजातांत्रिक मान्यताओं में सबूत ढूंढकर सन्तोष कर लेना अगर इसी को काफी समझते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।

एक बात और पहले साफ कर दूं। कल नवलकिशोर जी ने मेरा भी थोड़ा-सा रेफ-रेन्स किया था। पिछली बार पद्माकरलाल जी ने विश्वविद्यालय पर बहस के समय कुछ चर्चा की थी और उस समय यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर बनाने का कोई अमेन्डमेन्ट आना चाहिये। उन्होंने यह कहा कि मैंने यह कहा था कि लखनऊ, यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को हटाया जाना चाहिये। मेरे खयाल से वह शायद भूल गये, मैंने उनसे तो व्यक्तिगत रूप से भी कहा होगा, वह आज भी सुन लें अगर वह यहां हैं, कि मेरी राय न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर के बारे में थी बल्कि मैं स्पष्ट समझता हूं कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति माननीय सम्पूर्णानन्द जी का पाप है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर की नियुक्ति चन्द्रभानु जी गुप्त का पाप है। इस प्रकार से पापों की जो लड़ाई रही है उन पापों की लड़ाई की परम्परा को समाप्त करने के हम विरोधी हैं न कि विरोध में दूसरे पापों को लाद दिया जाय। इस सम्बन्ध में जब विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा आयेगी तब ये बातें स्पष्ट रूप में आपके सामने कहूंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में योजनाओं की बात माननीय मुख्य मन्त्री के आने के बाद फिर उठी और जनता में उन्होंने यह बयान दिया कि इतना रुपया तीसरी योजना के लिये सम्मिलित है। जब मैं योजना की बात करता हूं तो १५ वर्ष से जिस योजना का क्रम है उस सब के विषय में अपने विचार प्रकट करता हूं। अब यह तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने जा रही है जिसको मुख्य मन्त्री महोदय पालन करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब यहां पर आरम्भ हुई थी तब भी माननीय मुख्य मन्त्री ने उसको जन्म दिया था। अब तीसरी योजना के लिये भी वह हमारे सामने उपस्थित हैं। योजनाओं

[श्री गौरीशंकर राय]

के सम्बन्ध में जो साहित्य हमको दिया गया है और पिछले मुख्य मन्त्री ने जो हमको साहित्य दिया था वह हमारे सामने उपस्थित है। उस साहित्य को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हमारा प्रदेश सारे देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी की औसत जो आजादी के पहले थी आज उससे कम है। आज आजादी के इतने दिनों के बाद जहां अन्य प्रदेशों की आमदनी बढ़ी है और सारे देश में दो पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरे प्रदेशों में प्रति व्यक्ति अधिक खर्च हुआ है वहां सारे प्रदेशों का जो औसत है वह भी हमारे यहां से ज्यादा खर्च का है। और प्रदेशों से भी हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने यहां उन योजनाओं के समय में अधिक खर्च किया है। हमारे यहां प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्चा ३७ रुपया से अधिक नहीं हुआ है जब कि अन्य प्रदेशों में ९६ रु० तक खर्च हुआ है और सारे देश का तो औसत ६० रुपये तक है। अन्य प्रदेशों को योजनाओं के लिये रुपया मिलता है किन्तु हमारे प्रदेश को रुपया नहीं मिलता है। हमारे प्रदेश के मन्त्री क्या दिल्ली में मन्त्री की सीट लेने ही जाते हैं या अपने राजनैतिक सम्बन्ध की बात करते हैं। समझ में नहीं आता कि उनको रुपया क्यों नहीं मिल पाता है? पुराने मुख्य मन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि सरकार बहुत रुपया दिल्ली की सरकार से प्लानिंग के लिये लेने में नाकामयाब रही है। यह सरकार भी मैं समझता हूं, कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो आरम्भ होने वाली है, उसके लिये रुपया प्राप्त करने में कामयाब नहीं रही है। जब इस प्रकार की सरकार हो तो उसके विरुद्ध मुझे ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अविश्वास होना चाहिये जिसने बेरोजगारी और परेशानियों को हल नहीं किया है।

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं और प्रत्येक अवसर पर कहता हूं कि प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की किस्मत का रिहेन्ड डैम से, जो बिजली पैदा होगी, उससे फैसला होने की बात थी किन्तु अब उनकी किस्मत को बिरला के हाथ बेच दिया गया है। मैं इस सरकार को और पहले की सरकार को एक ही सरकार मानता हूं। कुछ लोग इन दोनों सरकारों में अन्तर मानते हैं लेकिन मैं तो कोई फर्क नहीं मानता हूं। आज यह प्रगतिशील सरकार आ गई हो ऐसी बात नहीं है। बिरला से उनकी दुश्मनी है ऐसी बात भी नहीं है बल्कि कुछ माने में इनको ज्यादा मुहब्बत है। उत्तर प्रदेश के किसान को जहां ४६८ रुपये में प्रति हजार किलोवाट बिजली मिलेगी वहां पर बिरला को १७५ रुपये में प्रति हजार किलोवाट बिजली मिलेगी। इतने सस्ते रेट पर बिरला को बिजली दे दी गई है। विकास की बात बहुत होती है लेकिन जनता के लिये बिजली नहीं दी जाती है।

एक बात मैं न्याय मन्त्री जी से जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विरोधी कोई भी आवे लेकिन राजा हम ही होंगे। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजा कोई हो लेकिन रानी वह जरूर होंगे। उनका नाम तो हुकुम मान सिंह है, हुकुम दे सिंह नहीं है। वैसे हमको आदमी तो बहुत मिलेंगे लेकिन हमको मनोरंजन के लिये एक आदमी की जरूरत होगी। एक विदूषक की जरूरत पड़ेगी। बिना विदूषक के सारा काम कैसे पूरा होगा....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मन्त्री जी का नाम लेकर इस प्रकार से कहना उचित नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--मैं यह कह रहा हूं कि उनकी आवश्यकता हमको भी पड़ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर दो दिन से इस सदन में बहस हो रही है मैं उसका विरोध करने के लिये इस सदन के सामने

प्रस्तुत हुआ हूं । मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव ले आने का संसदीय पद्धति में, विरोधी-दल का एक शाश्वत अधिकार माना गया है और वह इस बात के अधिकारी हैं कि जब चाहे ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करें ।

(इस समय ३ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

परन्तु, मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सदैव एक यह भी प्रयोजन रहता है कि ऐसा प्रस्ताव सदन से स्वीकृत भी हो सकता है? अथवा नहीं यह सम्भावना भी देख ली जाय। इस ५ वर्ष की अवधि में, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम करती है, मैं समझता हूं कि यह तीसरा या चौथा अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एक अविश्वास के प्रस्ताव पर दो दिन का समय व्यय होता है। इस ८ दिन के समय में यह जानते हुए कि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, यह जानते हुए कि यह प्रस्ताव सदन में स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकता, यदि विरोधी दल के माननीय सदस्य बार-बार इस प्रकार के प्रस्ताव को लाते हैं तो यह उनकी गैर जिम्मेदारी है इस सदन के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, उसकी जनता के प्रति और प्रजातांत्रिक पद्धतियों के प्रति । एक प्रदेश की जनता की एक एक पाई बचाने का दावा करने वाले विरोधी दल की ओर से यदि एसे प्रस्ताव पर सदन का समय और धन व्यय कराने का प्रयत्न किया जाता है और उसमें यदि यहां का समय और रुपया नष्ट होता है तो यह अनुचित बात है ।

मान्यवर, किसी सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव उन कारणों से लाया जा सकता है जब कि उसने अपने उन वायदों को पूरा न किया हो जो कि उसने जनता के सामने किये थे । कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र पर जनता का विश्वास प्राप्त किया था, न कि प्रजा समाजवादी दल के अथवा समाजवादी दल के चुनाव घोषणा पत्र पर । इस अविश्वास के प्रस्ताव में आमूल, आदि से अंत तक उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है जो कि सन् १९५७ में समाजवादी दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखी थीं और उसके बाद जितने भी आन्दोलन उन्होंने किये, एक एक करके उन्हीं सब बातों को, उन्हीं सब मांगों को उन्होंने जनता में प्रस्तुत किया उन आन्दोलनों के द्वारा, और शायद आगे भी वे उन्हीं मांगों को प्रस्तुत करेंगे । अपने चुनाव घोषणा पत्र को यहां उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव का रूप दे दिया है । जैसा कि अभी न्याय मंत्री जी ने कहा था, मैं उससे सहमत हूं, जब १९५७ में अन्य दलों के घोषणा पत्रों में भी इतना मतभेद था तो कैसे अन्य दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ?

मान्यवर, कभी भी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में दी हुई एक बात को भी जनता के सामने नहीं रखा और जिन दलों ने जनता के सामने इन बातों को रखा था, इस प्रदेश की जनता ने उनको ठुकराया है, इस प्रदेश की जनता ने अपने मत से यह फैसला किया कि उनमें उसका विश्वास नहीं है । मान्यवर, हमारे देश के पौराणिक इतिहास में एक ही बार माया मृग द्वारा सीता के छले जाने पर देश की जनता ने यह सबक सीख लिया है कि वह ऐसे नकली खाल वाले माया मृगों के धोखे में नहीं आयेगी। वह न १९५२ में धोखे में आयी और न सन् १९५७ में और न आगे आने वाली है । यह तो उनके लिये प्रसन्नता की बात होनी चाहिये कि हम जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। इसके लिये उन्हें सदन में अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है । यदि हम जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, यदि हमने जनता के प्रति अपने वायदों को पूरा नहीं किया है, तो निश्चय ही प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार हमको यहां रहने का अधिकार नहीं है और यदि हम यहां बैठे रहे तो उसका कुपरिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में जितनी बातें कही गयीं हैं, उनमें से एक-एक को ले लिया जाय । इस प्रस्ताव में पहली बात, श्रीमन्, यह है कि साढ़े ६ एकड़ से कम जो भूमि जोतने वाले हैं उनको लगान मुक्त नहीं किया गया । इस माननीय सदन ने जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक स्वीकार किया था उस समय इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया था कि इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति लगान दिये बिना जमीन नहीं जोतेगा । इसको हम छोड़ भी दें और इस सुझाव की व्यावहारिकता की ओर नजर डाल तो आप देखेंगे कि इस

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

प्रदेश में जो खेतिहर किसान हैं उनमें से ९० प्रतिशत ऐसे किसान हैं कि जो साढ़े ६ एकड़ से कम के खातेदार हैं और जहां तक मेरी स्मृति जाती है, जो भु-राजस्व आता है उसमें लगभग १८ करोड़ रुपया इन नीचे के खातेदारों से आता है । हमारा कुल भू-राजस्व आता है लगभग २२ या या २३ करोड़ । तो इस प्रदेश में, इस योजना काल में जब कि एक एक पाई जोड़ कर हम प्रदेश की उन्नति के कम में लगाना चाहते हैं, इतना रुपया छोड़ देना कहां तक व्यावहारिकता की बात है । इस प्रदेश की जनता ने, जब समाजवादी दल ने अपनी इस बात को कहा था तो उसके थोथेपन को समझ लिया था और इसलिये उसे ठुकरा दिया, वरना इस प्रदेश के किसान, जो प्रदेश में बहुमत में हैं, यह जानते हैं कि उनका इससे फायदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि इस बात को स्वीकार कर लेने से सरकारी खजाने में १८ या २० करोड़ की कमी हो जायगी । तो कमी किस बात में होगी ? कमी जनता की शिक्षा में होगी, स्वास्थ्य-सेवा में होगी, यातायात के साधनों में होगी, तथा अन्य जितनी भी सुविधायें आज हम दे रहे हैं, उनमें कमी होगी और इन बातों को इस देश की जनता अच्छी तरह समझती है और इसीलिए उसने इन लोगों को दो दो बार हराया ही तथा कितने ही उप चुनावों में भी हराया है ।

मान्यवर, इस अविश्वास के प्रस्ताव में जितनी भी बातें कही गयी हैं, यदि मैं हर बात का जवाब दूं, तो उसमें जितना समय लग जायेगा, वह आप कदाचित मुझे देने की कृपा नहीं करेंगे और इसलिये मैं हर बात का उत्तर नहीं दूंगा, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने अपने वायदों को पूरा नहीं किया या इस जनता ने जो कार्य-भार हमारे ऊपर डाला है उसे हमने ठीक से निर्वाह नहीं किया, तथा अपने दायित्व से हम च्युत हुए तो हम जनता के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकते, अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते । यदि हम माननीय राजनारायण जी के वायदों को पूरा नहीं करते, जन संघ के भाईयों के वायदों को पूरा नहीं करते, कम्युनिस्ट भाइयों के वायदों को पूरा नहीं करते, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वायदों को पूरा नहीं करते, स्वतंत्र दल के भाइयों के वायदों को पूरा नहीं करते, तो हम कोई गलती नहीं करते हैं । अगर इनके वायदों को हम पूरा करेंगे तो जनता हमें धक्का देकर निकाल देगी क्योंकि उनके घोषणा पत्रों को जनता ने स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि जनता को उनकी बातों में विश्वास नहीं है । जनता ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया, आज जो हम अपने बजट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसको उसने स्वीकार किया, जो जनता को सुख-सुविधायें प्रदान करते जा रहे हैं, वह जनता जानती है और उसको हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है । आप चाहे जिस तरह से अविश्वास का प्रस्ताव रखें, उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता । हमने जनता के सामने जो भी वायदा किया उसको पूरा किया है ।

मान्यवर, कांग्रेस दल के भीतरी मामलों की बड़ी चर्चा की गयी । माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि इस सरकार में व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मगर यह कांग्रेस की ही सरकार है । यह उन्होंने सही बात कही । यह सच है । चूंकि यह कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिये सभी कांग्रेसियों के समर्थन और विश्वास की यह पात्र है और सर्वथा रहेगी । उनका यह कहना कि यह प्रजातांत्रिक ढंग से बनी है, यह सर्वथा गलत है, निराधार है । कांग्रेस दल की अन्दरूनी बातों को यहां पर कहना संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है । इन लोगों को जब कहने के लिये और कुछ नहीं मिलता तो यह पार्टी की इधर उधर की बातों को लाकर ही गालियों के रूप में उन्हें यहां तर्क के अभाव में प्रस्तुत करते हैं ।

मान्यवर, माननीय विरोधी दलों के नेताओं ने जो भी भाषण दिये उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और देखा कि उनकी बातों से और इस प्रताव से कोई मेल नहीं है, जैसा कि हमारे य य मंत्री जी ने भी कहा । उन्होंने बहुत सी बातें कहीं कि जिनका इस प्रस्ताव से कोई सम्पर्क नहीं है । जो कुछ उन्होंने कहा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया । अतः जो भी बातें कही गयीं उनकी ओर से उन बात के उत्तर देने की जरूरत नहीं रह जाती ।

राष्ट्र भाषा के प्रश्न पर भी काफी कहा गया । मान्यवर, इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हमारे प्रदेश की राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित कर दी गयी है और उसके सार एवं प्रचार के लिये हमने बहुत कुछ किया है । इस सरकार ने हिन्दी के प्रसार को अत्यधिक स्थान दिया है । और उन बातों का जहां तक प्रश्न है जिनका संबंध हमारे केवल सूबे से नहीं बल्कि सारे देश से है उसमें हम अखिल भारतीय नीति को अपनाते हैं, केन्द्रीय सरकार की नीति को ही अपनाते हैं और उसका अनुसरण करते हैं । अभी हमारे उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग होता है ताकि उनमें जो फैसले या रूलिंग्ज हों उनमें एक रूपता रहे और सारे देश में एकरूप से व्यवहार हो सके । इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो निर्णय होता है उसका प्रयोग मदरास और बम्बई के उच्च न्यायालयों में भी होता है । यदि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग होने लगे तो मदरास और बम्बई में उसका प्रयोग नहीं हो सकता, उसमें बहुत कठिनाई पड़ेगी । इसलिये इस संक्रमण काल में जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने अंग्रेजी को स्थान दे रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसमें अपनी टांग अड़ायें । इस बात को मैं मानता हूं कि हिन्दी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है इसलिये हिन्दी को लाने में और आगे बढ़ाने में हमारा सबसे अधिक उत्तरदायित्व है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार हमेशा सजग रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ।

श्रीमन्, इसमें में एक एक बात का कहां तक जवाब दूं । बहुत सी बातें कही गईं । कहा गया कि विद्यार्थियों की फीस माफ नहीं होती । यदि उनकी पहली बात को मान लिया जाय और सारे प्रदेश में भूमि का लगान मुक्त कर दिया जाय जैसे कि राजनारायण जी ने कहा कि साढ़े ६ एकड़ से कम खातों का लगान माफ हो तो इस मद से १८–२० करोड़ रुपया कम हो जायगा । और इसका नतीजा यह होगा कि धीरे धीरे लोग अपने खातों का बटवारा कर लेंगे और फिर कोई भी लगान देने वाला नहीं रह जायगा । तो फिर यह फीस माफ करने के लिये रुपया कहां से आयेगा । इस प्रदेश में इतने ज्यादा पूंजीपति और रोजगारी नहीं हैं जिनसे १८–२० करोड़ रुपया प्राप्त किया जा सके । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के व्यर्थ के सुझाव को मान लेने से आज के इस योजना काल में किस प्रकार से प्रदेश का भला हो सकेगा ?

मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने वाले जो हमारे विरोधी दलों के नेतागण हैं उन्होंने स्वयं कहा है कि उनको इसकी कामियाबी में विश्वास नहीं है । उन्होंने केवल जनता में प्रचार के लिये इसको रखा है । मान्यवर, बड़े दुख और खेद की बात है कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये इस प्रदेश की जनता के पैसे का अपव्यय करके इस सदन का मूल्यवान समय लिया है और यह प्रस्ताव यों ही गिरने वाला है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिनों से बहस सुन रहा हूं । अविश्वास के प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिये हुई कि हमने नहीं देखा कि इन ढाई महीनों में सरकार के रवैये में कोई फर्क आया हो । सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि अगर कांग्रेस गद्दी छोड़ दे तो कौन पार्टी सम्हालेगी । कम से कम हमारे मुख्य मंत्री जी वैदिक संस्कृति को मानते हैं, हमारे इतिहास में सबसे बड़े पालीटिशियन चाणक्य ने कहा है "वरन्न राज्यं न कुराज्य राज्यम्" बुरी हुकुमत से अच्छा यह है कि कम्पलीट ला लेसनेस फैल जाय । उसकी गद्दी की जिम्मेवारी हमारी होगी, कांग्रेसी छोड़कर तो दिखलायें । हममें हजार इख्तिलाफ होंगे लेकिन जब हमारा आपसे मुकाबला होगा तो हम सब लोग एक होंगे । युधिष्ठिर ने कहा था "वयंपंचाधिकम शतम्" कौरव और पांडव १०० और ५ हैं लेकिन जब औरों के साथ मुकाबला होगा तो हम १०५ होंगे ।

मैंने पिछली दफा कहा था कि आज जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनके आगे औरंगजेब के अत्याचार भी शरमिन्दा हैं । कंस और रावण के अत्याचार भी कम हैं । ग्राम-पंचायतों के एलेक्शन में हमने अपनी आंखों से देखा कि एक एक गांव में चार चार कत्ल हुये । एक एक प्रेजाइडिंग आफिसर ने ५००–५०० रुपये का सौदा किया, उन्होंने कहा कि जो पार्टी ५०० रु०

[श्री यशपाल सिंह]

देगी उसको जिता दिया जायगा । मैंने अपनी आंखों से देखा कि गांव के लोग बैलेट बाक्सेज उठाकर ले गये । मैं कहता हूं कमजोर से कमजोर शासन हो, उसमें ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आपका किसी तरह का कंट्रोल नहीं था,कोई व्यवस्था नहीं थी । कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की क्या खता थी, मैं कहता हूं कि कमजोरी यह थी कि एक बन्दर के हाथ में चाकू दे दिया गया ग्रामीण जनता के मारेल स्टैण्डर्ड को उठाये बिना देहात में इखलाकियात की तालीम दिये बगैर इस तरह के एलेक्शन का अधिकार देना बन्दर के हाथ में चाकू देना था । इस प्रकार से उसके हाथ में खतरनाक हथियार देना अकलमन्दी की बात नहीं है ।

चरित्र निर्माण की बात कही जाती है । मैं पूंछता हूं, कितने डाइरैक्टिव आपने बी० डी० ओज और ए० डी० ओज को दिये हैं कि होली का का त्यौहार आ रहा है, उस पर शराबें न पी जावें, कीचड़ न उछाला जावे और अश्लील बातें न कही जावें ? कितने डाइरैक्टिव गये हैं कि भाइयों की तरह से गले मिल कर होली मनाई जावें ? पिछले साल हमने देखा कि एक आदमी मोटर साइकिल पर जा रहा था, गुंडों ने उसे पकड़ा और उसकी आंखों में मिट्टी का तेल भर दिया । वह मोटर-साइकिल नहीं चला सका, सामने से ट्रक आया और उससे टकराकर उसकी न कोई हड्डी रही और न होश ही रहा, उसकी मृत्यु हो गई । सिनेमा के श्रृंगार पूर्ण गानों का यह हाल है चाहे संध्या का समय हो, चाहे बच्चों के पढ़ने का समय हो, चाहे रोजा अफ्तारी और नमाज का वक्त हो । कोई चाहे जहां माइक लगाकर अश्लील गाने शुरू कर दे । मनुष्य के पेट में घोंपने वाला मुजरिम है लेकिन इन्सान के मारेल कांस्टीट्यूशन को जख्मी करने वाला अपराधी नहीं माना जाता । लाउड स्पीकरों पर अश्लील गाने जो गाये जाते हैं उन्हें बन्द करने के लिये कहीं इस सरकार ने कुछ किया ? जब तक जनता के मारल कांस्टीट्यूशन को महफूज नहीं रखा जायगा तब तक देश गिरता चला जायगा ।

दूसरे लोगों की या देश की मिसाल पेश करने से क्या फायदा ? आप एटली को पैश करते हैं, यह वैसा ही है जैसे किसी से पूछा कि तुम्हारा गवाह कौन, तो उसने कहा कि मेरी दादी ! वही एटली जो आज हमसे मिलों में मुनाफा कमा रहे हैं, वही अंगरेज जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक हमको दास रखा, उनकी आप मिसाल देते हैं । जिन्होंने आज भी कामनवेल्थ के लुभावने काम से हमारे पैरों में बेड़ी डाल रक्खी है उन्हीं ब्रिटिशर्स को आप पेश करते हैं । क्यों नहीं आप कर्नल नासिर जैसे शेर मर्दों की मिसाल देते जिन्होंने अपने देश से कान पकड़ कर साम्राज्यवादी ताकतों को खत्म कर दिया है ? आप इस देश के चरित्र को उठावें । यह आपका कर्तव्य है । आज आवश्यकता है कि गांव-दर-गांव जाकर आप लोगों से कहें कि अपनी हिफाजत के लिये तैयार हो जाइये । आज तो हो यह रहा है कि लाइसेंसों की आड़ में वोट मांगे जाते हैं कि तुम हमको १००० वोट दो तो हम तुमको राइफल का लाइसेंस दिलवा देंगे, २००० वोट दोगे तो रिवाल्वर का लाइसेन्स दिलवा देंगे । हमने कराची कांग्रेस में देश के साथ वायदा किया था कि आजादी होने पर लाइसेंस फ्री होंगे । प्रत्येक ईमानदार नागरिक को हथियार रखने का हक होगा । उस वक्त हम भी कांग्रेस में थे । मैंने १३ साल की उम्र से देश के लिये मुसीबतें सही हैं और नजरबन्द रहा हूं । उधर वे ऐसे भी लोग बैठे हैं जो हमारे ऊपर डंडे बरसाते थे और अमन-सभाई थे । प्रो ब्रिटिशर्स थे । 'हमेशा फिक्र रही है जिन्हें जिलाने की, वे बिजलियां हैं मुहाफिज अब आशियाने की' ।

करनाल एक छोटा सा जिला पंजाब में है । उसमें ८ साल से एक भी जबरदस्त डकैती नहीं पड़ी । उन्होंने इन्तजाम कर रखा है । यहां हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमसे अधिक डकैतियां अमरीका में हुई हैं । वह अमरीका की अच्छाई की बातों का कोई सबक नहीं लेते हैं । वहां घी-दूध की नदियां बहती हैं, सोने और चांदी को लोग बड़े मजे में इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई सबक हमारी सरकार नहीं लेती है । गाय के थन में जोंक लगेगी तो खून ही पियेगी, दूध नहीं पियेगी । "पियो रूधिर पय न पियो लगी पयोधर जोंक"

शेक्सपीयर ने लिखा है कि Where ignorance is bliss it is folly to be wise. अच्छा होता कि माननीय गृह मंत्री जी अमरीका की डकैतियां पेश न करते । "तेरी गफलत ही अच्छी थी तेरी इस होशियारी से, बला में फंस गया तू बेखबर से बाखबर होकर ।" माननीय मंत्री जी को समझना चाहिये मैं मुख्य मंत्री जी से मुहब्बत करता हूं मैं माननीय गुप्ता जी को सलाह देता हूं कि देहली का रहने वाला कोई आदमी चाहे जितनी ही ऊंची कुर्सी पर बैठा हो चाहे वह कितने ही जाहो जलाल का मालिक हो वह आपकी रक्षा नहीं कर सकता । आपको इस प्रदेश की सात करोड़ जनता का दिल जीतना होगा ।

बात मुझे बहुत कहनी थी, लेकिन बत्ती दिखाई दे गई है । मुझे एक पर्सनल शिकायत है । मैं साफ कहता हूं । माननीय अलगूराय जी शास्त्री मेरे गुरू हैं, मैंने उनके चरणों में बैठकर शिक्षा पाई है । उनकी गोद में बैठकर हजारों नौजवानों ने शिक्षा पाई है । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस कुर्सी पर आज बैठे हुये हैं तो सिर्फ इस पालीटिशन की वजह से जोड़-तोड़ पर बैठे हैं । इतने बड़े अहसान करनेवाले को उन्होंने उठाकर जंगल का कानून दे दिया है । उन्हें कोई संस्कृति का, नागरिक कल्याण का या शिक्षा का विभाग देना चाहिये था । हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान दें । खुदा के फजल से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत सुन्दर प्रकट हुये हैं । हम तो इनसे छेड़ छाड़ करते ही रहेंगे ।

"छेड़ खुदा से चली जाय असद,
गर न हो वस्ल तो हसरत ही सही ।"

हम इन्हें अविश्वास का प्रस्ताव देते ही रहेंगे । एक दिन जरूर ही पास होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, दो दिन से मैंने इस अविश्वास के प्रस्ताव पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना । उन्हें सुनकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई । यों तो किसी भी गणराज्य में विरोधी दल की आवश्यकता होती है और विरोधी दल रहना चाहिये क्योंकि उसके द्वारा गणतंत्रीय परम्परायें कायम रह सकती हैं और सरकार भी ठीक तरह से कार्य कर सकती है । परन्तु जैसा मैंने कांस्टीट्यूशनल तवारीख के एक विद्यार्थी के नाते सीखा है उससे मैंने यह जानकारी अवश्य प्राप्त की है कि जिन देशों में गणतंत्रीय शासन स्थापित हैं और विरोधी दल वहां विरोधी दल के रूप में जिम्मेदारियों को संभालते हैं वे उन परम्पराओं का भी अनुसरण करते हैं जिन्हें विरोधी दल को मानकर चलना चाहिये क्योंकि विरोधी दल ही कल की सरकार को बनानेवाला होता है । कल वही उन जिम्मेदारियों को उठाने वाला होता है जो किसी समय जब शासन की बागडोर संभालेगा तो उन परम्पराओं का परिचय देगा जिनके द्वारा, जैसा मैंने अभी कहा, गणतंत्रीय शासन चला करते हैं । जैसा मैंने अभी कहा, विरोधी दल के लोगों के भाषणों को सुनकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई । जब मैं इस सदन में आया था तो मैंने माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन किया था कि वह विरोधी दल की कुर्सी पर बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और मुझे इस सदन के नेता के नाते जो करना है उसमें वह सलाहें देते रहेंगे, मेरी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से विरोधी दल के नेताओं ने या सदस्यों ने उन परम्पराओं को मुझसे कही अधिक मात्रा में सीख रखा है । मैं आज जिस उत्तरदायित्व को सभालने के लिये यहां आया हूं उसे संभालने के विषय में, गणतंत्रीय परम्पराओं को जानने के विषय में, सीखना चाहूंगा । मैंने उनसे यह वन्दना की थी कि जब-जब वे इस सदन में कुछ आपत्तियां उठाया करें तो वह इस सदन के नेता के नाते मुझे क्या करना चाहिये यह भी बताते रहें । परन्तु उसका तो अभी अवसर नहीं आया परन्तु जो अवसर आया उसके अन्तर्गत मैंने बहुत सी बातों को देखा, उससे मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि विरोधी- दलों के नेताओं ने अपने उस उत्तरदायित्व का अहसास नहीं किया है और उसका अहसास करते हुए उन परम्पराओं को अपनाने की चेष्टा नहीं की है जो उन्हें विरोधीदलों के नेताओं के नाते अपनाना चाहिये ।

माननीय राजनारायण जी की बातों से तो मैं परिचित हूं । उनसे अक्सर फोन के ऊपर और बाहर भी बहुत सी बातें हुआ करती हैं और उन्हें, अपनी तरफ से, जब वे किसी की चर्चा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करते हैं, अपनी बात को और अपने तजुरबे को, उनके सामने रखने की धृष्टता करता हूं। इसलिये मैं उनकी बहुत सी बातों से जो उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव में रखीं, परिचित हूं और उनके ढंग से भी परिचित हूं। परन्तु मुझे दुख है कि जो बातें विरोधी दल के नेता ने इस अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में कहीं, उनसे मुझे, एक विरोधी दल के नेता के नाते ऐसी बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आशा न थी। मैं उनको कोई दीक्षा नहीं देना चाहता और न दीक्षा देने की क्षमता अपने अन्दर पाता हूं। परन्तु यह बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यहां वह तरीका अपनाया जिस तरीके को मैंने देहात में अनुभव किया। मैं उस भाषा को यहां इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। जब एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को कोसती है, वह उस समय जैसी भाषा का प्रयोग करती है, उसी भाषा का प्रयोग यहां किया गया और मेरे मुख्य मंत्री होने के नाते किया गया। उनकी तरफ से तो सदन में वे बातें आनी चाहियें थीं जिनकी यह सरकार कसूरवार है, जिन बातों को इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, जो गणतंत्र की परम्पराओं की विरोधी बातें हैं, परन्तु बातें वे आयीं जिनका संबंध इस प्रस्ताव से कहीं नहीं था। मैं सदन का नेता चुना गया, कांग्रेस के दल ने मुझे नेता चुन लिया, मैं हारा हुआ व्यक्ति था, इसलिये इस सदन का नेता नहीं चुना जा सकता था। ये ऐसी बातें रहीं हैं जिनकी जानकारी मुझे एक कान्स्टीट्यूशनल इतिहास के विद्यार्थी के नाते अब तक रही, किन्तु मैंने अभी तक यह नहीं सुना।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने नहीं कहा कि उनको नहीं चुना जा सकता था और यह कि चुनाव हार गये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि उन्होंने नहीं कहा था तो मेरी समझ में कुछ कसर रही होगी। लेकिन जितने भाषण हुए उनसे मैं यह अनुमान लगाता हूं और मुझे सभी से यह भासित हुआ कि बराबर इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि गणतन्त्रीय परम्पराओं के विरोध में कांग्रेस के दल ने इस कार्य को किया है। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के समक्ष, एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते निवेदन कर सकता हूं कि कांग्रेस के दल ने कोई ऐसी नीति नहीं बरती है जो कि तारीख और यहां की परम्पराओं के विरुद्ध रही हो, जिसकी चर्चा इस सदन के समक्ष की गयी है। मुझे तो ताज्जुब हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण भी इन सब लोगों की भाषा में बोले और बोले तब जब उन्हें इस बात की जानकारी है कि वह देश जहां की परम्पराओं को वे गणतन्त्र प्रणाली माना करते हैं, एक दिन में ही एक व्यक्ति को जो कि प्राइम मिनिस्टर था, उसको गद्दी से उतार कर दूसरे व्यक्ति को जो उस दल का सेक्रेटरी जेनरल था, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी दुनिया को दूसरे दिन उसकी खबर अखबारों से मिली। उन परम्पराओं को मानने वाले इस सदन में आकर जब गणतन्त्र प्रणाली की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप करते हैं तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है, थोड़ी परेशानी होती है और यह गठबन्धन भी दुखदायी सा सिद्ध होता है। समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ ये चार पांच पार्टियां जिन बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं उनमें काफी मात्रा में जगह-जगह विरोध है, परन्तु आज ये एक राय से इकट्ठा होकर उन बातों को कहना चाहते हैं जो बातें कि वास्तविकता से परे हैं। मैं इस समय यही कहूंगा कि न तो मैं किन्हीं गणतन्त्र प्रणाली के विरुद्ध चुना गया हूं, न किसी व्यक्ति के द्वारा यहां थोपा गया हूं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, आज भी यहां निवेदन करता हूं कि जब तक मेरे पीछे बैठने वाले साथियों का मुझमें विश्वास है तभी तक मैं यहां पर हूं। यदि मेरे पीछे बैठने वाले साथियों का मेरे अन्दर विश्वास नहीं रहेगा तो इस सदन के नेता के रूप में कोई भी व्यक्ति मुझे यहां बैठा हुआ नहीं देख सकता है चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हमारे दल का मेरे यहां बैठने के लिये मुझसे कहे या दल से कहे। इसलिये उस बात की चर्चा करना कहां तक दूरदर्शिता पूर्ण है और कहां तक उन परम्पराओं की रचना की तरफ

ले जाने वाली बात है, मैं नहीं समझ पाता हूं। आखिर हम सब गणतंत्र के पुजारी हैं, गणतंत्र प्रणाली को मानते हैं, तो गणतन्त्र किन बुनियादों पर चलता है ? क्या गणतन्त्र इसी तरह से महज सत्य से परे बातें करके चलता है या सत्य की सीमा के अन्दर रह कर चलता है ? इस प्रस्ताव में उन तमाम बातों को लिखा गया है जो वास्तविकता से परे हैं, जो सत्य से परे हैं। बहुत से प्रश्न आज इस प्रस्ताव के अन्दर उठाये गये हैं और उनका उत्तर बहुत से इधर के साथियों ने स्वतः दिया है। मैं उन सब बातों को नहीं दुहराना चाहता हूं।

अभी पंचायत चुनाव की चर्चा की गयी और यह कहा गया—समाजवादी दल के नेता ने भी पंचायतों के चुनाव के संबंध में अपने इस प्रस्ताव में चर्चा की है और यह बतलाया है कि यह सरकार पंचायतों का चुनाव निष्पक्षता से नहीं करा पायी। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि क्या यही वाकयात हैं और अगर यह वाकयात नहीं हैं तो क्यों आज सत्य से परे बातें करके इस सदन के समक्ष प्रस्ताव किया जाता है ? हम सब को तो इस बात का गर्व मानना चाहिये और हम सब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये कि हमारे जनतंत्र के अन्दर हमारे उन किसानों ने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने गांव पंचायतों के चुनाव में उस समझ का परिचय दिया है जो जनतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने वाली व ऊपर उठाने वाली है। हमारे यहां कितनी गांव सभायें हैं और कितने लम्बे चौड़े पैमाने पर जो चुनाव होने वाला था और उस चुनाव में इस पिछले महीने में क्या बीता, क्या वह ऐसा है जिससे हमें कोई शर्मिन्दगी हो सकती है ? क्या वह ऐसा नहीं है जिसके लिये इस प्रदेश के निवासी किसानों की प्रशंसा की जा सकती है ? हम किस तरह से गणतंत्र प्रणाली को उन लोगों के बीच में जो कि अनपढ़ हैं फैला रहे हैं जिससे कि हम देश के लोगों के स्तर को दूसरों की नजर में अधिक ऊंचा कर सकें। परन्तु हम जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव ज्यादातर बिना लड़ाई झगड़े के हो गये। बहुत से गांवों के सभापति निर्विरोध चुने गये, बहुत से सदस्यगण निर्विरोध चुने गये लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा कहा जाता है कि यह सरकार निकम्मी पाई गई। उसने जो चुनाव कराये और जिनको सभापति बनने का, जिनको सदस्य बनने का अधिकार प्रदान किया वे उस अधिकार के स्वतः मुस्तहक नहीं थे यदि वे उन परम्पराओं का परिचय न देते जो उन्होंने रची हैं, वे अवश्य ही शोभनीय रही हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो आंकड़े मुझे दिये गये हैं पंचायतों और सभापतियों के विषय में जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ और कितनों में झगड़े आदि हुए और सरकार की नजर के सामने क्या क्या चीज आई, कितनी एलेक्शन याचिकायें आईं। यदि आप इन सब चीजों के आंकड़ों को देखेंगे तो यह सिद्ध हो जायगा कि हमारी ग्रामीण जनता ने किस तरह से सुन्दर निर्वाचन रचे। यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे वह अनपढ़ किसान जिसका गणतन्त्र की परम्पराओं से विशेष परिचय तक नहीं है वह किस तरह से जहां अपने अधिकारों की बात आती है, अपने उत्तरदायित्व को समझने की बात आती है वहां वह किस तरह से व्यवहार करता है। मुझे जो आंकड़े बताये गये हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे यहां करीब ६६,७८८ ग्राम सभाओं के प्रधानों के निर्वाचन हुए तथा १०,९०,४८३ सदस्यों का निर्वाचन हुआ जिसमें से २२,८८६ प्रधान निर्विरोध चुने गये और ४ ६३,२५८ सदस्य निर्विरोध चुने गये और जो याचिकायें आईं जिनमें झगड़े हुए उनमें १५६ जगह झगड़े हुए और १४२ मतदान स्थगित किये गये। यह जानकारी और आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह सरकार इन चुनावों को कराने में निकम्मी सिद्ध हुई है ? क्या इस सरकार ने इन निर्वाचनों को करा के वह काम सम्पादित नहीं किया जो उसको करना चाहिये ? तो फिर इस अविश्वास के प्रस्ताव में इन पंचायतों के विषय में चर्चा क्यों की गई ? क्या यह बात असत्य नहीं है, क्या यह सत्य से दूर ले जाने वाली नहीं है? यदि है तो क्या यही उनकी गणतन्त्र की परम्परा है और यही उसको बनाने का तरीका है ?

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गणतन्त्र की परम्पराओं की स्थापना और उनकी रक्षा जितना इधर के बैठने वालों का कर्त्तव्य है उतना ही उधर के बैठने वाले लोगों का भी वह कर्त्तव्य है कि जो आज विरोध में शासक दल के बातें करते हैं, जो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आलोचना करते हैं और जो टीका टिप्पणी करते हैं। अवश्य वह टीका टिप्पणी करें, आलोचना भी करें, उन को इसका अधिकार है और यह उन का कर्त्तव्य भी है परन्तु वह जो कुछ कहें वह सत्य के मार्ग पर चलकर कहें, सच्चाई को महसूस करते हुए करें अपनी आलोचना कि इस जगह यह बात गलत हुई है, वह चीज अवश्य सदन के सामने प्रस्तुत करें और फिर सदन का भी कर्त्तव्य है कि उस पर गंभीरता पूर्वक बिचार करे। लेकिन मुझे दुख हुआ कि यह जानते हुए कि सारे सूबे में शान्ति पूर्वक खूबी के साथ चुनाव हो गये और कहा जाता है कि तमाम तरह की बातें हुईं। यह सरकार एक ढंग से कार्य कर रही है और जो हमारा प्लान बना है वह उसी के तहत में कार्य कर रही है।

उत्तराखन्ड के विषय में चर्चा की गई कि सरकार उत्तराखन्ड और कुमायूं के निवासियों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है। क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि उत्तराखन्ड के सिलसिले में जो हमने योजना बना रखी है और जो कार्य सम्पादन करने के निर्णय लिये हैं या कुमायूं के संबंध में जो निर्णय लिये हैं, उन तमाम निर्णयों के मुकाबले में और अनुपात में जो कि हमने प्रदेश के और इलाकों के सिलसिले में लिये हैं, उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि हम उत्तरोत्तर पिछड़े हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिये अधिक मात्रा में कार्य नहीं कर रहे हैं? वहां सड़कें बना रहे हैं, उद्योग-धंधे चलाने के लिये वहां हार्टीकल्चर इत्यादि का विचार कर रहे हैं और अधिक मात्रा में उन्हें सहायता इत्यादि दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं इरिगेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, रहन-सहन के लिये व्यवस्था कर रहे हैं, वूल इंडस्ट्री की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में वहां अधिक मात्रा में काम कर रहे हैं। जितनी आबादी वहां की है, जितनी आमदनी वहां से होती है, उस सारे के मुकाबले में अधिक काम कर रहे हैं। तब भी इस प्रस्ताव के द्वारा उत्तराखन्ड और कुमायूं के निवासियों का ध्यान इस आलोचना की ओर आमंत्रित किया जा रहा है कि यह सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है। क्या यह सही बात है? सही रास्ता है गणतन्त्र की जानकारी बढ़ाने का और उनकी जानकारी बढ़ाने का जिनकी जानकारी बढ़ाकर ही जनतंत्र को अपने बीच में जीवित और जागृत रखना चाहते हैं? मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुमायूं और उत्तराखन्ड की आबादी हमारे सारे प्रदेश की आबादी की शायद ४ प्रतिशत है। एक प्रतिशत उत्तराखन्ड में होगी और तीन प्रतिशत कुमायूं के और इलाके में होगी। इस ४ प्रतिशत आबादी के ऊपर जो हम व्यय करने जा रहे हैं, सारे प्रदेश में जो व्यय कर रहे हैं उसका वह साढ़े ९, १०, ११ प्रतिशत है। तब भी माननीय राजनारायण जी वहां के निवासियों को बताना चाहते हैं कि वे उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं परन्तु सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रयत्नशील नहीं है। तो क्या हम उस ओर नहीं चल रहे हैं?

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, राजनारायण जी तो अपना एक इलैक्शन मैनीफैस्टो इस सदन के द्वारा बाहर भेजना चाहते हैं, तो इस कांग्रेस सरकार का और दल का भी एक मैनीफैस्टो है और उस मैनीफैस्टो से माननीय राजनारायण जी या विरोधी दल के नेतागण अपरिचित नहीं हैं। मैं उन दलों से खासकर कहना चाहता हूं जो अपने को समाजवादी कहते हैं, जो गणतंत्रात्मक परम्पराओं के बीच में रहते हुए समाजवादी व्यवस्था को देश में रचना चाहते हैं, उनसे नम्रतापुर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या उनका समाजवाद कोई और है? कांग्रेस का समाजवाद, जो कांग्रेस के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है क्या उससे कोई भिन्न है? यदि है तो वही है जिससे कि हमारे बीच में महत्वाकांक्षी लोग दलों की रचना करके आज विभिन्न दलों की रचना इस देश के अन्दर करना चाहते हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चहता हूं और बार-बार इस बात की घोषणा करता रहा हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी दल या प्रजा समाजवादी दल के लिये कोई नया प्रोग्राम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये नहीं है प्रोग्राम के मुकाबले में जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और जिसे कांग्रेस या कांग्रेस दल के पीछे बैठने वाले लोग देश के अन्दर ले जाना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं। जब ऐसी

बात है तो आज विरोधी दल के रूपमें उन्हें हमारे सामने आने की क्या आवश्यकता है, नहीं जान पाता हूं। मैं समझ सकता हूं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की विरोधी बने, जनसंघ बने, स्वतंत्र पार्टी को भी समझ सकता हूं कि वह हमारी विरोधी बने, लेकिन उन दलों को जो कि एक तरह से सोचते हैं, एक तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं और एक तरह के ढंग से नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, उन्हें अपने को दूर रखकर और उस संस्था को गिराने की चेष्टा करना जिसके द्वारा आज भी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने खुद कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो वह देश की एकता को कायम किए हुए हैं यदि वे नहीं रहेंगे तो कदाचित देश की एकता हमारे बीच में न रहे। तो मेरी समझ में नहीं आता, आपत्तियां की जाती है, आलोचनायें की जाती हैं, टीका टिप्पणी की जाती हैं कि यह लोग जो यहां बैठे हुए हैं उधर नहीं जा रहे हैं, कदाचित् उन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में अपने को बेच दिया है। कम्यूनिस्ट जब इस तरह की बातें करते हैं तब तो मेरी समझ में आता है। लेकिन वे व्यक्ति जो कांग्रेस की गोद में पले हैं, जिनके खून में कांग्रेस की परम्परायें रहीं हैं वे ही जब उस विचारधारा को प्रतिपादित करते हैं और विरोध में अपने विचारों को रखते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है और किसी मात्रा मे शर्म भी आती है। मैं उन तमाम बातों की चर्चा न करूंगा। मुझे दुख होता है जब हम गणतंत्रीय परम्पराओं की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल उन परम्पराओं का अगुआ बनना चाहता है तो क्या कारण है कि विरोधी दल के रूप में रहते हुए भी उन परम्पराओं का अगुआ न बने और अपने कार्यों से, ढंग से ऐसा संसार को परिचय न दे हम उन परम्पराओं से विचलित होते जा रहे हैं और अपने बीच में उस व्यवस्था के लाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं जिसकी अभिलाषा और आकांक्षा हम सब के हृदय में है।

श्री यशपालसिंह—आप और त्रिलोकीसिंह जी मिल जाइये तो सब मिल जायंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो बिचार प्रकट किया, समाजवाद का, जो वास्तविक रूप से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वे अवश्य उस संस्था से फायदा उठायेंगे जिस संस्था में भले ही दोष आ गये हों, जिस चीज की आशा वह हमसे रखते हों वह अभी उतनी पूरी न हो पायी हो, परन्तु यदि उसमें खराबियां और खामियां हैं, दोष आ गये हैं तो उनका भी कर्त्तव्य है, जो कि समाजवादी व्यवस्था को हमारे बीच में लाना चाहते हैं, वे उन खराबियों और दोषों को दूर करने के लिये, जो संस्था सब के लिये खुली हुई है, जो समाजवादी व्यवस्था को शान्तिमय ढंग से स्थापित करना चाहती है, उस संस्था में सम्मिलित होकर उन दोषों को निकाल कर उन विचारों के अगुआ बनें जिनका प्रतिनिधित्व वह करना चाहते हैं। बहरहाल, यह तो बात इस सदन के बाहर की है, इस पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन परम्पराओं की बात जो सदन के अन्दर उठायी गई उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं और चाहता हूं उनसे कहूं कि परम्पराओं की चर्चायें करना बेकार है यदि विरोधी दल स्वयं उन पर नहीं चलता है।

इसी तरह से हिन्दी के विषय में माननीय नेता समाजवादी दल ने कहा कि यह सरकार हिन्दी को अपना नहीं रही है। हाई कोर्ट में हिन्दी को प्रचलित नहीं कर रही है। इस विषय में एक मर्तबा उन्होंने सदन में कुछ सवाल भी पूछे थे और मैंने उत्तर में बताया था जहां तक हाई कोर्ट का सम्बन्ध है जो हमारे देश का संविधान है वह १५ साल तक तो हाई कोर्ट को आर्डर, डिक्री, जजमेंट अंग्रेजी में लिखने का अधिकार देता है। और प्रोसीडिंग्स के विषय में यह अधिकार है कि यहां का राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से हाई कोर्ट में हिन्दी के चलाने के विषय में या किसी जबान के चलने के विषय में हाई कोर्ट से कह सकता है कि वहां की प्रोसीडिंग्स हिन्दी में, या उस भाषा में जो उस प्रदेश की भाषा है, चलायी जायं। जब उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था तो मैंने कहा था कि इस विषय में हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा। पहले हाई कोर्ट से सरकार की इस विषय में क्या करस्पांडेंस हुई थी मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। बाद में जानकारी हुई। जैसे ही उन्होंने सुझाव मेरे पास भेजा मैंने आदेश दिया कि इस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विषय में हाई कोर्ट को लिखा जाय। हाई कोर्ट से अभी विचार विनिमय नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज हम नहीं कहना चाहते जिससे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य जजेज यह समझें कि यह प्रदेशीय सरकार अपने राजनीतिक अधिकार से कोई चीज उनके ऊपर थोपना चाहती है। उनकी सलाह हम लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम थोपने की कोई बात करें तो विरोधी दल के नेतागण और सदस्यगण ही आपत्ति करेंगे कि सरकार हाई कोर्ट पर अपना रोब जमाना चाहती है और उसे आदेश दे कर वह कार्य कराना चाहती है जिसे हाई कोर्ट के स्वतः चीफ जस्टिस तथा जज स्वीकार नहीं करना चाहते। हम इस प्रकार की परम्परा नहीं बनाना चाहते। परम्परा इस तरीके से बनती है कि हम हाई कोर्ट से इस विषय में विचार विनिमिय कर लें। फिर उचित आदेश या उचित सलाह से जो बात तय हो उसे हम करें। क्या कोई प्रदेश यह समझता है कि यह प्रदेश जिसने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये अगुवा का कार्य किया है, यह सदन जिसने अगुवा का कार्य किया है इसका कोई माननीय सदस्य चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार में हो या चाहे सरकार के बाहर हो, कभी कोई ऐसी इच्छा रख सकता है कि हिन्दी को हाई कोर्ट में मान्यता न मिले और क्या इस बात की आवश्यकता थी कि इस अविश्वास के प्रस्ताव में इसकी चर्चा कर दी जाय? बातचीत चल रही है और उसके सम्बन्ध में राजनारायण जी को बतला दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस बात को अपने इस घोषणा पत्र में अविश्वास के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या यह सही बात है?

आज दो, ढाई महीने हुए हैं इस सरकार को आए हुए और उस सरकार से सारी चीजें चाही जाती हैं कि उनको वह शीघ्रता से कर दे और जिन को वह कर भी रही है उनके प्रति भी आप अविश्वास प्रकट करते हैं! हमने खर्चा कम करने की बात को अधिकारियों के समक्ष और प्रदेश के रहने वालों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपने उसका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया। आप समझते हैं कि मत लेने के लिये हम जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो कदम उठाया है उस कदम ने कोई भारी बचत हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर दी है जहां तक हमारी तनख्वाहों व आशायशों का सम्बन्ध है, लेकिन एक क्लाइमेट अवश्य बनाई है। उसे देख कर अधिकारियों व कर्मचारियों को यह विचार करने का मौका दिया है और आज वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो बहुत से खर्चे तनख्वाहों पर तथा नौकरियों पर हो रहे हैं उनमें घटोत्तरी करें।

मैंने सदन में यह सूचना दी थी जब मेरे पास फायनेन्स डिपार्टमेंट से आंकड़े आये थे कि उनकी बुनियाद पर ५५ लाख या ५० लाख की बचत हमारे एक आदेश से होने वाली है। इसके अलावा अभी हम बजट तैयार कर रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि एक लम्बा चौड़ा बजट होगा। जो तृतीय पंच वर्षीय योजना सम्पादित करनी है वह अरबों की होगी और अरब हमारे पास उस मात्रा में हैं नहीं जिस मात्रा में हमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करना है। या तो टैक्सेशन के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं या बचत के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। एक नया दृष्टिकोण शासन के सम्मुख प्रस्तुत करके एक क्लाइमेट पैदा की गयी है। रोजमर्रा जो अधिकारी यह कहता था कि यह जगह नई कायम कर दी जाय, यहां जीप दे दी जाय या अमुक वस्तु का प्रबन्ध कर दिया जाय आज उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है और जब उसके पास नोट आते हैं तो स्वतः लिख देता है कि जिस क्लाइमेट में वह काम कर रहा है उसको देखते हुए और आवश्यकता को समझते हुए हमें अमुक जगह नये व्यक्ति को नहीं रखना है, अमुक जगह के लिये जीप नहीं देनी है और टी० ए० इत्यादि में कमी लानी है। तो एक क्लाइमेट हम उसके द्वारा बनाना चाहते हैं।

आज क्या माननीय विरोधी दल के नेतागण तथा माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे यदि चाहते हैं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना पूर्ण रूप में कार्यान्वित हो, उसका पूरा फायदा उपलब्ध हो तो हम इस स्कीम के बनाने में मदद करें न कि वे हमारी आलोचना करें,

मजाक उड़ायें और जो कार्य हम कर रहे हैं उसे उस दृष्टि से न देखें। क्या इससे प्रदेश की तरक्की होने वाली है और जो योजना कार्यान्वित करने वाले हैं वह पूरी होने वाली है? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमें नया दृष्टिकोण इन कार्यों के सम्पादन के विषय में अपनाना पड़ेगा और उसमें पूरा सहयोग विरोधी दल के नेताओं को और सदस्यों को देना होगा तभी हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे जिनकी पूर्ति हम तृतीय पंच वर्षीय योजना में करना चाहते हैं और जिनके द्वारा हम अपने प्रदेश के नागरिकों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। क्या उनका स्तर बातों से ऊंचा हो जायगा, क्या महज आलोचना से ऊंचा हो जायगा, क्या वह महज टीका टिप्पणी से हो जायगा? उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग देना होगा और सरकार में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तेजी के साथ और सहयोग के साथ काम करना होगा और उसमें उधर के बैठने वाले सदस्यों को और नेताओं को भी सहयोग देना होगा और जब हमें सब का सहयोग मिलेगा तभी हम तृतीय पंच वर्षीय योजना की वह रूप रेखा उस तरह से रख सकेंगे जैसी कि आप लोग रखवाना चाहते हैं। आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में तरक्की हो, यातायात की सुविधायें बढ़ें, उद्योग धंधे पनपें और वहां के लोग बेरोजगारी में फंसे रहें? आज हमें इस नीति को बरतना है जिसके तहत में कम खर्च करके अधिक से अधिक कार्य सम्पादन कर सकें और उनको पूरा करने की प्राथमिकता दे सकें और जिनको प्राथमिकता देकर हम अपने शासन के ढांचे में संतुलन ला सकते हैं और तरक्की कर सकें। वह कदम उठाने की हम चेष्टा कर रहे हैं।

आप ने अपने इस अविश्वास के प्रस्ताव में ऐसी बातें भी रखी हैं जिनमें आपने यह कहा है कि हमने जो वायदे किये हैं और जो हम से पहले की सरकार कर चुकी है उनको हम पूरा नहीं करना चाहते हैं। आपने अन्तरिम जिला परिषदों के चुनाव की चर्चा की और उस घोषणा की कि जो हमारे नेता सम्पूर्णानन्द जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने और उनके साथियों ने की थी कि वह इस वर्ष इनका चुनाव करा देंगे। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सदन की बैठक दो महीने तक नहीं हो सकी और सम्भव भी नहीं था। हमने इस लिये बैठक नहीं बुलाई कि हम बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन असल में बात यह थी कि कोई नई सरकार आये और वह अपने नये दृष्टि कोण से काम करना चाहे और नये ढंग अपनाना चाहे तो कुछ समय तो उसको अवश्य ही मिलना चाहिये। आखिर को उसमें भले ही पहले के दो चार मंत्री रहे हों और भले ही मेरे ऐसे पुराने मंत्री रहे हों। लेकिन यह तो आपको मालूम ही है कि इन चार सालों में कितना परिवर्तन हो गया है, कितनी हमारी आमदनी बढ़ गई है और कितना हमारा खर्चा बढ़ गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और अन्य दूसरे साथियों को भी नहीं है। उन चीजों का अध्ययन करना है और उन चीजों को समझकर कि किस दिशा में शासन को ले जा सकते हैं इस पर भी विचार करना है। मैं तो आज श्रीमन्, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुझे यह विचारने का और सोचने का मौका नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिये। यदि आप मुझे दल में रहते हुए सेवा करते हुए देखना चाहते हैं तो इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि ज्यादा लीगलिस्टिक न बन कर उन कार्यों की पूर्ति के सिलसिले में ध्यान देने की कृपा करें जिनसे इस सरकार द्वारा या इस दल द्वारा पूरा होते देखना चाहते हैं। आखिकार यह वास्तविकता है और यह बात छिपाई नहीं जा सकती है।

श्रीमन्, भले ही यह लोग सोचें कि आज कांग्रेस में और विशेष कर प्रदेश में मतभेद है, लेकिन मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि इनके मुकाबले में ३०२ इनके विरुद्ध ही हैं और इनकी नीति का समर्थन करने वाले नहीं हैं। मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि उनमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर आप यह समझते हैं कि वह नाराज हो कर आपका साथ देने वाले हैं तो ऐसी गलती वह करने वाले नहीं हैं जैसी गलतियां त्रिलोकी सिंह जी और राजनारायण जी कर चुके हैं। यह उस गलती को दुहराने वाले नहीं हैं। जो पुराना तजुर्बा है उस तजुर्बे से हमारे साथी भी फायदा उठाते हैं और विरोधी दल के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि वह भी इससे फायदा उठायें। वह हमको बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

ऐसे नहीं हैं। भले ही मैं निकम्मा चीफ मिनिस्टर बन गया होऊं, लेकिन निकम्मे चीफ मिनिस्टर के लिये भी उनके दिलों में जगह रहती है। आज भले ही वह नाराज हों और भले ही उन्होंने गलत राय बना ली हो, लेकिन उनके दिलों से अगर पूछेंगे तो कहीं वह जगह आप नहीं पायेंगे जहां आप हाथ रख सकें और उनको अपना साथी बनाकर उन बेवकूफियों और गलतियों को दोहराने की बात सिखाएं जिन बेवकूफियों या गलतियों के शिकार आप में से बहुत से बन चुके हैं।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि पिछले मंत्रियों और अधिकारियों की जांच नहीं हुई। यह उनका सवाल चार साल से चल रहा है। मेरे पूर्व के मुख्य मंत्री उन विषयों को देख चुके हैं और आज फिर उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्या कोई बुद्धिमत्ता की बात है? यह भी कोई नयी परम्परा रखने की बात है? आज जो व्यक्ति नहीं हैं, जिनके लिये शिकायत थी, उनके सम्बन्ध में चर्चा करना क्या कोई हमारे कार्य में सहायता देने वाली बात है। जब एक निर्णय हो चुका और मुझे यह भी बताया गया कि जहां तक अधिकारियों की बात है वह आलोचना अश्योरेंस कमेटी में भी गयी और उसके सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री और सरकार ने जो तय किया उसको मान लिया, फिर हर दफा उस बात को दोहराना कि पुराने मंत्री और अधिकारी बड़े निकम्मे थे, बड़े बेईमान थे, इससे क्या कोई नयी परम्परा बनती है? मैं एक मिनट के लिये मान भी लूं कि कोई अधिकारी या मंत्री कभी ऐसा था भी, तो आपने इतनी आलोचना कर ली, इतनी शिकायत कर ली, तो कोई मंत्री उस तरह से अब सोच भी नहीं सकता है। आप जानते हैं कि उन बातों की चर्चा खत्म हो गयी थी फिर उन बातों को सामने रखने से क्या लाभ? उन बातों को दोहराने से क्या कोई नयी प्रवृत्तियां पैदा करते हैं? ये सारी बातें उन स्वस्थ परम्पराओं के विरुद्ध हैं जिनको हम सदन और सदन के बाहर फैलाना चाहते हैं।

आपकी कुछ बातों का उत्तर मेरे सम्मानित मित्र चरण सिंह जी दे चुके हैं। कुछ बातों का उत्तर माननीय राजस्व मंत्री हुकुम सिंह जी दे चुके हैं। उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रदेश कई चीजों में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अगुवा रहा है। लेबर की आपने चर्चा की कि हम श्रम का महत्व नहीं समझते हैं, श्रम के विषय में वह कार्य नहीं करते हैं जो हमें करने चाहिये। मैं नम्रता से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां तक श्रम विभाग का सम्बन्ध है, उसके कार्यों का सम्बन्ध है उसके कार्य और नीतियां, जो उसने वेलफेयर के कार्य किये हैं, सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश बढ़ा चढ़ा है। उनके हकों के सिलसिले में उनके लेबर की कीमत के सिलसिले में, उनको सहूलियतें देने के सिलसिले में यह प्रदेश अगुआ रहा है कोई ऐसा प्रदेश है। जिसमें ६५-६५, ७०-७० वेलफेयर सेंटर्स खुले हों? कहां मिल मालिकों और मजदूरों में समझौता करवा कर लाखों करोड़ों रुपये का बोनस दिलवाया गया हो? यह प्रदेश इन कार्यों में अगुआ रहा है, तो इसको क्यों स्वीकार नहीं करते? महज आप अपनी धुंधली नीति रख कर मजदूरों को बताने के लिये हम मजदूरों के प्रश्नों में बड़े प्रगतिशील हैं, और यह सरकार और संचालक या पहले की सरकार बड़ी अप्रगतिशील थी, वे मजदूरों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने आक्षेप किया कि इस सरकार की नीति पूंजी पतियों के समर्थन की नीति है। मैं जानना चाहता हूं कि आज जितने राष्ट्रीयकरण के कार्य सारे प्रदेश में हो रहे हैं, क्या वह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हुए हैं? यह जो तमाम राजे, महाराजे, नवाब और निजाम हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गये तो यह क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने ओझल किये थे; यह क्या पूंजीपति नहीं थे? और यह जो विभिन्न उद्योग धंधे हो रहे हैं उन्हें क्या कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है? समाजवाद क्या महज बातों से या आलोचनाओं से आने वाला है या रूस से सम्बन्ध गांठने से आने वाला है? अगर समाजवाद लाना है तो उसको खुरेश्चेव तो नहीं लायेंगे। उस समाजवाद को तो यहां वही लोग लायेंगे जो उन परम्पराओं में विश्वास करते हैं और उन तरीकों में विश्वास करते हैं

जो तरीके इस देश की संस्कृति से मिले जुले हैं। आज उन लोगों के द्वारा यह आपत्ति होती है कि यह सरकार तो पूंजीपतियों के हाथ में है। इसने बिरला को अल्मूनियम फैक्ट्री को लगाने के लिये बहुत सस्ती कीमत के ऊपर बिजली दे दी है। मैं यह कहना चाहता हूं, आंकड़े मेरे पास हैं। बिजली की जो दरें हैं जिन पिल पर विभिन्न प्रदेशों में अल्मूनियम फैक्ट्री को बिजली दी गई है और उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत ली गई है, मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा की सरकार ने जो दिया है और जो केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने दिया है उस कीमत से कम से कम कोई १/३ कीमत ज्यादा यहां ली गई है। १०५ रुपये में तो केरल में बिजली दी गई और १३५ रु० में दी गई उड़ीसा में और १७५ रुपये में दी गई उत्तर प्रदेश में। और तब भी यह आपत्ति है, यह शिकायत है कि यह तो पूंजीपतियों की सरकार है और इसने तो बिरला के हाथ में बिजली बेच दी है।

कहा जाता है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये यह रिहन्द डैम बना था; तो क्या मिर्जापुर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा नहीं है ? यदि मिर्जापुर में इस बांध से फायदा हुआ, वहां की बिजली से हम अल्मूनियम फैक्ट्री वहां लगा सकते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हैं, अन्य फैक्ट्रियों को लगा सकते हैं तो क्या मिर्जापुर का विकास इससे होने वाला नहीं है और यदि मिर्जापुर का विकास होगा तो क्या वह पूर्वी जिलों में से एक जिला नहीं है ? तो यह नारा क्यों बुलन्द किया जाता है ? मैं कहना चाहता हूं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की या पूर्वी जिलों की समस्यायें हमारे सामने हैं और हम चाहते हैं कि उन जिलों का विकास हो। तभी तो आज हम विचार कर रहे हैं कि सिंगरौली में एक दूसरा नया प्लांट बनायें जिसमें साढ़े तीन लाख किलोवाट बिजली और पैदा हो जिससे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसके द्वारा और भी बिजली हम दे सकें। तो फिर क्यों आपत्ति है ? क्यों शिकायत है ? मेरी समझ में नहीं आता। जब योजना बनेगी तो योजना में हर समय हर जगह के लिये तो प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। योजना का महत्व ही यह है कि जिस चीज को प्राथमिकता देनी हो, जिस चीज को हम आवश्यकीय समझते हों, उसको निर्मित करने की हम चेष्टा करें। भले ही मिर्जापुर पहले आ जाय, भले ही बनारस आ जाय, भले ही गोरखपुर आ जाय, भले ही देवरिया य बस्ती आ जाय। तो जब इन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने का सवाल उठता है तो हमारे सामने हमेशा यह चीज रहती है, हम अक्सर यह कह बैठते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह नहीं हुआ, हमारे जिले में यह नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि जहां हमारी अभिलाषा है जहां हमारी ख्वाहिशें हैं उनके मुताबिक सारी ख्वाहिशें एक साथ तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं और वह सम्भव भी कैसे हो सकता है ? हमारे पास साधन उतने कहां से आयेंगे ? अरबों रुपया या तो हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है या केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना पड़ता है या स्वतः इस प्रदेश में ऋणों में या टैक्सों आदि के द्वारा, और बचत के द्वारा इकट्ठा करना पड़ता है। ताहम हम एक ही समय में सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं साढ़े चार तक खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—कुछ पांचेक मिनट और कम ही लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बात यह है कि राजनारायण जी को भी अभी जवाब देना है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। वैसे राजनारायण जी को जवाब देने के लिये कुछ रहा नहीं है। वह देना चाहें दें, उनकी आदत है, वह मानेंगे नहीं.....

श्री अध्यक्ष—वह पानी वानी पी कर आये हैं, ताजे होकर।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ताजे होकर आये हैं, ठीक है, लेकिन रहा नहीं है कुछ जवाब देने को। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के तत्वावधान में हम बहुत सी कमियों की पूर्ति करने जा रहे हैं। लेकिन यह ठीक है कि सारी पूर्तियां एक ही समय में और एक ही स्थान के लिये नहीं की जा सकतीं। हमने जो योजना तैयार की है तृतीय पंच-वर्षीय योजना के नाम से जिसे पुकारते हैं उसे तो वास्तविक ढंग से यह कहा जा रहा है कि वह जनता की योजना है। क्योंकि योजनाओं की रूप रेखा गांव से, ब्लाक से, जिले से और फिर प्रदेश से लिखी गई है। हर क्षेत्र में हर जगह पर किसी न किसी व्यक्ति के तजुर्बे से फायदा उठाया गया है जो कि उस क्षेत्र के विषय में तजुर्बा रखता है। तो ऐसी योजनाओं में प्रत्येक को सहयोग करना है और प्रत्येक को पूरा करने की चेष्टा करना है। तभी हम अपने प्रदेश में रहने वालों का स्तर ऊंचा कर सकेंगे और ऊंचा करके उन परम्पराओं को लाने में आगे कदम बढ़ा सकेंगे जिनको आप अपने बीच में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।

हमारे देश में गणराज्य सदियों के बाद आया है। यह बात नहीं कि हमारा देश पहले गणराज्य की परम्पराओं से वंचित रहा हो। तवारीख के पन्ने इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह देश गणराज्य की परम्पराओं के विषय में संसार में अगुआ था, परन्तु गुलामी के जमाने में उन परम्पराओं को भुला दिया गया। फिर सदियों के बाद यह अवसर आया है कि हम उन परम्पराओं को पुनः जीवित करें और उनको पुनर्जीवित करने में सरकार, विरोधी दल और वे दल जो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और जो शान्तिमय ढंग में विश्वास रखते हैं, वे सब हमको सहयोग दें तो हम उसमें सफलता पायेंगे और सफलता पाकर उन बातों को पूरा कर सकेंगे जिनको पूरा करने की अभिलाषा और आकांक्षा माननीय राजनारायण में है जिसके लिये वह उत्साह दिखाते हैं। वे बातें तभी पूरी हो सकेंगी जब उन कार्यों के प्रति सम्पादन में वे हम से सहयोग करें। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वह मौका उनको नहीं देंगे जिस मौके को वह बार-बार ढूंढ़ते हैं और अविश्वास हम पर प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो नाहक इस सदन में विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अपने अविश्वास के प्रस्ताव पर जिस प्रकार से पहले आरूढ़ था उसी प्रकार से अब भी आरूढ़ हूं। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को सुना, चौधरी चरणसिंह को सुना और अन्य माननीय सदस्यों को भी सुनने की कोशिश की। मैं यह समझता हूं कि दिल से माननीय मुख्य मन्त्री जी हमारे अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थक हैं। मैं समझता हूं हृदय से चौधरी चरण सिंह जी भी हमारे अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थक हैं। वे हमारे प्रस्ताव के क्यों समर्थक हैं इसलिये कि जिस किसी ने हमारे अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध किया है उसने महात्मा गांधी की दुहाई दी है और उसने उस पुरानी कांग्रेस की दुहाई दी है जिसने शान और हिम्मत के साथ अंग्रेजी साम्राज्यशाही के राजमुकुट को ध्वस्त किया था। मुझे यह गौरव है कि मैं उस पुरानी कांग्रेस का सदस्य रहा हूं जिसने अंग्रेज साम्राज्यशाही की हुकूमत को ध्वस्त किया। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं उस नयी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं जोकि आज लड़खड़ाते हुये साम्राज्यवादी पूंजीपतिशाही नीति पर चलती है। जो अकाल और भुखमरी का प्रतीक है।

बहुत से लोगों ने कहा है और ३, ४, तरह के समालोचक हमारे हुये हैं। एक समालोचक गोविन्द सहाय जी हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूं। जब मैं उनके भाषण को सुनता हूं तो हमको ऐसा लगता है कि किसी विषय को गहराई के साथ अध्ययन करना उन्होंने सीखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस में समाजवाद ४० वर्ष के बाद आया। मैं कहता हूं कि यू० एस-एस० आर० (यूनियन आफ सोवियट्स सोशलिस्ट रिपब्लिक) यह नाम उसका शुरू से ही चला आ रहा है। यह ४० वर्ष बाद का नाम नहीं है। मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने मार्क्सवाद का दर्शन भी पढ़ा है और जानता हूं कि दर्शन क्या है।

मार्क्स ने कभी भी समाजवाद या साम्यवाद का नाम नहीं लिया। मार्क्स ने कभी भी सोशलिज्म या कम्युनिज्म का नाम नहीं लिया। मार्क्स ने कहा कि फर्स्ट फेज आफ सोसाइटी और सेकेन्ड फेज आफ सोसाइटी, अर्थात् प्रथम सोपान समाज का और दूसरा सोपान समाज का। लेनिन ने रूस की क्रांति के बाद प्रथम सोपान को नाम दिया "समाजवाद" और द्वितीय सोपान को नाम दे दिया "साम्यवाद"। वह समझ बैठे हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म अलग-अलग, विरोधी चीजें हैं परस्पर। एक २५ वर्ष का बालक है और एक ५० वर्ष का जवान है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सहाय जी अभी कुछ दर्शन पढ़ें।

बहुत से लोगों ने कहा कि हम गांधीवादी हैं, लेकिन समाजवादी नहीं हैं। श्रीमन्, क्षमा करेंगे, गांधी जी की बात ही मैं कहना चाहता हूं। गांधी जी ने गांधीवाद के बारे में क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि "गांधीवाद जैसी कोई चीज मेरे दिमाग में है ही नहीं है। मैं कोई सम्प्रदायवाद का प्रवर्तक नहीं हूं। तत्वज्ञानी होने का तो मैंने कभी दावा ही नहीं किया है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम गांधी विचार की एक स्मृति ही लिख डालो। मैंने कहा कि स्मृतिकार कहां और मैं कहां ?" इसलिये गांधीवाद सरीखी कोई चीज नहीं है। और लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिये। खासकर सरकारी पक्ष के लोगों को गांधीवाद की संज्ञा लेकर हमारा विरोध नहीं करना चाहिये। गांधीवाद की संज्ञा सुनें। गांधी जी ने कहा है कि "आपको यह स्वतन्त्र रूप से सोचना चाहिये कि मैंने विचारों को दुरुस्त किया है या बिगाड़ा है। हम हर रोज विकास की ओर जा रहे हैं।" सही है, गांधी जी ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वे आगे जाने वाले विकास की ओर ले जाने वाले विचार थे, अग्रसर होने वाले विचार थे। विकासोन्मुखी विचार थे, पतनोन्मुखी नहीं थे। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से आगे पढ़ना चाहता हूं अस्पर्शयता के सम्बन्ध में। हमारे साथी कहा करते हैं कि मैं कटु शब्दों का प्रयोग करता हूं। गांधी जी ने कहा है कि "अगर मैं एक दिन के लिये डिक्टेटर बनूं तो वाइसराय को अस्तबल की तंग और अन्धेरी झोपड़ियों को साफ करने में लगा दूं।" यह गांधी जी के शब्द हैं। वही मैं कहना चाहता हूं। अगर मेरे हाथ में ताकत आये तो मैं माननीय गुप्ता जी को हरिजन कार्य पाखाना साफ करने में लगा दूं। क्या पाखाना साफ कर रही है यह सरकार ? यह गांधी जी का नाम ले रहे हैं, पूज्य बापू का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रीयता का नाम ले रहे हैं। पूज्य बापू का नाम लेने का हक उनको है कि जो हरिजन बने। उनको है जो हरिजनों द्वारा सम्पादित कार्यों का अनुसरण करें, उनका उत्थान करें। वह जो जातपाँत और छुआछूत को तोड़ने का सबक तो पढ़ायें लेकिन व्यवहार कुछ और करें उनको पूज्य बापू का नाम लेने का अधिकार नहीं। वे उनके नाम लेने के अधिकारी नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—मैं पूछना चाहता हूं कि आप रोज कितने पाखाने साफ कर रहे हैं ?

(हंसी)

श्री राजनारायण—चपरासियों और मन्त्रियों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है, इसे भी सुनें। इस प्रकार की बातें यहां सुनने में आईं इसलिये मैं कांग्रेस पक्ष के लोगों से कहूंगा कि यदि वे गांधी जी में आस्था रखते हैं, उनके द्वारा निर्धारित की हुई परम्पराओं में आस्था रखते हैं तो वे ईमान्दारी के साथ इस बात को सुनें और समझें। गान्धी जी कह रहे हैं कि "मैं चाहूंगा कि चपरासी मन्त्रिपद के लायक बनें तो भी अपनी जरूरत चपरासी जितनी रखें। चपरासी मन्त्रिपद पर अगर चला जाय तो भी वह अपनी जरूरत चपरासी के समान रखें।" मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने मंत्री मन्त्रिपद पर गये हैं क्या जिस तरह से वे अपने खानदान में रहते थे उसी तरह से रह रहे हैं ? क्या यह गांधी जी की वाणी के अनुसार उनका आचरण है ?

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, आगे (गांधी जी) कहते हैं कि "चपरासियों का काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मन्त्री का"। क्या यहां जो चपरासी खड़े हैं उनके अन्दर एक सेकेन्ड के लिये भी यह सरकार यह भाव पैदा कर रही है कि यह उतना ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जितना कि श्री हुकुम सिंह जी? हुकुम सिंह जी इस बात को बतावें।

श्रीमन, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को क्यों लाये हैं? मैं आज अपने समर्थन में पूज्य बापू को ही रखना चाहता हूं। बहुत से विदेशियों के कोटेशन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने तथा दूसरों ने दिये, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस गांधी जी की सत्याग्रह रूपी माता की कोख से हम पैदा हुये हैं हम उस पर लात न मारें इसलिये पूज्य बापू को साक्षी करके हम यहां अपना यह प्रस्ताव लाये हैं। गांधी जी ने कहा है कि "सुधार की गरज होती है खुद सुधारक को। जिस समाज में वह सुधार करना चाहता है उससे तो उसे विरोध है, तिरस्कार की ओर जान की भी जोखिम की आशा उसे रखनी चाहिये।" माननीय गुप्ता जी सुनें। हमने जो अविश्वास का प्रस्ताव किया, तो हम समझते हैं, कि हम सुधारक हैं। वह हमारा विरोध करेंगे। वह हमारा तिरस्कार करेंगे।

श्रीमन्, हमारे बहुत सदस्यों ने सर्वोदय शब्द का नाम लिया। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि वह शब्द आया कहां से? उस शब्द का अर्थ क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। गान्धी जी जिस समय एक यात्रा पर जा रहे थे, उस समय पोलक ने उनको एक किताब दी, जिसका नाम था, "अन टू दि लास्ट" और यह कहा कि वह उसको रास्ते में पढ़ें। गांधी जी ने लिखा है कि "पोलक ने मुझे रस्किन रचित" "अनटू दि लास्ट" नामक पुस्तक मेरे हाथ में रखकर कहा---यह पुस्तक रास्ते में पढ़ने लायक है। अन टू दि लास्ट का अनुवाद बाद को मैंने गुजराती में किया था, और वह सर्वोदय के नाम से प्रकाशित भी हुआ है। सर्वोदय के सिद्धान्त को मैं (गांधी जी ने) इस प्रकार समझा:--

(१) सब के भले में अपना भला है।

(२) वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिये, क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक सा है।

(३) सादा मजदूर और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।"

यह शब्द थे पूज्य गांधी जी के।

अब मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद का सिद्धान्त क्या है। क्यों बहुत से लोग अपने को समाजवादी कहने में हिचकिचाते हैं? समाजवाद का सिद्धान्त है---समंम अजन्ति जनाहः आस्मिन समाजः। यानी जहां जनमत में समता का व्यवहार हो वही समाज है। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर कुछ लोग यह कहते हैं कि हम समाजवादी नहीं हैं। यह गांधी जी के वाक्य हैं कि समाज के सभी सदस्य बराबर हैं, न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। राजा और किसान, धनाढ्य और गरीब, मालिक और नौकर सब समान हैं। इसलिये जो आज हमारे प्रस्ताव का विरोध करता है वह सत्य का विरोधी है, गांधी जी के विचारों का विरोधी है, जनता का विरोधी है। हमारे प्रस्ताव का विरोधी कौन होगा? हमारे प्रस्ताव का विरोधी वही होगा, जो सत्ता और धन का लोलुप होगा। जो येन केन प्रकारेण अपने को सत्ता हथियाने के चक्कर में रहेगा। सत्य तथा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हमारे प्रस्ताव का कभी विरोधी नहीं होगा।

माननीय गुप्ता जी ने कुछ बातें कहीं उनके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम रानीखेत में जनता के लिये रहने का, सहने का, इन्तजाम कर रहे हैं। तो रहेंगे तो वहां पर माननीय गुप्ता जी और सहेंगी वहां की गरीब जनता। मैं यह बताना

चाहता हूं कि जो वहां के गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो पिछड़े हुये हैं, वह इस सरकार की और गुप्ता जी की चपेट में नहीं आयेंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो रानीखेत का चुनाव हो रहा है, उसमें उनकी नहीं चलेगी।

श्रीमन्, आज जितने भी लोग प्रगतिशील विचारधारा के हैं, वे सभी हमारी नीतियों का, हमारे मार्ग का समर्थन करेंगे। जो सत्य पर आरूढ़ है, वह हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेगा। सत्याग्रह में जो विश्वास करता है वह इसका समर्थन करेगा। श्रीमन्, यह सत्याग्रह शब्द आया कहां से, जरा इस पर भी विचार करना होगा। यह शब्द गांधी जी ने चलाया था। जब हिन्दुस्तानियों को अपने संग्राम का परिचय कराने के लिये एक नया शब्द गढ़ने की जरूरत पड़ी तो उसके लिये गांधी जी ने लिखा है कि—"मुझको इसके लिये कोई स्वतन्त्र शब्द सूझ नहीं पड़ता था। अतएव इसके नाम के लिये इनाम रखा गया और इंडियन ओपीनियन के पाठकों में इसके लिये होड़ लगाई गई।" इसके फलस्वरूप मगन लाल गांधी ने सत, आग्रह—सदाग्रह शब्द बना कर भेजा। उन्हें इनाम मिला, परन्तु सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिये गांधी जी ने बीच में "य" जोड़कर सत्याग्रह शब्द बनाया और फिर इस नाम से वह संग्राम पुकारा जाने लगा। सदाग्रह से सत्याग्रह बन गया है। यद्यपि दोनों में कुछ अन्तर है। सदाग्रह अर्थात सद पर आग्रह और सत्याग्रह यानी सत्य, उसका आग्रह हो जब (सत्य के लिये आग्रह)।

मैं माननीय नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि जनतन्त्र में सत्याग्रह का क्या स्थान है। इस पर बड़ा विवाद है। मैंने गांधी जी को साक्षी रखा है। और माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को भी रखना चाहता हूं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने मुझे अपनी यह किताब जेल में भेजवाई थी इस आदेश के साथ कि आखिर में जो पैरा दिये हैं उनको मैं अवश्य पढ़ूं। मुझे खुशी है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी इतने दिनों तक मुख्य मन्त्री के पद पर आसीन रहने के बाद वह अंश लिखा हैं। उन्होंने किताब में लिखा है:—"हमने ऊपर वर्ग सहयोग को श्रेयस्कर बताया है। हमारा ऐसा विश्वास है कि संघर्ष की भावना को प्रश्रय न देकर मनुष्य के उदात्त गुणों को जगाना ही समाज के कल्याण का मार्ग है। इसी मार्ग से वह क्रांति हो सकती है जिसे प्रत्येक समाजवादी चाहता है। परन्तु नैतिक परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। महात्मा गांधी जैसा महापुरुष वर्तमान काल का पुरुषोत्तम भी इस काम को न कर सके। स्थिर स्वार्थ की ओर से विरोध हो सकता है। श्रम करने वालों को उनकी सर्वथा उचित आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रखने का प्रयास हो सकता है। ऐसी अवस्था में चुपचाप सब कुछ सह लेना ईश्वर या सत्ताधिकारियों की दया के भरोसे बैठे रहना कायरता होगी, मनुष्य के शुद्धस्थ और उदबोध में बाधक होगा। अन्य उपायों के विफल होने पर सत्याग्रह सर्वथा वैध है।" "सर्वथा" का अर्थ है सब प्रकार से और "वैध" का मतलब वह है जैसा कि मैंने अविश्वास के प्रस्ताव में लिखा है।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह खूब सोच-समझ कर किया है, प्रदेश के व्यक्तियों के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया है, समाजवाद के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया है, समता के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया है, मानवता के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया है और गरीब किसान मजदूर और मेहनतकशों के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया है। मैं सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ो, इतिहास की केवल पुनरावृत्ति ही नहीं होती बल्कि वह आगे भी बढ़ता है। कुछ दिन पूर्व ९८ आदमियों ने माननीय उपाध्यक्ष के कर कमलों में इसी सदन में लिख कर दिया था कि सरकार निकम्मी है और अब पता नहीं कि १३५ या १४० आदमियों ने लिख कर राज्यपाल महोदय की सेवा में दिया कि हम सम्भाषण में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वर्तमान सरकार ने अनेक प्रकार के अत्याचार किये हैं।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजनारायण—अतः मैं माननीय भगवानदास के शब्दों में कहना चाहता हूं कि चित्त की दुर्बलता मत दिखलाओं ईमानदारी के साथ काम करो, जैसा सोचते हो वैसा करो, और हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ो और जब विभाजन हो तो हमारा साथ दो और इस निकम्मी सरकार को समाप्त करो।

श्री अध्यक्ष—अब मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि—

(१) सरकार ने अलाभकर जोत (६।। एकड़ तक) के किसानों की लगान माफी नहीं किया।

(२) सरकार ने उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी को हटा कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को कार्यान्वित नहीं किया।

(३) सरकार ने कक्षा ८ तक के विद्यार्थियों की न तो फीस ही माफ की और न शिक्षा ही अनिवार्य किया।

(४) हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के हितार्थ सरकार ने अभी तक बैकवर्ड कमीशन की रपट लागू न करके पिछड़े तपके का अहित किया है।

(५) सोशलिस्ट पार्टी की न्याय युक्त सन्तुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामग्री को महंगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ा।

(६) न्यायापालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव न कर सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में संविधान तथा कानून की अवहेलना कराया है।

(७) गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये अन्न सेना तथा शिक्षक सेना का निर्माण न कर सरकार ने गरीबी तथा बेकारी को बढ़ाने में सहायता की है।

(८) प्रदेश की उच्चतम आमदनी और खर्चा को एक हजार के अन्दर नियोजित करने की मांग को सरकार ने ठुकराया है।

(९) जिला परिषदों का अविलम्ब बालिग मताधिकार के आधार पर सरकार ने चुनाव करने में उदासीनता दिखाई है।

(१०) मन्त्रियों तथा उच्चाधिकारियों के ऊपर सदन में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जांच समिति बैठाने की मांग की अब तक सरकार ने उपेक्षा की है।

(११) अनावश्यक ढंग पर मन्त्रिपरिषद् की संख्या बढ़ाकर सरकार ने जनधन का सदुपयोग नहीं किया।

(१२) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम को लागू करने में अनावश्यक ढंग पर विलम्ब करके किसानों का अहित किया गया है।

(१३) जिस ढंग पर वर्तमान मन्त्रिपरिषद् का गठन हुआ है उसमें जनतांत्रिक प्रणाली को धक्का लगा है।

(१४) ग्राम पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराने में सरकार असफल रही है।

(१५) प्रदेश में विदेशी पंचगामियों की गति–विधि तथा प्रचार को रोक सकने में सरकार असमर्थ रही है।

(१६) सन्तुलित पूरक बजट पेश कर गरीबों के कर भार को कम करने में सरकार असमर्थ रही है।

(१७) पुलिस प्रशासन को जनतांत्रिक ढंग पर विकेन्द्रित करके ग्राम पंचायतों के हाथ में पुलिस शक्ति हस्तान्तरित करने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया फलस्वरूप प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल, रहजनी बढ़ी है।

(१८) बाढ़ में ढहे मकानों को बनवाने के लिये भी सरकार ने कोई सुनियोजित योजना नहीं रखी जिससे आज तक बहुत से गरीब बे घरबार हो गये हैं।

(१९) सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन तथा उत्तराखंड के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कोई सुनियोजित योजना सरकार ने आज तक पेश नहीं किया जिससे वहां के भूमिहीनों तथा बेकारों और गरीबों के लिये घोर निराशा का वातावरण छाया है।

(२०) प्रदेश के श्रम को सुनियोजित करके श्रम के महत्व को प्रतिष्ठित करने की चेतावनी की सरकार ने पूरी उपेक्षा की है।

(२१) जनतन्त्र में शांतिपूर्ण अहिंसक सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) को वैध मानकर सरकार ने समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र तथा समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री अध्यक्ष ने कहा कि 'नहीं' की संख्या अधिक है, तब विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन, मेरा निवेदन है कि सब लोग लाबी में जाकर दस्तखत करें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ऐसा ही होगा।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं और आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं वे कृपा करके बाहर चले जायं क्योंकि अब इसके ऊपर लिखित वोटिंग होगी।

विधान सभा सचिवालय के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है वे तो बैठे रहें, बाकी लोग बाहर चले जायं।

(कुछ देर पश्चात्)

मैं समझता हूं कि अब बाहर से कोई सदस्य आया नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि—

(१) सरकार ने अलाभकार जोत (६।।एकड़ तक) के किसानों की लगान माफी नहीं किया।

(२) सरकार ने उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी को हटा कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को कार्यान्वित नहीं किया।

(३) सरकार ने कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों की न तो फीस ही माफ की और न शिक्षा ही अनिवार्य किया।

(४) हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के हितार्थ सरकार ने अभी तक बैकवर्ड कमीशन की रपट लागू न करके पिछड़े तपके का अहित किया है।

(५) सोशलिस्ट पार्टी की न्याय युक्त संतुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामाग्री को मंहगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ा ।

(६) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव न कर सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में संविधान तथा कानून की अवहेलना कराया है ।

(७) गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये अन्न सेना तथा शिक्षक सेना का निर्माण न कर सरकार ने गरीबी तथा बेकारी को बढ़ाने में सहायता की है ।

(८) प्रदेश की उच्चतम आमदनी और खर्चा को एक हजार के अन्दर नियोजित करने की मांग को सरकार ने ठुकराया है ।

(९) जिला परिषदों का अविलम्ब बालिग मताधिकार के आधार पर सरकार ने चुनाव करने में उदासीनता दिखायी है ।

(१०) मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के ऊपर सदन में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जांच समिति बैठाने की मांग की अब तक सरकार ने उपेक्षा की है ।

(११) अनावश्यक ढंग पर मंत्रिपरिषद् की संख्या बढ़ा कर सरकार ने जनधन का सदुपयोग नहीं किया ।

(१२) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम को लागू करने में अनावश्यक ढंग पर विलम्ब करके किसानों का अहित किया गया है ।

(१३) जिस ढंग पर वर्तमान मंत्रि परिषद् का गठन हुआ है उससे जनतांत्रिक प्रणाली को धक्का लगा है ।

(१४) ग्राम पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराने में सरकार अफसल रही है ।

(१५) प्रदेश में विदेशी पंचगामियों की गति विधि तथा प्रचार को रोक सकने में सरकार असमर्थ रही है ।

(१६) संतुलित पूरक बजट पेश कर गरीबों के कर भार को कम करने में सरकार असमर्थ रही है ।

(१७) पुलिस प्रशासन को जनतांत्रिक ढंग पर विकेन्द्रित करके ग्राम पंचायतों के हाथ में पुलिस शक्ति हस्तान्तरित करने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया, फलस्वरूप प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल, रहजनी बढ़ी है ।

(१८) बाढ़ में ढहे मकानों को बनवाने के लिये भी सरकार ने कोई सुनियोजित योजना नहीं रखी जिससे आज तक बहुत से गरीब बे घरबार हो गये हैं ।

(१९) सम्पूर्ण कुमायुं डिवीजन तथा उत्तराखंड के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई सुनियोजित योजना सरकार ने आज तक पेश नहीं किया जिससे वहां के भूमिहीनों तथा बेकारों और गरीबों के लिये घोर निराशा का वातावरण छाया है ।

(२०) प्रदेश के श्रम को सुनियोजित करके श्रम के महत्व को प्रतिष्ठित करने की चेतावनी की सरकार ने पूरी उपेक्षा की है ।

(२१) जनतंत्र में शान्तिपूर्ण अहिंसक सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) को वैध मान कर सरकार ने समता, स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाया है ।

(अविश्वास के प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष ने प्रश्न उपस्थित किया और कहा कि 'नहीं' की संख्या अधिक है----इस पर विभाजन की मांग दुहराई गई तब श्री अध्यक्ष ने कहा कि 'हां' पक्ष वाले 'हां' वाली लाबी में जाकर वोट दें और 'नहीं' पक्ष वाले 'नहीं' वाली लाबी में---विभाजन के बीच में)

श्री अध्यक्ष---सब लोग वोट दे चुके क्या ? वोट अगर दे चुके तो मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, मैं १५ मिनट का बैठक का समय बढ़ाए देता हूं, क्योंकि काउंटिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, दो-तीन बार काउंटिंग होगी।

दूसरी बात सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि यह चर्चा चली थी कि तारीख २७ और २८ को छुट्टी हो जाय होली के सिलसिले में, और काम भी होना चाहिए, तो ऐसा तय हो रहा है पार्टियों के नेताओं के बीच में बातचीत के द्वारा और गवर्नमेंट भी तैयार है कि कल शनिवार को अगर हम लोग बैठ जायं तो एक रोज मिल जाएगा और फिर लगातार छुट्टी होली के सिलसिले में हो जाएगी ।

श्री राजनारायण---कहां बात हुई है ?

श्री अध्यक्ष---अभी बातचीत हो रही है । मैं राय लेना चाहता हूं । एक रोज इधर और एक रोज होली बाद काम हो जाएगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह---बात हो चुकी है या होगी ?

श्री अध्यक्ष---होगी । अभी आप लोग वैसे ही बैठे हुए हैं । इस बीच में आप लोग बात कर लें । जब तक काउंटिंग होती है तब तक बातचीत कर लें ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---कितने दिनों की छुट्टी होगी, यह भी मालूम हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---१ से ५ तारीख तक तो छुट्टी मौजूद है । अब उसमें २७, २८ जोड़ना चाहते हैं । शनिवार और इतवार और छुट्टी थी । तो शनिवार काय चलाने के लिए लेना चाहते हैं । यानी प्रस्ताव है कि इतवार से ५ तारीख तक छुट्टी हो जाय । फिर ६ को बैठेंगे, यह सुझाव था । आप लोग सोच लें ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, कल के लिये हम लोग कुछ प्रोग्राम अपने क्षेत्रों में बना चुके हैं इसलिये कल की छुट्टी कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---पहले आप लोग बात कर लें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---बात तो जो कुछ होनी थी हो चुकी है । पहले से लोगों ने शनिवार के प्रोग्राम बना लिये हैं, अतः इस समय उनको कैन्सिल करना संभव और उचित न होगा ।

श्री अध्यक्ष---फिर क्या बात है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोई जरूरत नहीं है सोमवार को हम लोग बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष---लोग अगर तैयार नहीं होते तो फरवरी २७ और २८ को हम लोग बैठेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो कल कौन सी सरकार बैठेगी ।

(प्रश्न सदन के निम्न रूप में विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में—९१

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
ऊदल, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी,
खमानी सिंह, डाक्टर
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गया प्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छेदी लाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दर्शनसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर, शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रूमसिंह, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में—२८८

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफ़री, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री

तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह श्री
नत्थू सिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भीमसेन, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महवीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री

रमांकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर, राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रालखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया,
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन,
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

श्री अध्यक्ष--यह प्रस्ताव गिर गया। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार, २७ फरवरी, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ फरवरी, १९६१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

सूची-क

१९६० की इन्टरमीडिएट परीक्षा में सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के कारण दण्डित विद्यार्थियों की संख्या

	केन्द्र का नाम	दण्डित परीक्षार्थियों की संख्या
(१)	सी० ए० बी० इन्टर कालेज, मेरठ	२४
(२)	राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, बरेली	२
(३)	गांधी फैज आम कालेज, शाहजहांपुर	९
(४)	के० पी० इन्टर कालेज, इलाहाबाद	५
(५)	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, आजमगढ़	७
(६)	एस० एम० जे० ई० सी० इन्टर कालेज, खुर्जा	२५
(७)	आर० बी० इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़	९
(८)	ए० के० कालेज, शिकोहाबाद	१४
(९)	पी० डी० एन० डी० कालेज, चुनार	५०
(१०)	मिक्सड रेलवे स्कूल, मुगलसराय, वाराणसी	८
(११)	हिन्दू इन्टर कालेज, जमानियां, गाजीपुर	५०
(१२)	वी० एन० इन्टर कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद	१२
(१३)	आर० एस० एम० कालेज, धामपुर, बिजनौर	९
(१४)	अग्रवाल इन्टर कालेज, इलाहाबाद	२२
(१५)	एस० एम० कालेज, बादिलपुर, बलिया	३२
	योग ..	२७८

संसद सदस्य सूचना सचिवालय

सूची-ख

१९६० की हाई स्कूल परीक्षा में सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के कारण दंडित परीक्षार्थियों की संख्या

	केन्द्र का नाम		दण्डित परीक्षार्थियों की संख्या
(१)	भूतेश्वर ब्रह्माचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल, सहारनपुर	..	३
(२)	देवनागरी इन्टर कालेज, मेरठ ..	..	२५
(३)	सर्वहितकारी इन्टर कालेज, मीतली गौरीपुर, मेरठ	..	१०
(४)	महात्मा गांधी इन्टर कालेज, ढकौली, मेरठ ..	..	१८
(५)	श्री गांधी स्मारक जनता इन्टर कालेज, पतला, मेरठ	..	४८
(६)	जनता इन्टर कालेज, खरखौदा, मेरठ ..	..	५५
(७)	किसान विद्यालय हा० से० स्कूल माछरा, मेरठ	..	९
(८)	सीतासरन इन्टर कालेज खतौली, मेरठ ..	..	४
(९)	जे० ए० एस० इन्टर कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर..	..	१६२
(१०)	पालीवाल इन्टर कालेज, अलीगढ़ ..	..	१७
(११)	लक्ष्मीराज हायर सेकेंडरी स्कूल, गमाना, अलीगढ़	..	१३५
(१२)	खैर इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़ ..	..	५
(१३)	राष्ट्रीय इन्टर कालेज राया, मथुरा ..	..	७३
(१४)	लोधी राजपूत इन्टर कालेज, जसराना, मैनपुरी	..	१४०
(१५)	श्री गनेश इन्टर कालेज, कासगंज, एटा ..	..	४२
(१६)	वी० ए० वी० इन्टर कालेज, कासगंज, एटा ..	..	७
(१७)	जे० ए० एस० इन्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद	..	८
(१८)	गांधी विद्यालय, इन्टर कालेज, मंडी धनौरा, मुरादाबाद	..	२१०
(१९)	सार्वजनिक हायर सेकेंडरी स्कूल, फीना, बिजनौर	..	४८
(२०)	हिन्दू इन्टर कालेज, नगीना, बिजनौर ..	..	१५
(२१)	आजाद इन्टर कालेज, बरेली ..	..	१७
(२२)	नेहरू राष्ट्रीय इन्टर कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर ..	..	१३४
(२३)	हायर सेकेंडरी स्कूल महगांव, इलाहाबाद ..	..	८०
(२४)	पी० डी० एन० डी० हायर सेकेंडरी स्कूल चुनार, मिर्जापुर	..	३४
(२५)	बांसडीह हायर सेकेंडरी स्कूल, बांसडीह, बलिया	..	२५२
(२६)	गांधी इन्टर कालेज सिकन्दरपुर, बलिया ..	..	४९
(२७)	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, विल्थरा रोड, बलिया	..	४
(२८)	पटेल स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, अतरौलिया, आजमगढ़	..	६७

केन्द्र का नाम		दंडित परीक्षार्थियों की संख्या
(२९) श्री कि० जा० इन्टर कालेज, बरहज, देवरिया	..	२९
(३०) जनता इन्टर कालेज, बनकटवा, देवरिया ..	..	९३
(३१) श्री कृष्ण इन्टर कालेज, बरहज देवरिया	..	२६
(३२) नौतनवां हायर सेकेंडरी स्कूल, नौतनवां, गोरखपुर	..	७
(३३) सेठ आनन्दराम जैपुरिया, हा० से० स्कूल, आनन्दनगर, गोरखपुर	..	१७
(३४) किसान हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका बाजार, बस्ती	..	१४
(३५) गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल, नवाबगंज, गोंडा ..	..	८४
(३६) चुन्नीलाल हा० से० स्कूल, छिता पट्टी, सुलतानपुर	..	८
(३७) हायर सेकेंडरी स्कूल, रामगंज, प्रतापगढ़ ..	..	२७
(३८) हायर सेकेंडरी स्कूल, पाटल, उन्नाव ..	..	१३
(३९) अमीनाबाद इन्टर कालेज, अमीनाबाद, लखनऊ	..	१३
(४०) नेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ ..	..	१६
(४१) एस० पी० इन्टर कालेज, झांसी ..	..	१६
(४२) हा० से० स्कूल महगांव, इलाहाबाद ..	..	४
(४३) हा० से० स्कूल, कौहडौर, प्रतापगढ़ ..	..	१४
योग	..	२,०५२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

२५ सितम्बर, १९६० को आर्य समाज मन्दिर, मल्लीताल, नैनीताल में संरक्षक समिति, नैनीताल की ओर से की गई सार्वजनिक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा उन पर सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, का विवरण

प्रस्ताव	की गई कार्यवाही का विवरण
१—यह सार्वजनिक सभा कुमायूं विश्वविद्यालय की तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापना के निश्चय का हार्दिक स्वागत करती है और कुमायूं की जनता की ओर से सरकार का आभार प्रकट करती है और उससे प्रार्थना करती है कि इस निश्चय का कार्यान्वयन अगले सत्र के आरम्भ करने के लिये आवश्यक पग उठाये जायं।	१—किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
२—नैनीताल के नागरिकों विशेषतः संरक्षकों को स्थानीय राजकीय बालिका विद्यालय में दिन प्रतिदिन होने वाले अनुचित, अनियमित दूषित पक्षपातपूर्ण और अशिष्ट रवैये से चिन्ता हो गई है। उक्त विद्यालय में आतंक का प्राधान्य है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि जब तक वर्तमान प्रधानाचार्या वहां पर हैं शिकायतों की सुनवाई होना असम्भव है। अतः आज की यह सार्वजनिक सभा सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करती है कि वह वहां की प्रधानाचार्या का तुरन्त स्थानान्तरण करने के उपरान्त संरक्षकों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दें। जांच की अवस्था में वे प्रमाण देने को प्रस्तुत हैं।	२—विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने पर वर्तमान प्रधानाचार्या के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
३—कुमायूं की बालिकाओं के शिक्षा हित में यह नितान्त आवश्यक है कि कुमायूं और उत्तराखंड क्षेत्र को बरेली क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान अवस्था में बालिका शिक्षा के अत्यन्त	३—तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव था कि बालिकाओं के शिक्षा के हित में एक अतिरिक्त कुमायूं मंडल की स्थापना की जाय, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण १९६१-६२ में प्रस्ताव को कार्या-

प्रस्ताव	की गई कार्यवाही का विवरण
विस्तार के कारण बालिका विद्यालयों की क्षेत्रीय निरीक्षिका, कुमायूं एवं उत्तराखंड के बालिका शिक्षा प्रबन्ध में कम ध्यान दे पाती हैं यहां यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस प्रत्यक्षगत रुकावट को अविलम्ब दूर करने की कृपा करें।	न्वित नहीं किया जा सकेगा। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रसार होगा उसको दृष्टि में रखते हुये इस प्रस्ताव पर पुनः १९६२–६३ या १९६३–६४ में विचार किया जायेगा।
४—छात्र और छात्राओं का शिक्षा व्यय निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है व्यक्तिगत पुस्तक तथा अन्य सामग्री का निर्धारण यदि किया भी गया हो तो भी व्यवहार में हम इस व्यय भार से दबते ही जा रहे हैं। अतः यह वांछित है कि अनावश्यक पुस्तक पुस्तकायें तथा सामग्री की वृद्धि पर कठोर नियंत्रण किया जाय यह तभी सम्भव है जब विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षा अधिकारी यह देखते रहें कि विद्यालयों में एक ही विषय में कई पुस्तिकायें (नोट बुक) आदि के लिये वाध्य तो नहीं किया जाता।	४—अनावश्यक पुस्तक तथा अन्य शिक्षा सामग्रियों की वृद्धि पर शिक्षा विभाग का नियन्त्रण रहता है और शिक्षा अधिकारी यह देखते रहते हैं कि विद्यालयों में अनावश्यक पुस्तकों तथा नोट बुक के लिये छात्रों को वाध्य न किया जाय। विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पुस्तकों तथा उनके मूल्य का निर्धारण किया जाता है और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पुस्तकें उन्हीं मूल्यों पर छात्रों को प्राप्त हों। यदि किसी प्रकार यह ज्ञात होता है कि पुस्तकें अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं तो विभाग तथा परिषद् द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है। विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक विषयों के लिये विभाग तथा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम में कुछ पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं। सीनियर बेसिक कक्षाओं के लिये इन पुस्तकों के वितरण का क्षेत्र बटा हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में दिये हुये पाठ्यक्रम में से केवल एक ही पुस्तक प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी पुस्तक का प्रयोग में लाना वर्जित है। परन्तु हाई स्कूल तथा इन्टर कक्षाओं में परिषद् द्वारा विभिन्न विषयों के लिये जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाती हैं, उनमें से प्रत्येक विषय की एक-एक पुस्तक चुनाव का छात्रों के हित को दृष्टिकोण में रखते हुये प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है और साधारणतया केवल वे ही पुस्तकें पठन-पाठन हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

प्रस्ताव	की गई कार्यवाही का विवरण
५--इस सभा का यह निश्चित मत है कि नैनीताल में महिला शिक्षा के लिये वर्तमान साधनों का विकसित होना अत्यावश्यक है। अतः यह सभी उचित व्यक्तियों एवं अधिकारियों से अनुरोध करती है कि नैनीताल में स्थित महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इन्टर कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय एवं शीघ्र ही वहां एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना की जाय।	५--तृतीय पंचवर्षीय योजना की आयोजना "कतिपय बालक तथा बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की इन्टर कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा आरम्भ करना" के अन्तर्गत नैनीताल में स्थित महिला उच्चतर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की इन्टर कक्षाओं में विज्ञान विषय पढ़ाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जहां तक कि नैनीताल में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना का प्रश्न है, नैनीताल स्थित वर्तमान डी० एस० वी० डिग्री कालेज में छात्राओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है अतः राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता नहीं है।
६--इस सभा का यह निश्चित विचार है कि नैनीताल में स्थित राजकीय हाई स्कूल मिलिटरी की उन बैरकों में स्थित है जिनकी व्यवस्था अत्यन्त असन्तोषजनक है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस हेतु एक अलग भवन का निर्माण करें। यह निकट भविष्य में संभव न हो तो इन बैरकों की व्यवस्था में उचित सुधार तुरन्त किया जाय।	६--गुरखा लाइन नैनीताल नामक भवन को राज्य सरकार को स्थानान्तरण के प्रश्न पर भारत सरकार के सुरक्षा विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है।
७--इस सभा की यह राय है कि सभी स्थानीय विद्यालयों में छुट्टियों के दिनों तथा संख्या में समानता होनी चाहिये।	७--नैनीताल में स्थित सभी स्कूल एक ही स्तर पर नहीं हैं, जैसे डिग्री कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दीक्षा विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय इत्यादि और प्रत्येक श्रेणी के विद्यालयों में छुट्टियां उन विद्यालयों के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग दी जाती हैं।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--२८४ एल० ए०--१९६१--८४५।